लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18.5.9
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला--खण्ड ४९--अंक २१ से ३०--१२ से २३ दिसम्बर १९६०/अग्रहायण २१ से २ पौष १८८२ (शक)]

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८३६, ८३८, ८४० और ८४१ . २४२३--४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३९ और ८४२ से ८६५ . . २४४२--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२१ से १७०० . . . . २४५२--८९

निधन सम्बन्धी उल्लेख २४८९

सभा पटल पर रखा गया पत्र . २४८९

विशेषाधिकार समिति--

ग्यारहवां प्रतिवेदन २४८९

लोक लेखा समिति--

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २४८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग के सभापति के पद पर नियुक्ति २४९०-९१

तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर की शुद्धि . . . २४९१

कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य २४९१--९८

भैरवपुर (सिलचर) में डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य . २४९८-९९

समिति के लिये निर्वाचन--

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर . . २४९९

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . २४९९--२५०२

खंड २ और १ . . . . . २५०२

पारित करने का प्रस्ताव २५०२

पृष्ठ

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . २५०२—०५
खंड २, ३ और १ . . २५०५
पारित करने का प्रस्ताव . . . २५०५
पशु निर्दयता निवारण विधेयक
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५०५—२४
कार्य मंत्रणा समिति—
उनसठवां प्रतिवेदन २५२४
दैनिक संक्षेपिका— . . . . . २५२५—३१
अंक २२—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २५३३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८ और ८८६ २५३३—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९ से ८८५ और ८८७ से ८९१ २५५५—६१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७०१ से १७७२ . २५६१—९४
स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५९५—९६
राज्य सभा से सन्देश २५९७
दहेज निषेध विधेयक—राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में . २५९७
बाल विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में . २५९८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकारी आदेश के फलस्वरूप ऊनी कपड़ा मिलों की कठिनाइयां . २५९८—९९
कार्य मंत्रणा समिति—
उनसठवां प्रतिवेदन . २५९९
पशु निर्दयता निवारण विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५९९—२६०७
खंड २ से ४१ और १ . . . . . २६०४—०७
पारित करने का प्रस्ताव २६०७

	पृष्ठ
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२६०७–२०
सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों सम्बन्धी प्रकाशन के बारे में प्रस्ताव	२६२०–३३
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	२६३४
दैनिक संक्षेपिका	२६३५–४२
अंक २३—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ८९४, ८९६, ८९७, ८९९, ९०२ से ९०४ और ९०७ से ९१६ . .	२६४३–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९००, ९०१, ९०५ और ९०६	२६६५–६८
अतारांकित प्रश्न संख्या . १७७३ से १८३६	२६६८–९४
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	२६९४
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय . . .	२६९५-९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२६९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	२६९६
प्राक्कलन समिति —	
एक सौ एक वां प्रतिवेदन	२६९७
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक . . .	२६९७–९९
विचार करने का प्रस्ताव	२६९७
खंड २ से ६ और १	२६९७–९९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९९
प्रसूति लाभ विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	२६९९–२७१४
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२७१४–२०
खंड २ से ७ और १ . .	२७२०
पारित करने का प्रस्ताव . .	२७२०

पृष्ठ

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २७२०–२१

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरका ी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव . २७२१—४७

दैनिक संक्षेपिका २७४८—५३

अंक २४—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०/२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ से ९२०, ९२२ से ९२६ और ९२९ . २७५५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२१, ९२७, ९२८ और ९३० से ९४३ . २७७७—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३७ से १८६८ और १८७० से १८९९ . २७८५—२८०९

स ा पटल पर रखे गये पत्र . . २८०९—१०

राज्य सभा से सन्देश २८१०

सभा की बै कों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन २८१०

भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन के प्रस्तावित विभाजन बारे में याचिका २८१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर राइफल्स के दो सिपाहियों का मारा जाना २८१०—१२

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक . . . २८१२—३९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८१२—३४

खंड २ से ४० और १ . . २८३४—३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३९

निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८३९—५२

कच्चे माल सम्बन्धी समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . २८५३—५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २८५८—६३

अंक २५— ुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४५, ९४७ से ९५३, ९५७, ९५८, ९६० और ९६१ . . . . २८५८—८९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४६, ९५४ से ९५६, ९५९ और ९६२ से ९६७ . २८८९—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०० से १९५८ . . . २८९४—२९२०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी . २९२१—२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९२२—२३

प्राक्कलन समिति—

अट्ठानवेवां प्रतिवेदन २९२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राउरकेला उर्वरक कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल २९२३

सभा का कार्य २९२४

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . २९२४—२५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक—पुरस्थापित २९२५—३२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २९३२—३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . २९३४—४३

विचार करने का प्रस्ताव २९३४—३८

खंड २ और १ . . २९३८—४३

पारित करने का प्रस्ताव २९४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन २९४३

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . २९४४

निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . २९४४—७४

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाये जाने के बारे में संकल्प . २९७४

कार्य मंत्रणा समिति— . . . . .

साठवां प्रतिवेदन २९७४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९७५—८०

अंक २६—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २९८१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७२ और ९७४ से ९७८ . . २९८१—३००३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ३००३—०५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६७३ और ६७६ से ६६७ . . . ३००५—१४
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५६ से २०४७ . . ३०१४—५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०५२
राज्य सभा से सन्देश . . . ३०५२
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ३०५३
विधेयक पुरःस्थापित—
(१) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . ३०५३
(२) तार विधियां (संशोधन) विधेयक . ३०५३
कार्य मंत्रणा समिति—
साठवां प्रतिवेदन . . . ३०५३
अनुपस्थिति की अनुमति ३०५४–५५
मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि ३०५५
अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३०५५—८६
असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्टों की परीक्षाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३०८६–९२
दैनिक संक्षेपिका ३०९३–३१००
अंक २७—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक)
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३१०१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ से १००३ और १००५ से १००८ ३१०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ से ७ ३१२२—३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १००४ और १००९ से १०२६ ३१३०—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या २०४८ से २१२१ . . . ३१३७–६९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३१६९
प्राक्कलन समिति—
निन्यानवेवां प्रतिवेदन . . . ३१७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा के जोतदारों द्वारा कुर्फा-उप-काश्तकारों के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाही ३१७०

	पृष्ठ
लाओस की स्थिति के बारे में वक्तव्य	३१७०
अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) संशोधन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३१७०—३२०२
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड २, ३, प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां और खण्ड १	३२०२–०३
अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक के खण्ड २ से ११, प्रथम और द्वितीय अनुसूची	३२०३—०५
मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२०५—१०
दैनिक संक्षेपिका	३२११—१७

अंक २८—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०३८ और १०४५—क	३२१९—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०२७, १०३९, १०४०, १०४०—क, १०४१, १०४१-क, १०४२ से १०४५, १०४६ से १०५२, १०५२—क, और १०५३	३२४३—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या २१२२ से २२०२, २२०४ से २२१९, २२२१ से २२२४ और २२२४—क . . .	३२५३—९८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३२९८–९९
राज्य सभा से सन्देश	३२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
पिचहत्तरवां प्रतिवेदन . .	३३००
लोक-लेखा समिति—	
इकत्तीसवां प्रतिवेदन	३३००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में दासता का प्रचलन.	३३००—०२
कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य	३३०२—०६
भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	३३०६

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . ३३०७—२१

खंड २ से ८ और १ . . . . . . ३३२१—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३३२३

मध्यम पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३२४—३८

श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा ३३३९—५३

आधे घंटे की चर्चा के बारे में . ३३५३

दैनिक संक्षेपिका . ३३५४—६०

अंक २९—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०/१ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ से १०५९, १०६१, १०६२, १०६४, १०६५, १०६७ और १०६८ . . . . . ३३६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ से १० . ३३८४—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६३, १०६६ और १०६९ से १०७९ ३३८९—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२५ से २२७४ और २२७६ से २३११ . ३३९५—३४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ३४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३४३१-३२

राज्य सभा सन्देश ३४३२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ३४३३

सभा का कार्य ३४३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ३४३३

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश और ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३४३३

प्राक्कलन समिति—

एक सौ दोवां प्रतिवेदन ३४३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रुद्रसागर, आसाम में तेल मिलने का समाचार . . ३४३४

	पृष्ठ
ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के बारे में वक्तव्य .	३४३४—३६
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३४३६—६०
निर्वाचनआयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४६०—६५
राज्य व्यापार निगम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३४६५—६९
दैनिक संक्षेपिका . . .	३४७०—७६

अंक ३०—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८० से १०८९, १०९१ से १०९३ और १०९७	३४७७—३५०१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ से १४ . . .	३५०१—१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९०, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०६ .	३५१०—१५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३१२ से २४०३ . . .	३५१५—६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३५६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५६०—६२
तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समितियों के कार्यवाही-सारांश .	३५६२-६३
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	३५६३
कार्यवाही-सारांश तथा दसवां प्रतिवेदन . . .	३५६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना . .	३५६४—६६
(२) दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के झोंपड़ों का गिराया जाना	३५६६
(३) जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान और	
(४) शरणार्थियों को दंडकारण्य में ले जाने के बारे में योजना	३५६६
विधेयक पुरःस्थापित—	
(१) दण्ड विधि संशोधन विधयेक	३५६७
(२) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . .	३५६७
(३) विशिष्ट सहायता विधेयक	३५६७
(४) अवधि विधेयक	३५६८

	पृष्ठ
बाल विधयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३५६८—७३
खंड २ से ६० तथा १	३५७३
पारित करने का प्रस्ताव	३५७३—७५
तार विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५७५—८०
खंड २ से ५ और १	३५८०
पारित करने का प्रस्ताव	३५८०
ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५८०—८२
खंड २, ३ और १	३५८२
पारित करने का प्रस्ताव	३५८२
निरसन तथा संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित .	३५८२–८३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . .	३५८३
पिचहत्तरवां प्रतिवेदन	३५८३
छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक [श्री नारायण गणेश गोरे का]—पुरःस्थापित	३५८३
गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक [पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" का]—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत. . . .	३५८३–८४
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक [श्री नरसिंहन् का]—वापस लिया गया परिचालित करने का प्रस्ताव	३५८५—८६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन) [श्री मती सुभद्रा जोशी का] . . .	३५८६–९०
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत . . .	३५९०
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक (धारा १०७, १२६, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१क का रखा जाना) [श्री तंगामणि का]—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५९०—३६०५
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के बारे में आधे घंटे की चर्चा. .	३६०६—१५
कार्यवाही संबंधी उल्लेख	३६१५
दैनिक संक्षेपिका	३६१६—२४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPD—LS III—1724(Ai) LSD—12-1-61—115.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०

---

२ पौष, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और दिल्ली में लोकप्रिय सरकारें

+

*१०८०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री ब्रजराज सिंह :
डा० सामन्त सिंहार :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्री मधुसूदन राव :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हेम बरूआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और दिल्ली को पहले जैसे स्वायत्तशासी राज्य बनाने की संभावना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रश्न को लेकर इन क्षेत्रों में आन्दोलन किये जा रहे हैं और वहां की जनता ने भी यह मांग की है ; और

(ग) इन क्षेत्रों को स्वायत्तशासी राज्य बनाने के बारे में सरकार संभवत: कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

1724 (Ai) LSD —1

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) से (ग). मनीपुर में विधान सभा और उसके प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिये कुछ आन्दोलन हुआ था। अन्य क्षेत्रों में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं हुआ। इस बात पर विचार हो रहा है कि मौजूदा प्रशासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता है या नहीं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : गृह मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में यह कहा है कि इन प्रदेशों के प्रशासन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है या नहीं, इस विषय पर विचार हो रहा है। मैं क्या यह आशा करूं कि कब तक इस विचार को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ?

श्री गो० ब० पन्त : अगले चुनाव से पहले, ताकि चुनाव के वक्त से पहले जो कोई तब्दीलियां समझी जायें, वे कर दी जायें।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि अगले चुनाव से पहले यह परिवर्तन सम्भव हो सकेगा। अगर कोई उत्तरदायी सरकार की बात मानी जाती है—जैसी कि आशा की जा रही है—तो क्या यह भी संभव होगा कि अगले चुनाव से काफी पहले छः आठ महीने पहले, इस तरह का निश्चय कर दिया जाय ?

श्री गो० ब० पन्त : जो भी करना हो—क्या होगा, वह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता—वह उससे कई महीने पहले करना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट की मंजूरी भी तो लेनी होगी किसी बात के लिये, अगर वह करनी होगी।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल प्रधान मंत्री से मिला था और उन्होंने उनको यह आश्वसान दिया था कि मंत्रणा समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठाये जायेंगे, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री गो० ब० पन्त : मुझे ठीक-ठीक पता नहीं कि उन्होंने यह कहा था कि मंत्रणा समिति नियुक्त करने के लिये कुछ कदम उठाये जायेंगे।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि मनीपुर से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में दिल्ली आया था और उसने सरकार से बातचीत की थी और क्या सरकार ने वर्तमान प्रादेशिक परिषद के स्थान पर शीघ्र ही एक निर्वाचित विधान सभा कायम करने के लिये उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये कारणों तथा तर्कों पर विचार कर लिया है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप से काम करने की इच्छा कर रही है ?

†श्री गो० ब० पन्त : एक प्रतिनिधिमण्डल मुझसे मिला था और उनके अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

†श्री हेम राज : क्या संघ राज्य क्षेत्रों में पहले के भाग 'ग' के राज्यों की पुनर्स्थापना कर दी जायेगी ?

†श्री गो० ब० पन्तः जब कि एक मामला विचाराधीन है तो यह कहना कठिन है कि अन्त में क्या होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम राज : क्या यह सच है कि मनीपुर के जो प्रतिनिधि प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री से मिले थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि यदि मनीपुर में उत्तरदायी सरकार बना दी जाये तो नागा लोगों की पृथकत्व की प्रवृत्तियों का अच्छी तरह से मुकाबला किया जा सकता है, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय के इस पहलू पर भी विचार किया है ?

†श्री गो० ब० पन्त : प्रत्येक प्रासंगिक पहलू पर विचार किया जायगा ।

†श्री हेम बरूआ : क्या इस पहलू पर विचार किया जायगा ?

†अध्यक्ष महोदय : 'प्रत्येक पहलू' में यह पहलू भी आ जाता है ।

†श्री ब्रजराज सिंह : माननीय गृह मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन को देखते हुए कि अगले निर्वाचन प्रारम्भ होने से कुछ मास पूर्व ही विचार कर लिया जायेगा और कुछ कर दिया जायेगा, क्या वे मनीपुर में उन कैदियों अथवा निरुद्ध व्यक्तियों को, जो वहां हाल ही में उठाये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये थे, छोड़ने की संभावना पर विचार करेंगे ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं नहीं समझता कि इन दोनों बातों का एक दूसरे से क्या सम्बन्ध है ।

†श्री त्यागी : क्योंकि इन क्षेत्रों के किसी संसद् सदस्य का नाम नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से भी इस विषय में सलाह ली जायेगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : उन क्षेत्रों के सदस्य मंत्रणा परिषदों के भी सदस्य हैं जो गृह मंत्री के सम्पर्क में हैं । उन से स्वभावतः ही सलाह ली जायेगी ।

†श्री त्यागी : किन परिस्थितियों से माननीय गृह मंत्री इस स्थिति पर पुनर्विचार करने को बाध्य हुए हैं ? क्या वे ऐसा इसलिये कर रहे हैं कि एक राज्य में आन्दोलन हुआ है अथवा वे स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं ? क्या वे ऐसा करने के लिये इसलिये तो बाध्य नहीं हुए हैं क्योंकि दिल्ली में निगम का प्रयोग असफल रहा है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं ने दिल्ली के बारे में तो कुछ नहीं कहा । मैं ने कहा था कि मामला विचाराधीन है । अभ्यावेदन किये गये हैं और कुछ लोगों की ऐसी इच्छा मालूम पड़ती है कि वर्तमान प्रणाली का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये । अतः वह किया जा रहा है ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : जो प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से मिला था क्या उस ने ऐसा कोई आश्वासन दिया था कि यदि उन के इस मामले पर विचार किया गया तो मनीपुर का यह आन्दोलन समाप्त कर दिया जायेगा और सारे मामले शान्त हो जायेंगे ?

†श्री गो० ब० पन्त : मनीपुर में इस समय कोई आन्दोलन नहीं है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार की ओर से संघीय प्रशासित इन प्रदेशों में जो प्रशासक नियुक्त हैं, उन की इस सम्बन्ध में क्या सम्मति है ?

श्री गो० ब० पन्त : उन की सम्मति भी ली जायेगी ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न । मैं एक प्रश्न पर पचास अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह : माननीय मंत्री ने कहा . . . .

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि दूसरा मामला इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह ऐसा मामला नहीं है जो इस तरह से प्रश्न काल में तय हो जाये । इस संसद् की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होगा । मैं सोलह अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्री ने कहा कि मनीपुर के आन्दोलन का वहां गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की मुक्ति से तथा वहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है । अब उन का कहना है कि वहां कोई आन्दोलन नहीं है और जिन लोगों ने आन्दोलन चलाया था उन्हों ने उसे वापिस ले लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कैदियों को छोड़ने के बारे में विचार करने के लिये तैयार हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न प्रासंगिक है और यहां उत्पन्न नहीं होता ।

श्री प्र० ना० सिंह : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा सकता है ।

श्री प्र० ना० सिंह : यह बहुत जरूरी प्रश्न है ।

†अध्यक्ष महोदय : नहीं जी । अगला प्रश्न । एक ही प्रश्न पर माननीय सदस्य सारा समय नष्ट नहीं कर सकते हैं । हम ने इस पर दस मिनट व्यय कर दिये हैं । यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो माननीय सदस्य संकल्प पेश क्यों नहीं करते ?

†श्री प्र० ना० सिंह : इस सभा के सदस्य वहां निरुद्ध हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो माननीय सदस्य बीच में नहीं बोल सकते । माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यदि कोई मामला महत्वपूर्ण है तो उसे किस प्रकार सभा के समक्ष लाया जाये । माननीय मंत्री का कहना है कि यह मामला विचाराधीन है । इस से अधिक अब क्या किया जा सकता है ? विचार समाप्त होने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी । जब अगले अधिवेशन में हम लोग पुनः मिलेंगे तब तक हमें इस के बारे में और अधिक जान लेना चाहिये । विचार होने से पूर्व यदि वे अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो वे जानते हैं कि उसे किस प्रकार सभा में प्रस्तुत किया जाय । प्रश्नकाल के दौरान प्रत्येक मामले को लाने की कोशिश की जाती हैं । क्या और कोई तरीका या प्रक्रिया नहीं है ? यदि माननीय सदस्य उस पर चर्चा चाहते हों तो वे उस के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें और मैं उस पर विचार करूंगा । यह देखते हुए कि माननीय मंत्री का कहना है कि विषय विचाराधीन है, उन्हें अगले अधिवेशन तक रुकना चाहिये और तब निस्सन्देह हम इस विषय पर चर्चा करेंगे ।

†श्री ब्रजराज सिंह : इस सभा के एक सदस्य निरुद्ध हैं । आज सभा स्थगित हो रही है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य अपने आप को उस स्थिति में रखना चाहे, तो मैं सरकार को यह सलाह कैसे दे सकता हूं कि उसे इस स्थिति में न रखा जाये ?

†श्री प्र० ना० सिंह : आन्दोलन समाप्त हो चुका है और वे माननीय सदस्य अब भी निरुद्ध हैं । यही सारा मामला है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि इस प्रश्न के द्वारा उन लोगों के पक्ष का समर्थन किया जाये जो परिवर्तन चाहते हैं । उन्हें कुछ त्याग करने देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गो० ब० पन्त : मैं यह बताना चाहता हूं कि अगले अधिवेशन में जबकि हम मिलेंगे तब भी विचार समाप्त नहीं होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

†श्री हेम बरुआ : तब हमें कुछ और प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि तब भी विचार समाप्त न हो, तो माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकते हैं । उस में कोई परेशानी नहीं है । अगला प्रश्न ।

शारीरिक व्यायाम शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण सम्बन्धी सामंजस्य समिति

+

*१०८१. { श्री भक्त दर्शन :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शारीरिक व्यायाम शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण की सब योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

तब से समिति ने बम्बई का १२ से १४ अक्टूबर, १९६० तक और मद्रास का १५ से १७ अक्टूबर, १९६० तक दौरा किया है । इन दोनों जगहों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले कार्य को देखने के लिये उन्हों ने अनेक संस्थाओं का निरीक्षण किया । समिति के कार्यक्षेत्र के अधीन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य से सम्बधित कुछ शिक्षाविज्ञों के मौखिक बयान भी उन्होंने लिये । समिति की एक बैठक १५ नवम्बर, १९६० को नई दिल्ली में भी हुई जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशक के और चार संसद् सदस्यों के बयान लिये । इन्होंने समिति क सम्मुख अपने बयान देने की इच्छा प्रकट की थी । समिति को आशा है कि वह मार्च, १९६१ के अन्त तक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे देगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या १०८० के बारे में

†अध्यक्ष महोदय : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । जब यह सभा संविधान में कोई संशोधन कर दे अथवा विधि पारित कर दे तो मैं नहीं समझता कि जो माननीय सदस्य उस से सहमत नहीं हैं वे उस में परिवर्तन के लिये आग्रह करते रहें । माननीय सदस्य प्रत्येक विधेयक के संबंध में संशोधन तो प्रस्तुत कर ही सकते हैं । उन्हें ऐसा एक संशोधन प्रस्तुत कर के देखना चाहिये था कि सभा उसे कहां

†मूल अंग्रेजी में

तक मानती है । यह संभव नहीं है कि सरकार का प्रत्येक कार्य सभी के लिये स्वीकार्य हो । प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है और जब एक बार निर्णय हो जाय तो माननीय सदस्य को उसे मानना चाहिये । तब उस के लिये अथवा अन्य किसी अन्य व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में ले ले और आन्दोलन उठाये । यदि वे ऐसा आन्दोलन उठाते हैं तो सरकार प्रशासन की दृष्टि से उन्हें जेल में बन्द करना ठीक समझती है तो उन्हें उस के परिणाम भुगतने पड़ेंगे । अतः माननीय सदस्य इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि क्या यह ठीक है कि यदि वे इस सभा के मतदान से कोई काम नहीं करा पाते तो वे ऐसे काम करें और प्रश्न काल के दौरान यह मांग करें कि कानून बदलना चाहिये । उन्हें संशोधनकारी विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये और तब हम देखेंगे कि वह पास होता है या नहीं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : इससे एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न उत्पन्न होता है । आप कई बार सभा में यह कह चुके हैं कि हम इस देश में जनतंत्र चला रहे हैं और कुछ लोगों का यह विश्वास है कि उन्हें उन मांगों के लिये शान्तिपूर्वक आन्दोलन करने का अधिकार प्राप्त है जिन्हें वे उचित समझते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । .

†**श्री ब्रज राज सिंह**: जब कुछ व्यक्ति शान्तिपूर्वक तथा अहिंसात्मक रूप में उन मांगों के लिये आन्दोलन कर रहे हों जिन्हें वे उचित समझते हैं, तो सभा में इस प्रकार के अभिकथन करना उचित नहीं है कि ऐसा करना अनुचित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी वर्ग किसी भी कानून में संशोधन के लिये शान्तिपूर्वक ढंग से आन्दोलन कर सकता है । किन्तु मैं तो माननीय सदस्यों की बात कह रहा हूं । क्या उन्हें बहुमत के निर्णय को नहीं मानना चाहिये ? यदि बाहर के लोग कानून में संशोधन करना चाहें तो क्या उन्हें भी उनका अनुगमन करना चाहिये ? होता यह है कि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट विधान के पक्ष में अथवा विपक्ष में मत देना चाहते हैं । जब वे उसे पास कराने अथवा रद्द कराने में सफल नहीं होते और बाहर के लोग उस विषय पर आन्दोलन प्रारम्भ करते हैं, तो वे उस स्थिति का फायदा उठा लेते हैं और यहां यह कहते हुए आते हैं कि कानून बदलना चाहिये । जो काम वे उस समय नहीं कर पा े थे जबकि वास्तविक विधान पर सभा में विचार किया जा रहा था वे आन्दोलन का लाभ उठा कर अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहते हैं । इस सभा के माननीय सदस्यों के पास अन्य उपाय भी हैं । वे उस विशिष्ट अधिनियम पर संशोधन पेश कर सकते हैं और संविधान पर भी संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस में हम अक्सर परिवर्तन करते हैं । कुछ भी सही, प्रश्न काल इस के लिये उपयुक्त अवसर नहीं है । वे संकल्पों द्वारा अथवा चर्चा उठा कर सभा को अपने विचार से सहमत कर सकते हैं । प्रश्न काल के दौरान वे सभा की कार्यवाही में बाधा क्यों पहुंचाते हैं ।?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वस्तुतः प्रश्नकाल को इस काम में लाने का कोई इरादा नहीं था । सिर्फ यह बात थी कि सभा आज स्थगित हो रही है । एक सदस्य वहां निरुद्ध है । जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा आंदोलन समाप्त हो चुका है । मैं नहीं समझता कि उन सदस्य को निरोधावस्था में अधिक रखना किसी प्रकार उचित है । हम अगले दो महीने तक इस विषय को सभा में नहीं उठा पायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा—श्री भक्त दर्शन ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए बताया था कि इस कमेटी की रिपोर्ट दिसम्बर में मिल जायेगी और अब कहा जा रहा है कि मार्च तक मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमेटी ने कोई कारण बताये हैं कि क्यों इतनी देरी लग रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति ने एक प्रश्नावली भेजी थी और सरकार ने यह प्रार्थना की थी कि रिपोर्ट के सम्बन्ध म शीघ्रता की जाये। समिति में इस सभा के और राज्य सभा के कुछ प्रतिष्ठित सदस्य हैं। हम उनसे केवल निवेदन कर सकते हैं। अब उन्होंने वायदा किया है कि मार्च के अन्त तक रिपोर्ट मिल जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस कमेटी ने देश के सभी प्रान्तों का दौरा किया है और यदि नहीं किया है तो क्या शेष प्रान्तों में भी जाने का इसका विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति ने देश के कुछ भागों का दौरा किया है। उनका कुछ भागों का दौरा करने का और विचार है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे देश के सभी भागों का दौरा करें। वे चाहते हैं कि कुछ स्थानों पर कुछ संस्थायें स्थापित हो जायें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वह प्रश्नावली संसद सदस्यों के पास भी परिचालित की गई थी; यदि हां, तो कितने सदस्यों को ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह प्रश्नावली विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा स्कलों को भेजी गयी थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या विश्वविद्यालयों और शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में संसद सदस्यों से परामर्श नहीं किया जाता ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : संसद सदस्यों से समिति ने बातचीत की है और जो कोई संसद सदस्य साक्ष्य देना चाहता हो, तो वह ऐसा कर सकता है।

†**श्री सुबोध सदा** : विवरण से प्रतीत होता हे कि अक्तूबर से आज तक समिति ने केवल दो स्थानों का दौरा किया है माननीय मंत्री ने अभी बताया कि रिपोर्ट मार्च १९६१ के अन्त तक दे दी जायेगी। क्या समिति मार्च १९६१ के अन्त तक रिपोर्ट पेश कर सकेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे विचार में मार्च के अन्त तक रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय इन योजनाओं पर पृथक पृथक कितना व्यय हो रहा है और सामंजस्य स्थापित हो जाने पर क्या इस व्यय में कोई कमी हो जायेगी, यदि हां, तो कितनी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जब कमेटी की रिपोर्ट आयेगी तभी इस मामले पर गौर किया जा सकता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पृथक पृथक अभी कितना व्यय हो रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उसका व्यौरा तो अभी मेरे पास नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री यादव नारायण जाधव : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल के संचालक ने भी साक्ष्य दिया। क्या उन्होंने समिति से कहा है कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल देश के सभी माध्यमिक स्कूलों में आरम्भ कर दिये जायें ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य को समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री भक्त दर्शन : क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस कमेटी की रिपोर्ट शासन को मिलेगी, तो उस पर निर्णय करने से पूर्व इस सदन के सदस्यों की राय इस सम्बन्ध में ली जा सकेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं जब तक रिपोर्ट देख नहीं लूं इस मामले में कोई वादा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी काम होंगे उन सब में माननीय सदस्यों से परामर्श करने का जब भी मौका मिलेगा, उससे लाभ उठाया जायगा। परामर्श करने का मौका मिलता ही रहता है, अब बजट आयेगा, उस वक्त भी इस मामले में राय जाहिर करने का मौका मिलेगा।

औद्योगिक संस्थापन

†*१०८२. + श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के छुट्टी सम्बन्धी अधिकारों के बारे में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक संस्थापनों में असमानता दूर करने के मामले पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के छुट्टी सम्बन्धी अधिकारों के बारे में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अभी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं। मैं इतना और कहना चाहता हुं कि विचार लगभग किया जा चुका है और शीघ्र ही आदेश निकाले जाने की संभावना है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : इन सब सिफारिशों को कार्यान्वित करने में लगभग कितना धन अधिक व्यय होने लगेगा ?

†श्री रघुरामैया : जब निर्णय हो जायेगा तभी उसके अनुसरण में उसका हिसाब लगाया जायेगा।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाशन के बाद गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की छुट्टी तथा आकस्मिक छुट्टी की रियायतें कम कर दी गईं

†मूल अंग्रेजी में

और औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में जहां वेतन आयोग ने ५ से ७ और १४ से १६ की वृद्धि का सुझाव दिया हैं, उसकी कार्यान्विति नहीं की गई है; यदि हां, तो देरी क्या है और इतनी देरी क्यों की गई है जबकि प्रधान मंत्री ने स्वयं यह कहा था कि इसे पंचाट के रूप में माना गया है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं बता चुका हूं कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आदेश जारी किये जाने वाले हैं। मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वे थोड़ा और धैर्य रखें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या कमी करने का विचार किया जा रहा है अथवा वृद्धि करने का या फिर वैसी ही स्थिति कायम रखी जायेगी ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं यदि माननीय मित्र यह चाहते हों कि मैं पहले से निर्णयों का अनुमान लगाऊं, तो मेरे लिये यह बहुत कठिन होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मंत्रालय की समिति वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में विचार कर रही है अथवा उनमें कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है और अभी से यह बताना कठिन है कि सरकार के अन्तिम निर्णय क्या होंगे।

मध्यपूर्व के तेल पैदा करने वाले देशों का सम्मेलन

\+

†*१०८३. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हेम बरुआ :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि तेल के बाजार में खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में रूस के आ जाने के फलस्वरूप तेल के घोषित मूल्य में होने वाली कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए मध्य पूर्व के तेल उत्पादन करने वाले देशों और तेल कम्पनियों की एक बैठक हुई है;

(ख) क्या भारत को इस बैठक में प्रेक्षक के तौर पर बुलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक से अन्तिम परिणाम क्या निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) मध्य पूर्व के पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का एक सम्मेलन मध्य पूर्व में तेल के घोषित मूल्यों में कमी से उत्पन्न होने

†मूल अंग्रेजी में

वाली स्थिति पर चर्चा करने के लिये १० से १४ सितम्बर, १९६० तक बगदाद में हुआ था। सम्मेलन में तेल समवाय उपस्थित नहीं थे और न यह स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया के तेल बाजार में रूस के आ जाने के परिणामस्वरूप पैदा हुई है। तेल उत्पादन देशों तथा तेल समवायों के प्रतिनिधि दूसरे अरब पैट्रोलियम कांग्रेस में भी आये थे जिसकी बैठक बेरूत में १७ और १८ अक्तूबर, १९६० के बीच हुई थी; इस कांग्रेस में भी अन्य विषयों के साथ-साथ समवायों द्वारा कच्चे तेल के घोषित मूल्य में कमी पर चर्चा की थी।

(ख) भारत बगदाद सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था किन्तु भारत से प्रेक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेरूत में दूसरे अरब पैट्रोलियम कांग्रेस में भाग लिया था।

(ग) पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने बगदाद के सम्मेलन में केवल पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के स्थिरीकरण तथा अगस्त, १९६० में तेल समवायों द्वारा की गई कमी से पूर्व प्रचलित मूल्यों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में विचार किया था और साथ साथ यह सिफारिश की कि उत्पादन का विनियमन कर दिया जाये ताकि उत्पादक देशों को स्थायी आय हो सके। बेरूत में दूसरी अरब पैट्रोलियम कांग्रेस ने भी तेल समवायों द्वारा तेल के घोषित मूल्यों की एक पक्षीय कमी के प्रति अरब देशों की अस्वीकृति जाहिर की तथा पैट्रोलियम की रियायतों की शर्तों में सुधार के लिये अरब देशों के प्रयत्नों तथा उनकी मांग का समर्थन किया और अरब राष्ट्रजनों को प्रविधिक, आर्थिक तथा कानूनी अध्ययन की बड़े पैमाने पर सुविधायें देने की सिफारिश की।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : तेल के व्यापार में रूस के आ जाने के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशिया में तेल के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि तेल के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नये नये देश आ गये हैं। अन्य तेल समवायों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के अलावा सोवियत रूस, इटली और फ्रांस ये तीन देश भी इस व्यापार में घुस गये हैं। अतः यह कहना कठिन है कि सोवियत रूस के आ जाने से तेल के मूल्य घटने लगे हैं। कुछ अन्य बातें भी हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : यह देखते हुए कि मुख्य तेल समवायों तथा पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देशों के बीच मूल्य संबंधी विवाद में भारत अन्तर्ग्रस्त है और यह देखते हुए कि अरब देशों में भारत के विरुद्ध काफी रोष है जैसाकि बेरूत सम्मेलन से स्पष्ट है, क्या हमारे प्रेक्षकों ने इस सम्मेलन में भारत की स्थिति स्पष्ट की थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं, उस से अधिक उन्हें मालूम है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : किन्तु दुर्भाग्य से जानकारी सही नहीं है। एक बात तो यह है कि भारत विवाद में अन्तर्ग्रस्त नहीं है। दूसरे, इन अरब देशों में भारत के विरुद्ध रोष नहीं है। यह भारत के लिये बड़ा खतरनाक है कि वह उस स्थिति का दावा करे जो उसे प्राप्त नहीं है। भारत में तेल की खपत बहुत कम है और यह कल्पना करना कि वह किसी को प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है, गलत है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले कर भारत अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकेगा? क्या इस सम्मेलन में यह बात उठी थी कि भारत भी इस समस्या से दो चार है, जैसाकि श्री हेम बरुआ ने कहा है? क्या पर्यवेक्षक इस सम्बन्ध में भारत की स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : हमें व्यर्थ चिन्ता नहीं करनी चाहिये । मैं बता चुका हूं कि हम इस विवाद में ग्रस्त नहीं हैं और हमारे बारे में किसी को गलतफहमी नहीं है, हमें स्वयं अपने बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिये ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि झगड़े का मूल यह है कि तेल कम्पनियों ने वास्तव में रायल्टी की रकम कम कर दी है, जो वे तेल-उत्पादक देशों को अदा करते हैं और इस के लिये यह तर्क दिया गया है कि दुनिया की मंडी में तेल की कीमतें गिर गयी हैं, और बेरूत में हुए दूसरे सम्मेलन में किये गये इस निश्चय को देखते हुए कि और कमी नहीं की जायेगी—जिसे मूल्यों में स्थायित्व लाना कहा जाता है—क्या इस निश्चय से भारत पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां पर इन ब्रिटिश और अन्य तेल कम्पनियों ने यह फैसला किया है कि वे इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप कीमतों और कमी नहीं करेंगे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : सम्मेलन में ऐसे निश्चय नहीं किये गये, जिन को मानने के लिये उत्पादक और तेल कम्पनियां बाध्य हैं । यह कहा जा सकता है कि तेल उत्पादक देशों और तेल कम्पनियों के बीच हितों का कुछ विरोधी अथवा समानता है । कई बार ये हित आपस में टकराते हैं और कई बार सांझे बन जाते हैं । अतः उत्पादक देशों द्वारा प्रकट किये गये मत की आलोचना करने का अथवा उस पर टिप्पणी करने का हमारा कोई काम नहीं । हम सतर्कतापूर्वक इस बात का ध्यान रखते हैं कि उपभोक्ता के रूप में हमारे हितों पर कोई आंच न आये ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि बेरूत में आम राय यह थी कि तेल के घोषित (पोस्टेड) मूल्यों में 'ब्रेक' रियायतों से बहुत अधिक है और कुछ मुख्य तेल कम्पनियों द्वारा इस देश के तेल शोधक कारखानों में अशोधित रूसी तेल साफ करने से इन्कार करने के पश्चात् भारत को जो रियायतें दी गयी थीं, वे इसी कारण थीं ? क्या मैं जान सकता हूं कि यह मामला सम्मेलन के सामने विशेष रूप से आया था, और यदि हां, तो क्या सम्मेलन में हमारी स्थिति स्पष्ट की गई थी अथवा नहीं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इस प्रकार क्यों सोच रहे हैं । हम अपनी तेल-नीति के बारे में किसी भी देश को स्पष्टीकरण करने के लिये बाध्य नहीं हैं । हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये ।

जहां तक इस प्रश्न का वहां पर उत्पन्न होने का प्रश्न है—तेल उत्पादक देशों और तेल कम्पनियों के बीच—यह एक प्रकार से उन का घरेलू मामला है । यह उन लोगों का आपसी झगड़ा है, जो एक महत्वपूर्ण और मूलभूत उद्योग में काम कर रहे हैं । यह कहना गल्त होगा कि भारत में अथवा किसी अन्य देश में तेल की कीमतों में जो मन्दा आया है, वह रूसी तेल के मार्केट में आने के कारण है । मैं ने यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि इस के लिये और भी बहुत सी बातें हैं जैसे, दुनिया में कुल मिला कर उत्पादन का अधिक होना और दूसरे यह गलत धारणा कि विश्व-माकट का विस्तार उतनी तेज़ी से होगा, जितना कि तेल-उत्पादकों का अनुमान था । इस का विस्तार इतनी तेज़ी से नहीं हुआ और इस से उत्पादन आवश्यकता से अधिक बढ़ गया ।

†श्री हेम बरुआ : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान . . . .

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के पास पूछने के लिये इतनी बातें हैं कि उन्हें इन्हें अन्य प्रश्नों के लिये रक्षित रखना चाहिये ।

†श्री हेम बरुआ : जो वक्तव्य . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मैं उन्हें प्रश्न-काल पर एकाधिकार जमाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री सुबिमन घोष** : हमें माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि भारत से पर्यवेक्षकों के दल ने सम्मेलन में भाग लिया था। क्या मैं जान सकता हूं कि सम्मेलन में जाने का क्या उद्देश्य था, क्या भारत सम्मेलन के निश्चयों को प्रभावित करने की स्थिति में था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जैसा कि नाम से प्रकट है, इसका उद्देश्य यह देखना था कि वहां पर क्या हो रहा है। पर्यवेक्षक सामान्यतः प्रभाव नहीं डालते, और इस सम्मेलन में अरब देशों और तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे । यह देखना हमेशा अच्छा रहता है कि क्या हो रहा है । यह आवश्यक नहीं है कि हम उन पर प्रभाव डालें । हम वहां पर उन्हें प्रभावित करने नहीं गये थे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस से एक बात उत्पन्न होती है । मैं यह जानना चाहती हूं कि बेरूत सम्मेलन में मूल्यों को स्थिर करने का जो निर्णय किया गया है, क्या उस से हमारे देश में मूल्यों में कमी करने का प्रश्न और पेचीदा बन जायेगा, क्योंकि अरब देश भी इस मामले में एक पार्टी हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: यह बात समझ में आ सकती है कि अरब देशों की इच्छा है कि उन्हें अधिकतम आय हो । दरअसल यह हमारा काम नहीं कि हम उन के रवैये की आलोचना करें । किन्तु आज की दुनिया में तेल एक ऐसी चीज नहीं जिस की कीमतों पर एक पक्षीय निश्चयों से सरलता-पूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है । दुनिया में अन्य भी कारक हैं और भी देश हैं जो मार्केट में हैं । तेल की कीमतों पर इन चीजों का गहरा प्रभाव पड़ता है ।

कोरबा कोयला क्षेत्र

+

†*१०८४. {**श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोरबा कोयला क्षेत्र की भूमिगत खानों के बारे में परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या इन खानों की कोयले की संभाव्यता का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, हां । मूल्यांकन किया गया है और मैं वह जानकारी पहले दे चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में विनियोजित ब्रिटन की पूंजी

*†१०८५. { श्री साधन गुप्त :
श्री प्र० के० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय ब्रि`न की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) उपरोक्त पूंजी और—

(१) हमारे देश में लगी कुल विदेशी पूंजी तथा ;

(२) हमारे देश में लगी कुल पूंजी,

में क्या अनुपात है ;

(ग) १५ अगस्त, १९४७ को भारत में ब्रिटेन की कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी और उस तारीख को उस में और—

(१) कुल विदेशी पूंजी तथा,

(२) कुल पूंजी

में क्या अ ुपात था ; और

(घ) किन-किन उद्योगों में अतिरिक्त ब्रिटिश विनियोजन किया गया है ?

†वित उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वर्ष १९५८ के अन्त में ३९८·०३ करोड़ रुपये ।

(ख) (१) ६९.८ प्रतिशत

(२) वर्ष १९५८ के अन्त में संगठित निगमित क्षेत्र में लगी प्राक्कलित पूंजी का २१.७ प्रतिशत ।

(ग) १५ अगस्त, १९४७ की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

तथापि ३० जून, १९४८ को यह २०६·०२ करोड़ रुपये थी ।

(१) जून, १९४८ को ८०·५ प्रतिशत

(२) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) मुख्यत: पेट्रोलियम और निर्माण उद्योगों में और बागानों में ।

†श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन निर्माण उद्योगों में यह विनियोजन किया गया है, वे पूंजी वस्तुओं की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : यह बात बताना कठिन है । परन्तु जैसा सदन को ज्ञात है, सारे विनियोजन सदन द्वारा स्वीकृत और योजना में सम्मिलित नीति द्वारा नियंत्रित हैं । ऐसा नहीं है कि यह सब उपभोक्ता उद्योगों में ही हों क्योंकि इस को कम प्राथमिकता दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश व्यापार आयुक्त, श्री एफ० टी० वार्ट, के बम्बई में दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वर्ष १६४७ से ब्रिटिश विनियोजन दुगना हो गया है ; और यदि हां, तो क्या वह सच है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ऐसा कहा है । वर्ष १६४८ में यह २०६ करोड़ रुपये था और वर्ष १६५८ में यह ३६८ करोड़ रुपये था ।

†**श्री त्यागी** : क्या भारत में विदेशी विनियोजन पर योजना आयोग अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है; और यदि हां, तो वह अधिकतम सीमा क्या है ? मेरा प्रश्न इसलिये उत्पन्न होता है क्योंकि सभी प्रकार के सहयोगों को निर्वाध रूप से इजाजत दी जाती है । भारत का विदेशों द्वारा कब तक शोषण किया जाता रहेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इन सहयोगों में शोषण कोई नहीं है । सहयोग की वहीं आज्ञा दी जाती है जो योजना के भीतर हो और सरकार उसे आवश्यक समझे, अन्यथा नहीं । कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : यह सच है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार भारत में विनियोजन की आज्ञा के लिये विदेशी पूंजी की रकम के बारे में किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, कोई नहीं । अगला प्रश्न ।

†**श्री त्यागी** : यह एक सम्बन्धित प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक विशेष कार्य कराना चाहते हैं । वह केवल जानकारी मांग सकते हैं । मैंने उन्हें कई बार प्रश्न दोहराने को कहा । मंत्री महोदय ने बताया कि कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है । माननीय सदस्य सरकार पर इस बात का जोर डालना चाहते हैं कि अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये । वह उसके लिये अन्य अवसर पर कह सकते हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : लाभ के तौर पर ब्रिटेन को कितनी रकम भेजी गयी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उसके लिये मुझे पृथक सूचना चाहिये ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ विदेशी सहयोग की परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने में असामान्य विलम्ब होता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उसमें कोई विलम्ब नहीं होता ।

†**श्री विमल घोष** : मैं देखता हूं भारत में विदेशी विनियोजन में वृद्धि हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि किस देश में विदेशी विनियोजन में अधिक वृद्धि की है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : एक देश जिससे विनियोजन में वृद्धि हो रही है, अमरीका है । वर्ष १६४८ में अमरीकी विनियोजन ११.१७ करोड़ रुपये था । दिसम्बर, १६५८ के अन्त में यह ५६.८५ करोड़ रुपये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनियों और पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

*१०८६. श्री पद्म देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६० से लेकर ३१ अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में भारत में कितने चीनी और पाकिस्तानी नागरिक बिना पारपत्र अथवा जाली पारपत्र के गिरफ्तार किये गये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : त्रिपुरा के अतिरिक्त, जहां से सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इस अवधि में पकड़े गये पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या ५,५५२ है । इस आधार पर किसी चीनी नागरिक की गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि इसी काल में हिन्दुस्तान में बिना पासपोर्ट के कितने चीनी और पाकिस्तानी थे ?

श्री गो० ब० पन्त : जो इस बीच में आये उनके बारे में आपका सवाल था । उसका जवाब मैं ने दिया जो कि बिना पासपोर्ट के आये, और फिर वैसे पाकिस्तानियों की संख्या काफी है जो पासपोर्ट लेकर आये हैं या जिनको इजाजत मिली हुई है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पहले के आये हुए हैं जब कि पासपोर्ट का कोई सवाल था ही नहीं । मगर जब कभी कोई ऐसी बात मालूम होती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो फारिनर्स ऐक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाती है ।

श्री पद्म देव : जब कि हिन्दुस्तान में कई जगह ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, बम की और दूसरी, तो ऐसे हालात में जो लोग बिना पासपोर्ट के ठहरे हुए हैं या आते हैं उनके सम्बन्ध में सरकार उपेक्षा वृत्ति से क्यों काम लेती है ?

श्री गो० ब० पन्त : कोई उपेक्षा वृत्ति नहीं की जाती । ५,५५२ आदमी आये और उनमें से ४,३०२ को सजा हो चुकी है । यह तो उपेक्षा वृत्ति की निशानी नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी पीछे गृहमंत्री जी ने एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि भारत में जो पाकिस्तानी पारपत्र लेकर आये थे उनकी अवधि समाप्त होने के पश्चात् जो भी अनियमित रूप से भारत में रह रहे हैं ऐसे पाकिस्तानियों की संख्या पंजाब प्रदेश को छोड़ कर पांच हजार से कुछ ज्यादा है, और गृह मंत्री जी ने यह भी कहा था कि ऐसे भी पाकिस्तानी भारत में हैं जो अराष्ट्रीय कार्रवाई कर रहे हैं । तो क्या हजारों की संख्या में इस प्रकार के व्यक्तियों का रहना भारत के हित में है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं शीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती ?

श्री गो० ब० पन्त : यह कब कहा था । इस वक्त या पहले ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: इसी अधिवेशन में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था ।

श्री गो० ब० पन्त : तो उसका उत्तर भी उसी दिन दे दिया होगा जब और सवाल किये गये होंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ५००० व्यक्तियों को यहां बिना पासपोर्ट के क्यों रहने दिया जा रहा है । यदि यह संख्या ठीक है, तो वह यह जानना चाहते हैं कि इतने अधिक व्यक्तियों को यहां क्यों ठहरने दिया जा रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गो० ब० पन्त : ये वे व्यक्ति हैं जो देश में बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने के लिये गिरफ्तार किये गये थे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। उनमें से बहुतों को दण्ड दिया जा चुका है। जब कभी भी बिना पासपोर्ट आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जाती है।

श्री वाजपेयी : हजारों की संख्या में पाकिस्तानी बिना पासपोर्ट के भारत में रहते हैं अथवा पारपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद भी यहां बने रहते हैं, क्या इस तथ्य को पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेलमार्ग जारी करने का निर्णय करते समय ध्यान में रखा गया था ?

श्री गो० ब० पन्त : रेलमार्ग तो अभी जारी नहीं हुआ है।

†श्री वाजपेयी : वह निर्णय सभा में बताया गया था।

†अध्यक्ष महोदय : परन्तु इसके लिये यह मंत्रालय जिम्मेवार नहीं है।

†श्री वाजपेयी : क्या हम यह समझें कि रेलवे मंत्रालय प्रश्न के सब पहलुओं पर विचार करने के बगैर निर्णय कर लेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : वे इस पर बाद में एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†श्री गो० ब० पन्त : मैं भी उत्तरदायी हूं।

†श्री वाजपेयी : मंत्री महोदय का कहना है कि वे भी उत्तरदायी हैं।

†श्री गो० ब० पन्त : जी, हां। सरकार के एक सदस्य के रूप में।

†श्री वाजपेयी : क्या मैं दुबारा प्रश्न पूछूं ?

†श्री विमल घोष : एक पूर्व अवसर पर सरकार ने एक घोषणा की थी कि इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†श्री गो० ब० पन्त : मैं श्री घोष का प्रश्न समझ नहीं पाया हूं।

†अध्यक्ष महोदय : हम एक प्रश्न से दूसरे पर जा रहे हैं। हमें अन्य प्रश्न पर नहीं जाना चाहिये, चाहे वह कितना ही संगत क्यों न प्रतीत होता हो।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में ५००० के लगभग पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं जो बिना पासपोर्ट के पाये गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उनको वापस उनके देश भेजना चाहती है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या उनको वापस उनके देश भेजा जायेगा ?

†श्री गो० ब० पन्त : जी, हां।

छतर मंजिल महल, लखनऊ

†*१०८७. श्री रतो लाल चौधरी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री लखनऊ के छतर मंजिल महल में दरारों के बारे में ९ सितम्बर, १९६० को लोक-सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छतर मंजिल की सुरक्षा और केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्था (सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट) को वहां रखने या न रखने के प्रश्न की विस्तृत जांच पड़ताल करने के लिए विशेषज्ञों की जो विशेष समिति नियुक्त की गयी थी, क्या उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है और उस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) समिति ने जांच पड़ताल पूरी कर ली है और उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) अभी विस्तृत व्यौरा उपलब्ध नहीं है।

श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं समिति के कुछ मुख्य निष्कर्ज बताता हूं। पहला निष्कर्ष यह है कि गोमती नदी में हाल ही की अप्रत्याशित बाढ़ ने इसके ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। दूसरे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इमारत कितनी पुरानी है, कुछ दरारों के अलावा बेसमेन्ट सुरक्षित अवस्था में हैं। तीसरे, समिति ने इस गुम्बद पर विचार करके इसको सुरक्षित घोषित कर दिया है। चौथे, समिति ने यह सिफारिश की है कि तैराकी तालाब के विस्तार के ऊपर मूलतः प्रस्तावित दबाये हुए कंक्रीट के स्लैब के स्थान पर दबी हुई कंक्रीट के प्लेटों की छत बनायी जाये।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या समिति ने मिट्टी के नमूने लिये हैं और यह जांच की है कि क्या मिट्टी में कोई खराब करने वाला नमक तो नहीं है और क्या यह वर्तमान इमारत को संभालने के योग्य है ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैंने बताया है कि यह समिति विशेषज्ञों की समिति है और इसने बताया है कि इमारत का ढांचा सुरक्षित है इन सब बातों पर माननीय सदस्य की अपेक्षा, जो विशेषज्ञ नहीं हैं, विशेषज्ञों की समिति ने अधिक विचार किया होगा।

†श्रीमती इला पालचौधरी : मैं मानती हूं कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। परन्तु दो गुम्बद गिरा दिये गये हैं। पर्यटक रुचि के दृष्टिकोण से छतर मंजिल के लिहाज से इन दो गुम्बदों को सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्य किया जा रहा है ?

†श्री हुमायून् कबिर : प्रथम तो यह अब एक विज्ञान की प्रयोगशाला है और इसलिये इसके बारे में प्राचीन समय की रुचि का कम महत्व है। हम इस इमारत को पूर्ण रूप से आधुनिक तरीके की भी बनाना चाहते हैं और उसे प्राचीन इमारत के रूप में सुरक्षित रखना नहीं चाहते।

†श्रीमती इला पालचौधरी : हमें बताया गया है कि इमारत पर १४ लाख रुपये और उपकरणों पर २० लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इसको बिल्कुल सुरक्षित बनाने के लिये कितना धन और खर्च किया जायेगा ताकि यह २० लाख रुपया बरबाद न हो जाये ?

†हुमायून् कबिर : माननीय सदस्य ने मेरी बात सुनी ही नहीं। विशेषज्ञ समिति ने इसे सुरक्षित बताया है। मैं नहीं जानता कि अब भी माननीय सदस्य यह कैसे कह रही हैं कि यह सुरक्षित नहीं है।

बरौनी का तेल शोधक कारखाना

\+

†*१०८८. { श्री प्र० के० देव :
श्री रामी रेड्डी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस तेल शोधक कारखाने की वार्षिक उत्पादन-क्षमता क्या है और उसमें क्या-क्या उपोत्पाद और कितनी मात्रा में तैयार किये जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** :(क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०१]**

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण से पता चलता है कि पहला बरौनी यूनिट अक्तूबर, १९६२ तक चालू होगा और दूसरा यूनिट अप्रैल, १९६३ तक चालू होगा । इस तेल शोधक कारखाने के ठीक ढंग से कार्य करने के लिये, तेल क्षेत्रों से बरौनी तक तेल ले जाने वाली पाइप लाइनें रूरकेला में बनायी जायेंगी । अतः रूरकेला में पाइप लाइनों के निर्माण में क्या प्रगति की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : रूरकेला में पाइप लाइन बनायी जा रही हैं । मैं माननीय सदस्य को जो उसी राज्य के हैं, यह सुझाव दूंगा कि वह नयी पाइप मिल में स्वयं जाकर देखें जहां ये बनायी जा रही हैं ?

†**श्री प्र० के० देव** : क्या तैयार किये गये माल के परिवहन के लिये बरौनी से दिल्ली तक पाइप लाइन डालने का कोई प्रस्ताव है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसा सोचा जा रहा था परन्तु मैं नहीं समझता कि इस विचार को अभी प्रस्ताव का रूप दे दिया गया है ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या यह सच है कि बरौनी के तेल शोधक कारखाने के लिये मूलतः जो जगह चुनी गई थी उसे अनुपयुक्त पाया गया है और उसके विकास के लिये ८ करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूल जगह में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है, और क्या इसको नूनमती में तेल शोधक कारखाने के साथ मिलाने का प्रस्ताव है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तेल शोधक कारखाने की जगह को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । माननीय सदस्य ने जिस आठ करोड़ रुपये के खर्च का जिक्र किया है, वह ठीक नहीं है । उस जगह पर कुछ मिट्टी का काम किया जाना है जिसके लिये प्रविधिक मंत्रणा ले ली गयी है । जगह को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि मूल जगह को अनुपयुक्त पाया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, नहीं ।

†**श्री मुरारका** : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि वहां पर कुछ मिट्टी का कार्य किया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि मिट्टी के कार्य पर कितनी लागत आयेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे ठीक आंकड़े मालूम नहीं हैं । सम्भवतः ५० लाख रुपये के करीब लागत आयेगी परन्तु मैं निश्चित रूप से कोई आंकड़े नहीं बता रहा हूं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या तेल मंत्री, श्री के० दे० मालवीय, ने उस स्थान का हाल ही में दौरा यह देखने के लिये किया था कि क्या बरौनी में भूमि को ५ अथवा ६ फुट से भी अधिक भरा जायेगा ? यदि हां, तो क्या उसके लिये व्यवस्था कर दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ग सिंह : सामान्तः किसी मंत्री का दौरा कोई प्रविधिक कमी पूरी करने के लिये नहीं होता। यह तो प्रविधिज्ञों और इंजीनियरों का काम है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि क्या क्या इंजीनियरी कार्य, मिट्टी के कार्य अथवा नींव सम्बन्धी कार्य आदि किये जाने हैं। समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली कुछ रिपोर्टों से लोगों को कुछ गलतफहमी हो गयी थी। मेरे साथी, श्री के० दे० मालवीय उस स्थान पर गये और फिर उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि स्थान को बदला नहीं जा रहा है।

†श्री महन्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बरौनी में तेल शोधक कारखाने को पूरा करने में मल समय-सूची के अनुसार कोई विलम्ब हुआ है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : समय-सूची यहां दी गयी है। किसी मूल समय-सूची, दूसरी समय-सूची और तीसरी समय-सूची का कोई प्रश्न ही नहीं है।

†श्री हेम बरुआ : जहां तक उत्पादन के तरीके का सम्बन्ध है, क्या सरकार बरौनी तेल शोधक कारखाने और नूनमती तेल शोधक कारखाने के बीच समानता रखेगी ?

†सरदार स्वर्ग सिंह : विवरण के पृष्ठ संख्या २ पर वार्षिक उत्पादन का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है।

†श्री हेम बरुआ : यह मेरे पास है। मैं उनसे यह जानना चाहता था कि क्या नूनमती तेल शोधक कारखाने में उत्पादन के तरीके और बरौनी तेल शोधक कारखाने में उत्पादन के तरीके में कोई समानता रखी जायेगी। मैं दोनों तेल शोधक कारखानों की सारी स्थिति जानना चाहता था।

†सरदार स्वर्ग सिंह : सारी स्थिति विवरण में बताई गयी है। इसके पीछे कोई 'थ्योरी' नहीं है। वास्तव में मैंने आंकड़े दिये हैं कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में इतने मोटर गैसोलीन का उत्पादन किय ाजायेगा, इतने जेट ईंधन का उत्पादन किया जायेगा, इतने बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल का उत्पादन किया जायेगा आदि। नूनमती के बारे में भी हम ने उत्पादन का तरीका बताया है। आप इसे समानता कहिये या जो मर्जी कहिये।

†श्री ० के० देव : विवरण से पता चलता है कि कुछ रेलवे साइडिंग बनायी जा रही हैं क्या हम यह समझें कि रेलवे साइडिंग पूर्वोत्तर रेलवे की मीटर लाइन और पूर्व रेलवे की बड़ी लाइन की होंगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में बात यह थी कि मीटर लाइन और बड़ी लाइन वहां मिलती हैं। ये संचालन सम्बन्धी बातें हैं कि मीटर लाइन कितनी लम्बी होगी और बड़ी लाइन कितनी लम्बी होगी। परन्तु वहां पर एक लाइन से दूसरी पर माल ले जाने के लिये अच्छी रेलवे सुविधायें हैं।

†श्री प्र० चं० बरुआ : बरौनी के कच्चे तेल से जो गैस उपलब्ध होगी, उसका किस प्रकार उपयोग किया जायेग ?

†सरदार स्वर्ग सिंह : वह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु पहले दिन मेरे साथी श्री के० दे० मालवीय ने गैस के इस्तेमाल के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुआ : बरौनी तेल शोधक कारखाने से क्या क्या उपोत्पाद उपलब्ध होंगे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : वे सब विवरण के पृष्ठ संख्या २ पर बताये गये हैं। मैंने उसमें १४ चीजें बतायी हैं और यदि माननीय सदस्य उनको ध्यान से पढ़ें तो उनको सब जानकारी मिल जायेगी।

कोरसिया कोयला खानों के लिए मशीनरी का आयात

†*१०८९. श्री सुबिमन घोष : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरसिया कोयला खानों के लिए अभी हाल में भारी मशीनरी (ड्रैग लाइन) आयात की गयी थी और बहुत से वैगनों में लाई गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह एशिया में अपने ढंग की पहली है;

(ग) उसकी क्या कीमत है और उसे कोयला खानों तक ले जाने में क्या खर्च पड़ा;

(घ) क्या उसे चालू करने के लिए अमरीकी विशेषज्ञ आये थे;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें क्या पारिश्रमिक दिया गया और उन्होंने कितने दिन काम किया;

(च) क्या वह मशीनरी चालू हो गयी है; और

(छ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) मशीन का मूल्य कलकत्ता पत्तन पर लागत-बीमा-भाड़ा सहित ३८.३८ लाख रुपये है। पत्तन से कोयला खान तक इसको ले जाने में लगभग ८६ हजार रुपये खर्च आये।

(घ) जी, हां। भारी मशीनरी (ड्रैग लाइन) के लगाने के काम का पर्यवेक्षण करने के लिये एक विशेषज्ञ ने अप्रैल से अगस्त, १९६० तक ४ महीने काम किया।

(ङ) ठेके की शर्तों के अधीन, मशीन को स्थान पर 'एसेम्बल' करने और लगाने के काम की देखभाल करने के लिये अमरीकी विशेषज्ञ को कुछ नहीं देना है।

(च) जी, नहीं।

(छ) मशीन लगा दी गयी है। उसमें बिजली लगाना बाकी है। इस कार्य के लिये बिजली लगभग एक महीने में उपलब्ध होगी। आवश्यक समायोजन और परीक्षण के बाद, मशीन के जनवरी, १९६१ के अन्त तक या उसके तत्काल बाद चालू होने की आशा है।

†श्री सुबिमन घोष : क्या यह सच है कि जिस बिजलीघर में यह मशीन लगेगी, उसे अमरीकी विशेषज्ञों ने छोटा बताया है और यह कहा है कि इसमें मशीन नहीं लग सकेगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इसका मुझे पता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय जलवर्णना ब्यूरो

†*१०९१. **श्री कालिका सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय जलवर्णना ब्यूरो (इन्टरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो) का स्वरूप, गठन और कार्य प्रणाली क्या है और भारत में उसकी क्या कार्यवाहियां हैं ;

(ख) कौन कौन से भारतीय कर्मचारी उस विभाग से सम्बन्धित हैं और उससे भारत को क्या लाभ है ; और

(ग) भारत में वह विभाग कब से और किस प्राधिकार के अधीन काम कर रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०२]**

†**श्री कालिका सिंह** : सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह पता चलता है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय जलवर्णना ब्यूरो का सदस्य १९५६ में बना था और भारत के एक प्रतिनिधि ने वर्ष १९५७ में ब्यूरो की बैठक में भाग लिया । यह भी कहा गया है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में निरन्तर प्रगति हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि उसमें जिन देशों का प्रतिनिधान है क्या उसमें चीन (क्योमिन्तांग) और दक्षिण कोरिया भी हैं परन्तु उसमें चीन और उत्तर कोरिया नहीं है ? क्या इसका अर्थ यह है कि कुछ विशेष देशों ही के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग हुआ है और अन्य देशों के साथ नहीं ?

†**श्री रघुरामैया** : वह तर्क का विषय है। हमने उन सब देशों की पूरी सूची दे दी है, जो सदस्य हैं। अब इसका कुछ ही मतलब निकालना एक भिन्न विषय है ।

†**श्री कालिका सिंह** : जब इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो फिर भारत १९५६ में इस अन्तर्राष्ट्रीय जलवर्णना ब्यूरो में क्यों शामिल हुआ ?

†**श्री रघुरामैया** : वह बात बिल्कुल ठीक नहीं है । विवरण में इस ब्यूरो के सदस्य बनने के लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया है । हमें विभिन्न प्रकाशनों आदि से परामर्श और प्रविधिक सहायता मिलती रहती है । इस ब्यूरो के सहयोग से ही हम अपने जलवर्णना सर्वेक्षण को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बना पाये हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : देहरादून में एक नौसैनिक संयंत्र है जो सामुद्रिक सर्वेक्षण करता है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह अपना काम इस अन्तर्राष्ट्रीय जलवर्णना ब्युरो के साथ मिलाता है ?

†**श्री रघुरामैया** : इस देश में अपने कार्य के लिये हम ब्यूरो से जो भी प्रविधिक सहायता या सलाह ले सकते हैं, निश्चित रूप से लेते हैं ।

धातु मिश्रित और औजारी इस्पात बनाने का कारखाना

†*१०९२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में स्थापित किये जाने वाले धातु मिश्रित इस्पात के कारखाने के लिये विदेशी शिल्पिक और वित्तीय सहयोग के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). दुर्गापुर में प्रस्तावित धातुमिश्रित इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये विदेशी प्रविधिक और वित्तीय सहयोग का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुछ विदेशी फर्मों ने उत्पादन सम्बन्धी जानकारी और संयंत्र के संचालन में भारतीय व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये अपनी प्रविधिक सेवायें उपलब्ध करने का प्रस्ताव किया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार ने इन विदेशी सार्थों के प्रस्ताव पर विचार किया है और यह तै कर लिया है कि उत्पादन सम्बन्धी जानकारी देने के लिये किस सार्थ को चुना जाये ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : उस पर धातुमिश्रित इस्पात कारखाने के परियोजना प्रतिवेदन के उपलब्ध होने के बाद विचार किया जायेगा।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इसका परीक्षण कर रहा है। वह एक उपयुक्त सार्थ से 'प्रविधिक जानकारी' प्राप्त करने के बारे में व्यवस्था कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हमारी सरकार को इसके लिये किसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि हां, तो क्या वह उस विदेशी मुद्रा के लिये किसी विदेशी सरकार की सहायता लेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस परियोजना की स्थापना करने के लिये हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और इस परियोजना के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी एक भाग के लिये हमें मित्र देशों से उपलब्ध होने वाला कुछ ऋण प्रयोग में लाया जायेगा।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देश की एलाय स्टील की कितनी जरूरतें हैं और वे कब तक पूरी हो जायेंगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : तकरीबन दो लाख टन सालाना का अन्दाजा है।

†**श्री मुरारका** : क्या इस संयंत्र को स्थापित करने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है और क्या अब तक की गयी प्रगति समय-सूची के अनुसार हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : एक बड़ी समय सूची बताई गई और वह प्राप्त हुई विस्तृत परियोजना में है। यह लगभग काम आरम्भ किये जाने के बाद से २ ½ वर्ष होंगे। अब स्थान चुन लिया गया और कार्य में पर्याप्त रूप से प्रगति होने की सम्भावना है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस एलाय स्टील प्लांट को लगाने में तकरीबन कितने खर्च का अन्दाजा किया गया है और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी प्राजैक्ट रिपोर्ट पर विचार हो रहा है, इसलिये मैं इस वक्त खर्च के अन्दाजे के ठीक आंकड़े नहीं बता सकता हूं। कई चीजें हैं जिन पर विचार हो रहा है और शायद उसमें कुछ तबदीली हो।

दूसरे सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं कि जब काम शुरू होगा तो उसके बाद तकरीबन तीस महीने इसको मुकम्मल होने में लगेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस धातुमिश्रित इस्पात कारखाने का प्रबन्ध हिन्दुस्तान स्टील द्वारा किया जायेगा या इसके प्रबन्ध के लिये कोई नया निगम स्थापित किया जायेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इसका प्रबन्ध हिन्दुस्तान स्टील द्वारा किया जायेगा ।

†श्री मुहम्मद इमाम : क्या भद्रावती में धातुमिश्रित लोहे और धातुमिश्रित इस्पात के निर्माण के लिये विदेशी प्रविधिक और वित्तीय सहयोग का कोई प्रस्ताव किया गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : हम दुर्गापुर की बात कर रहे हैं ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : इसका मुझे पता नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये पेन्शन योजना

†*१०९३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के लाभ के लिए वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेन्शन योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के अधीन कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). अस्थायी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग ने पेन्शन की सिफारिश नहीं की , यह सिफारिश की है कि सेवा निवृत्ति, छंटनी अथवा असमर्थता के समय उन्हें कुछ उपदान और नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवारों को यदि कुछ शर्तें पूरी हो जाती हों, तो कुछ सहायता देनी चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस दिशा में आदेश जारी किये गये। आदेशों की प्रतियां, जो बिल्कुल स्पष्ट हैं, सभा पटल पर रखी जाती हैं [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३]

(ग) यह लाभ किसी विशेष आपातकालीन अवस्था में ही होता है, अतः इस बारे में जानकारी प्रस्तुत करना संभव नहीं ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : विवरण से पता चलता है कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा यह निश्चय किया गया है कि प्रथम नवम्बर, १९५९ से कुछ कुछ लाभ दिये जाने चाहिए। अतः क्या योजना चालू कर दी गयी है, यदि हां, तो ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें उससे लाभ होगा, विशेषतः उपदान प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इसे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लागू किया गया है। वेतन आयोग की सब सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। ये लाभ उन वर्गों के कर्मचारियों को उपलब्ध होंगे जिन के बारे में वेतन आयोग ने सिफारिश की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकारी आदेशों में कहा गया है कि इसे प्रथम नवम्बर १९५९ से कार्यान्वित किया जायेगा । जबकि वेतन आयोग की सभी सिफारिशें १ जुलाई, १९५९ से लागू की जायेंगी, इस योजना को प्रथम नवम्बर १९५९ से लागू किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभी को प्रथम जुलाई, १९५९ से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा । ऐसी बात सरकार की ओर से कभी नहीं कही गई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में भी यह पेन्शन योजना कार्यान्वित की जायेगी और क्या कुल सेवा काल की पेन्शन के लिये गणना की जायेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जो औद्योगिक कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि कोष अथवा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि कोष के अन्तर्गत आते हैं, उन पर यह निश्चित रूप से लागू होगी । जो कर्मचारी इस के अन्तर्गत नहीं आते, उन पर भी यह लागू होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों का घंटा समाप्त होता है । श्री मो० ब० ठाकुर चाहते हैं कि यदि विधि मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है तो प्रश्न संख्या १०९७ का उत्तर दे दिया जाये । क्या वह यहां हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जी हां ।

गुजरात में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

†***१०९७. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिद्धपुर तालुका पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हटा कर मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और वीजापुर तालुका मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हटा कर पाटन निर्वाचन क्षेत्र में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त बात गुजरात सरकार के गजट में प्रकाशित हुई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के निर्णय के लिये निर्वाचन आयोग ने १० दिसम्बर, १९६० से पहले आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये कहा था ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) गुजरात के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन तथा उन के विस्तार सम्बन्धी बातों के बारे में अथवा तत्सम्बन्धी अन्य बातों के बारे में, जिन का बम्बई पुनर्गठन अधिनियम १९६० की धारा १९(२) के अन्तर्गत उल्लेख आता है, निर्वाचन आयोग की प्रस्थापनायें १२ नवम्बर, १९६० के गुजरात सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशित अधिनियम की धारा १९ (५) (क) के अनुसरण में की गई थीं ।

(घ) चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि १० दिसम्बर १९६० के पूर्व इन प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या यह सत्य है कि निर्वाचन क्षेत्रों का इस परिसीमन का परिणाम दिसम्बर, १९६० के प्रथम सप्ताह में अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले सभी गुजराती भाषा के दैनिक

---

†मूल अंग्रेज़ी में

समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ताकि इस प्रकाशित समाचार को ठीक किया जा सके ?

†श्री अ० कु० सेन : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है कि गुजरात के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन तथा उन के विस्तार के ब्यौरे के बारे में तथा धारा १६ (२) में उल्लिखित अन्य विषयों के बारे में निर्वाचन आयोग की प्रस्थापनायें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे अधिनियम की धारा १६(५) (क) के अन्तर्गत प्रकाशित हुई हैं।

†अध्यक्ष महोदय : क्या जो कुछ प्रकाशित हुआ वह अधिकृत था।

†श्री अ० कु० सेन : इस के खंडन करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। यह तो चुनाव आयोग का संविहित दायित्व है।

†श्री क० उ० परमार : क्या सरकार को इस बात का पता है कि गुजरात राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों में इसलिये प्रमुख परिवर्तन किये गये हैं ताकि पदारूढ़ दल को पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिये सुविधायें उपलब्ध हो सकें ?

†श्री अ० कु० सेन : इस कटाक्ष के लिये कोई प्रमाण नहीं है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पत्रकारों का नागालैंड जाना

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि गत सप्ताह पत्रकारों का एक दल नागालैंड गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन के वहां जाने का उद्देश्य क्या था ;

(ग) इस दल में जो पत्रकार वहां गये, उन के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या उन्हें विद्रोही नागाओं से मिलने और फीजो के गांव में जाने की अनुमति दी गई थी ; और

(ङ) क्या इन पत्रकारों में से कुछ ने भारतीय सुरक्षा बलों के कथित जुल्मों की रिपोर्टें प्रकाशित की हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) पत्रकारों को वहां भेजने की सुविधायें इसलिये की गई थीं ताकि वे नागा पहाड़ी-त्वेनसांग क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वहां जाने वाले संवाददाताओं के नामों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०४]

(घ) किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई थी, सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ करना उचित था, वह किया गया । पत्रकारों को किसी से भी मिलने की छूट थी ।

(ङ) सरकार ने किसी प्रकार की ऐसी रिपोर्ट अखबारों में छपी नहीं देखी जिस में सुरक्षा बल पर जुल्म करने का स्पष्ट रूप से कोई आरोप लगाया गया हो ।

छोटी छोटी कई घटनायें हुईं । नागा विद्रोहियों ने कई बार पत्रकारों के शिविर की ओर गोलियां भी चलाईं, परन्तु कोई हानि नहीं हुई । किसी विद्यार्थी के मरने और घायल होने की हमें सूचना नहीं मिली । एक अवसर पर १९ दिसम्बर को विद्रोहियों ने डा० इसकोंजलीबा श्री के घर पर गोली चलाई थी । वे थोड़े घायल हो गये ।

†श्री म्रजीत गुप्त : गत अवसरों पर जब नागा विद्रोहियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये थे तो इस सदन को बताया गया था कि इस दिशा में सब से बड़ी कठिनाई यह आती रही है कि इन विद्रोही नागाओं का पता लगाना बड़ा कठिन है क्योंकि वे निरन्तर चलते फिरते रहते हैं । गत दो तीन दिनों में मैं ने जो अखबार पढ़े थे उन से यह पता चलता है कि पत्रकारों का यह दल जो वहां सरकार की सहायता से गया था, फिजो के ग्राम के निकट के ग्रामों के कुछ मुखियाओं तथा नागा विद्रोहियों से बड़ी सरलता से बातचीत करने में समर्थ हो गया । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि पत्रकारों के दल को भेजने तथा उन्हें इस प्रकार की सुविधायें देने से जबकि उन में ऐसे भी विदेशी पत्रकार थे जिन का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध है, सरकार को इस मामले में क्या लाभ हो सकता था ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह अपने-अपने निर्णय की बात है । विदेशों में यह निरन्तर प्रचार किया जा रहा था कि नागा पहाड़ी क्षेत्र में हम तथ्यों को छिपा रहे हैं, और इसी कारण हम ने सम्वाददाताओं को वहां जाने की अनुमति नहीं दी है । सत्यता यह है कि कुछ सम्वाददाता पहले भी वहां गये हैं, परन्तु जहां तक मेरा विचार है वे सभी भारतीय सम्वाददाता ही थे । हम ने दो तीन मास हुए इन्हें कहा था—यह इन्हीं दिनों की बात है जबकि फीजो लंदन में प्रकट हुआ था, कि वे वहां जा सकते हैं । परन्तु वे वहां नहीं जा सकते जहां कि हम उन की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं कर सकते । मैं तो इस बात के पक्ष में रहा हूं कि पत्रकार वहां जायें । हम चाहते हैं कि संसार को पता लगे कि हम कुछ छिपाना नहीं चाहते । कई बार सुरक्षा की दृष्टि से ही उन्हें रोका गया है । अन्यथा, झूठी अफवाहों से उन का यह विचार बन सकता है कि वहां की स्थिति बहुत ही खराब होगी, तभी तो वहां नहीं जाने दिया जाता । जब हम कहते हैं कि वहां की स्थिति ऐसी है कि जो नागा विद्रोही हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ना हमेशा संभव नहीं है, उस से किसी विद्रोही का आना जाना रुक नहीं जाता । किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वह विद्रोही है । वे आते जाते रहते हैं और जब तक वे पहिचाने नहीं जाते उन को पकड़ा नहीं जा सकता । इस विशेष मामले में हमारे अधिकारियों ने उन्हें कुछ-कुछ यह अनुमति दे दी थी कि वे आ कर पत्रकारों से मिल सकते हैं ।

†डा० राम सुभग सिंह : आचार्य विनोबा भावे भारत में उच्च स्थान रखते हैं, वह महान पत्रकार भी हैं । वह आसाम जा रहे हैं, क्या भारत सरकार उन से भी नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र जाने के लिये प्रार्थना करेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं ? आचार्य विनोबा भावे वहां अधिक देर नहीं रहेंगे और यह भी पता नहीं कि इस प्रश्न पर उन का मत क्या है । स्पष्ट है कि यदि कोई विशेष कठिनाई न हुई तो इस मामले में हम उन की इच्छाओं को पूरा करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सत्य है कि फीजो की भतीजी का पति, श्री शैशल जिस से पत्रकार मिले थे, इस विचार का था कि फीजो इस बात से सहमत है कि भारत संघ के अन्तर्गत नागा राज्य का निर्माण कर दिया जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि किसी ने इस प्रकार की बात कही हो परन्तु इस से कुछ बनता बिगड़ता नहीं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब कभी इस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल भेजा जायेगा तो क्या इसमें हिन्दी अथवा भाषाई अखबारों के पत्रकारों को भी स्थान दिया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इस पर भाषा के दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया था । वास्तव में इस पत्रकार दल में तो सभी विदेशी पत्रकार थे, भले ही उनकी भाषा कोई भी थी । किन्तु कुछ भारतीय पत्रकार सम्मिलित किये गये थे । हमें इनकी संख्या को सीमित रखना पड़ा । जब कि कोई भी वहां जा सकता था किन्तु जाने वालों की संख्या १३ थी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इन विद्रोही नागाओं का यदि पत्रकारों से मिलाने के लिए पता लगाया जा सकता था तो गिरफ्तार करने के लिए उनका पता क्यों नहीं लगाया जा सका ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो पूछा गया था परन्तु प्रधान मंत्री ने कहा है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि वह विद्रोही नागा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : काफी हो चुका है, मेरे पास कई प्रश्न हैं ।

भारत-चीन अधिकारियों की वार्ता

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२.** { **श्री आसार** : **डा० राम सुभग सिंह** : **श्री खुशवक्त राय** : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सम्बन्धी अभिलेखों के सम्बन्ध में भारत और चीनी अधिकारियों के दलों के बीच बातचीत क्या समाप्त हो गयी है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय अधिकारियों के दल की रिपोर्ट पर विचार किया है ; और

(ग) इस रिपोर्ट को देखते हुए सरकार सीमा समस्याओं के सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ग). कुछ दिन हुये भारत और चीनी अधिकारियों के दलों में रंगून में हो रही बातचीत समाप्त हो गयी । उनकी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रिपोर्ट दोनों सरकारों को प्रस्तुत हो गयी है। हमें वह रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। यह ५७० पृष्ठों की रिपोर्ट है। इसके साथ ही वार्ता का पूरा रिकार्ड है जो कि ३००० पृष्ठों का है। हमें पूरी तरह से इस रिपोर्ट का परीक्षण करना है। परीक्षण करने के बाद ही यह निश्चय हो सकता है कि इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

†श्री आसर : क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अभी कहा है कि हम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। जब तक हम उस पर विचार न कर लें, इन बातों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट संसद के समक्ष आयेगी आवश्य परन्तु कब आयेगी, यह मैं नहीं कह सकता।

†श्री वाजपेयी : औचित्य प्रश्न के हेतु, मेरा यह निवेदन है कि प्रधान मंत्री द्वारा यह दावा नहीं किया गया है कि यह गोपनीय दस्तावेज है और न ही उन्होंने यह कहा है कि जन हित की दृष्टि में रिपोर्ट का सभा पटल पर रखा जाना ठीक नहीं। इन हालात में सरकार को रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखने में संकोच क्यों हो रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उत्तर के बहुत से अर्थ लगाने लगते हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। समय आने पर निश्चित तौर पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने कहा है कि इसे सभा पटल पर रखा जायेगा। परन्तु यह तो बड़ी असाधारण सी बात होगी कि ४००० पृष्ठों का दस्तावेज प्राप्त होते ही सभा पटल पर फेंक दिया जाये।

†श्री वाजपेयी : सभा पटल पर फेंकने की कोई बात नहीं है। प्रधान मंत्री कृपया इसे सभा पटल पर रख दें।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्य ने बात समझ ली है। सब से प्रथम बात यह है कि दस्तावेज पर विचार किया जाना चाहिए। मैंने उसे पढ़ा भी नहीं, अतः उसके बारे में मैं तुरन्त क्या कह सकता हूं। अभी तो हमारे मंत्रालय में उसे पढ़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं कि संयुक्त रिपोर्ट को सभा पटल पर ही रखा जाये, चाहे वह एक साथ प्रकाशित किया जाना है अथवा एक ओर से ही। कुछ भी हो सारी बातों का ध्यान रखा ही जाना चाहिये। इन मामलों में राजनीतिक पहलुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य शिष्टता की बातों को भी पूरा किया जाना चाहिए।

†आचार्य कृपलानी : क्या पेकिंग से जानकारी प्राप्त होने से पूर्व उसे प्रकाशित किया जायेगा अथवा बाद में क्योंकि यह बात विचारणीय है कई बार भारत और चीन के सम्बन्ध में बातों की चर्चा पेकिंग के अखबारों में हुई है और हमारी स्थिति बड़ी खराब होती है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं कि चीनी सरकार हमें बताये बिना और हमारी अनुमति के बिना क्या कर सकती है।

†आचार्य कृपलानी : आप उसे प्रकाशित कर सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मान लीजिए कि वह हमसे बिना पूछे इसके कुछ भाग प्रकाशित कर देते हैं, यह बात अलग है कि ऐसा होगा नहीं परन्तु मान लो यदि जान बूझ कर या अन्यथा वहां कुछ बात खुल जाती है तो इसके लिये मैं तो उतरदायी नहीं हूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि उन्हें यह बता दिया जाये कि वे इसे प्रकाशित करना चाहें तो वे साथ-साथ प्रकाशित करें ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम कुछ भी करें पहिले तो हमने उसे पढ़ना है ।

†आचार्य कृपलानी : मैं चाहता हूं कि इस दिशा में शीघ्रता की जाये ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : शीघ्रता क्यों की जाये ?

†आचार्य कृपालानी : क्योंकि यह सम्भव है कि पेकिंग वाले इसे पहिले प्रकाशित करके अपने रंग में इसे प्रस्तुत करके संसार को इसका गलत रूप पेश कर दें ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि ऐसी बात हुई तो हम भी तुरन्त इसे यहां प्रस्तुत करेंगे । उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

†आचार्य कृपलानी : पहले बोला हुआ झूठ हमेशा अधिक लाभ में रहता है ।

†अध्यक्ष महोदय : तो क्या यह सुझाव है कि उसे पहले प्रकाशित कर देना चाहिये ?

†आचार्य कृपलानी : हम अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री ने काफी स्पष्ट रूप से कहा है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह रिपोर्ट इस प्रकार की नहीं जिसके लिये यह निर्णय किया जाना हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना । अधिकारी लोग ऐसा करने के समर्थ नहीं थे । यह तो हमारे पक्ष की और चीन के पक्ष की लम्बी गवाहियों का परीक्षण है । ऐसा तो सम्भव नहीं कि उसमें से कुछ निकाल लिया जाये । या तो आप सारी गवाही पर विचार करें, अथवा आप कुछ न करें । दोनों पर विचार कर आप अपना मत बनायें । जो कोई भी इसे पढ़ता है उस पर सारी ही बातों का प्रभाव होता है । चीन की गवाहियों का भी और भारत की गवाहियों का भी । इधर उधर से थोड़ा थोड़ा निकाल कर इस दिशा में कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता ।

†श्री नाथ पाई : यह ठीक है कि रिपोर्ट ३००० पृष्ठों की है परन्तु हो सकता है कि प्रधान मंत्री के समक्ष भारतीय विशेषज्ञ दल ने उसका संक्षेप ही रखा हो । क्या यह अनुमान ठीक है कि भारत और चीन का दृष्टिकोण कहीं भी मेल नहीं खा सका । कुछ अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि मुख्य मामलों पर सहमति प्राप्त नहीं हो सकी, यदि हां, तो सरकार इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह वही प्रश्न है, जिसका उत्तर मैं मूल उत्तर में दे चुका हूं । उस बारे में मैं सदन को क्या बता सकता हूं, जिस पर अभी कुछ विचार नहीं किया गया, खास कर जब कि मामला बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का हो, कि हम कब और क्या करने जा रहे हैं ?

†श्री नाथ पाई : मुझे पता नहीं कि वैसा हुआ है परन्तु उसका सार तो प्राप्त हो गया होगा ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि अखबारों को पता लग गया तो प्रधान मंत्री को भी पता होगा यह सब तर्क हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : रिपोर्ट के अतिरिक्त, यह जरूरी है कि मैं हालात की पूरी जानकारी रखूं और मुझे जानकारी है। तीनों बार ही वार्ता के पश्चात् अर्थात् प्रथम बार पेकिंग में हुई दूसरी बार दिल्ली में हुई और तीसरी बार अब हुई वार्ता के पश्चात् मैं उन अधिकारियों से मिला हूं, जो कि वार्ता में भाग ले रहे हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई। उसमें कोई नई बात नहीं जिसे मैं नहीं जानता। केवल उनका यही काम था कि सारे साक्ष्य को किस प्रकार उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने क्या कहा और यह भी बताया कि दूसरी ओर से क्या कहा गया।

†श्री हेम बरुआ : क्या जो मूल मतभेद है वह जारी है? प्रधान मंत्री कहते हैं कि रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : रिपोर्ट में साक्ष्य ही साक्ष्य भरे हुये हैं। कई नई बातें ध्यान में आने पर उसमें सम्मिलित कर ली गयी। बाकी दोनों ओर का मौलिक मतभेद तो था ही और वह रहना ही था। दोनों ओर के अधिकारी छोटी छोटी बातों को चाहे स्वीकार और अस्वीकार कर दें परन्तु वे अपनी सम्बद्ध सरकारों के दृष्टिकोण को नहीं बदल सकते किसी भी ओर के अधिकारियों से यह आशा भी नहीं की जा सकती है।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को कोई ऐसा दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त हुआ है कि तिब्बत को शिमला सम्मेलन में सन्धियां करने का अधिकार नहीं था, अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त हुआ जो पश्चिमी भाग के सम्बन्ध में रणजीतसिंह के दिनों के दस्तावेजों के विरोध में थे।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं? दस्तावेज कई किस्म के हैं। कइयों को स्वीकार किया गया है, कुछ को नहीं। इस बात का दस्तावेजी प्रमाण कैसे मिल सकता है जिसमें स्पष्टता से यह कहा गया हो कि उन्हें यह अधिकार प्राप्त है? उनके पास ऐसा दस्तावेज नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, किन्तु परिस्थितियां हो सकती हैं; परिस्थिति सम्बन्धी मामले इसी प्रकार बनाये जाते हैं। चीन सरकार का कहना यह है कि तिब्बत सरकार को समझौता करने का कोई अधिकार नहीं था, किन्तु यह एक बिल्कुल मामूली बात थी। यह सारा समझौता एक मामूली चीज है। यह एक ऐसा मामला है जो यहां पर उल्लेखनीय है। हमारा पक्ष, हमारा मामला १९११ के समझौते से कहीं अधिक दृढ़ आधार पर आधारित है।

†श्री नाथ पाई: क्या यह सच है कि हमारा दल अकसाई चिन के बारे में भारतीय पक्ष की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाण पेश करने की स्थिति में था, किन्तु चीन का दल इस बारे में कोई तथ्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका? क्या प्रधान मंत्री इस मामले पर प्रकाश डालेंगे?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को इस बारे में कुछ धीरज रखना चाहिए।

सामान्य भविष्य निधि से बीमा पालिसियों की किस्तों की अदायगी

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सामान्य भविष्य निधि के खाते में से सरकारी कर्मचारियों को जीवन बीमा पालिसियों की किस्तों की अदायगी के लिये दी गयी अनुमति अब वापिस लेने का विचार रखती है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या यह नियम किसी विशिष्ट भावी तिथि से लागू होगा ; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों को, जो कि पहले से सामान्य भविष्य निधि में से अपनी पालिसियां की किस्तें अदा कर रहे हैं या जिन्होंने इस प्रकार की अदायगी के लिये इस बीच पालिसियां ली हैं, पहले के समान ही अदायगी के तरीके को जारी रखने की अनुमति दी जायेगी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सामान्य भविष्य निधि में से जीवन बीमा पालिसियों की किस्तों में अदायगी की सुविधा १७ दिसम्बर, १९६० से समाप्त कर दी गयी है । अब यह सुविधा केवल उन्हीं पालिसयों के लिये रहेगी जिनकी किस्तें उस तिथि को या उनसे पहले उक्त निधि से अदा की जाती रही हैं ।

यह सुविधा मुख्यतया बचत की राशि को बढ़ाने के लिये वापिस ली गयी है । इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया था कि इस व्यवस्था से जितना लाभ होता है, वह उनके लिये किये जाने वाले प्रशासनिक कार्य के अनुरूप नहीं है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने बताया है कि बचत को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसा किया गया है । अब तक कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि में से अपनी पालिसियों की किस्तें अदा करते रहे हैं । क्या सरकार जीवन बीमा निगम से उतनी राशि ले कर उसका उपयोग नहीं कर सकती ? तो फिर बचत का प्रश्न ही कहां उत्पन्न होता है और फिर उस सुविधा को क्यों समाप्त किया जा रहा है ?

†श्री मोरारजी देसाई : क्योंकि सुविधा दे देने से दुहरी बचत नहीं की जा सकती । बचत की राशि को बढ़ाने और दो अलग अलग बचत करने की दृष्टि से ही ऐसा किया जा रहा है ।

†श्री तंगामणि : क्या यह सच नहीं है कि औद्योगिक कर्मचारियों को अभी तक भविष्य निधि में से बीमा पालिसियों की किस्त अदा करने की सुविधा प्राप्त है ? यदि हां, तो फिर सरकारी कर्मचारियों से वह सुविधा वापिस क्यों ली जा रही है ?

†श्री मोरारजी देसाई　औद्योगिक कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों से भिन्न हैं ।

†श्री तंगामणि : जहां तक औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सिद्धान्त यह है कि वे भविष्य निधि में से, जो कि अनिवार्य बचत निधि है, बीमा पालिसियों की किस्तें अदा कर सकते हैं । जब यह सिद्धान्त उनके सम्बन्ध में स्वीकार कर लिया गया है, तो सरकारी कर्मचारियों के मामले में दूसरा रुख क्यों अपनाया गया है ?

†श्री मोरारजी देसाई : मैं चाहता हूं कि औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी दूसरा रुख अपनाया जाना चाहिये ।

†श्री च० द० पांडे : क्या सरकार को ज्ञात है कि भविष्य निधि से बीमे की किस्तों के भुगतान का तरीका जीवन बीमे के लिये एक विशेष प्रेरणा थी ? यदि यह सुविधा समाप्त कर दी गयी, तो बीमे का व्यापार कम हो जायेगा ?

†श्री मोरारजी देसाई : यह भय निराधार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान सम्बन्धी सरकारी निर्णय का विरोध कर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त सुविधा की समाप्ति के बाद भी भविष्य निधि की अनिवार्यता को जारी रखेगी ? उस स्थिति में तो सामान्य भविष्य निधि में अंशदान वास्तव में एच्छिक बन जाता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि में से अपनी पालिसियां अदा नहीं कर सकेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या अब उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी जायेगी ?

†श्री मोरारजी देसाई : जी, नहीं ।

जामबाद की कोयले की खान

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ और १५ दिसम्बर, १९६० को जामबाद की कोयले की खानों में कुछ मजदूरों की ओर से लगातार गुंडागर्दी, झगड़े, लूट मार, टेलीफोन के तार तोड़ने और पुलिस पर भालों, लाठियों आदि से आक्रमण की घटनायें होती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कारण क्या थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). यह ज्ञात हुआ है कि १४-१२-६० को पास ही की किसी और कोयला खान का एजेन्ट जब 'रियल जामबाद कोलियरी' के मैनेजर के घर गया, तो कोयलाखान मजदूर सभा (आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस एजेन्ट का वहां आना उचित नहीं समझा, उन्हें यह सन्देह हुआ कि वह एजेन्ट इस कोयला खान के प्रबन्धकों को भी मंत्रणा देने के लिये आया है और इसलिये उन्होंने उसके ड्राइवर पर आक्रमण करने का यत्न किया । एक कामगार का, जिसने इस कार्यवाही पर आपत्ति की, पीछा किया गया और उसके घर से उसकी सम्पत्ति लूट ली गई । १५-१२-६० को जब पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस पर बहुत से मजदूरों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया । पुलिस ने जब देखा कि लाठी चार्ज और अश्रुगैस से भी भीड़ पर कुछ असर नहीं पड़ा, और उनमें से दो पुलिस के व्यक्ति सख्त घायल हो गये तो उन्होंने कोयला खान के दफ्तर में जा कर शरण ली । उसके बाद भीड़ अधिक उत्तेजित हो गयी, उसने टेलीफोन के तार काट डाले, कोयला खान का कार्य रोक दिया और वहां के कुछ चपरासियों के क्वार्टरों पर आक्रमण करने का यत्न किया । पुलिस ने १२० मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि इस संघ का एक नेता मजदूरों को भड़का रहा है कि वे कलकत्ता जा कर खान के मालिकों को अपने कब्जे में कर लें, और यदि हां, तो सरकार इस घटना की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†श्री आबिद अली : यह सच है कि वहां के एक साम्यवादी कार्यकर्ता ने अपने भाषण के दौरान मजदूरों से यह कहा है कि वे कलकत्ता जायें और उस इमारत पर कब्जा जमा लें जहां

---

†मूल अंग्रेजी में

मालिकों का दफ्तर है और यह भी कि मैनेजर के बंगले पर कब्जा करके मैनेजर को भगा दिया जाये, परन्तु मैं नहीं समझता कि वह इस सम्बन्ध में गंभीरता से बातें कर रहा था।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या सरकार भी हम बहुत से सदस्यों के समान यही महसूस करती है कि ये कार्मिक संघ राजनीतिक उद्देश्यों के लिये ही अपने कार्य करते रहते हैं, और इस प्रकार से देश के उत्पादन कार्यक्रम को हानि पहुंचा रहे हैं ?

†श्री आबिद अली : इस प्रयोजन के लिये कुछ संहितायें निर्धारित हैं और मैं चाहता हूं कि कार्मिक संघ उन पर अमल करें क्योंकि उन्होंने इन संहिताओं को इच्छा से स्वीकार किया है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि कई अवसरों पर मंत्री, मंत्रालय और क्षेत्रीय श्रम निदेशालय से बार बार यह निवेदन किया गया था कि मालिक सशस्त्र गुंडों के द्वारा कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं को पिटवाते हैं, परन्तु फिर भी पिछले एक साल में एक भी मामले में न्यायनिर्णयन की मांग स्वीकार नहीं की गई है । उसी के परिणामस्वरूप इतने अधिक झगड़े होते हैं ? क्या श्रम मंत्रालय इस रानीगंज क्षेत्र में श्रमिकों की अवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता पर विचार करेगा ?

†श्री आबिद अली : माननीया सदस्या ने जो कुछ कहा है, वह ग़लत जानकारी पर आधारित है, इस कोयला खान की मजदूर सभा और कुछ मजदूरों की ये शिकायतें आई थीं कि प्रबन्धकों ने कोयला पंचाट (दास गुप्त पंचाट) और खान अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है । परन्तु जांच करने पर ये आरोप ग़लत सिद्ध हुए हैं । केवल कुछ छोटी छोटी सी बातें रह गई थीं और प्रबन्धकों ने उन्हें ठीक कर देना स्वीकार कर लिया है ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि जब भी कोयला खान मजदूर सभा से कोई शिकायत प्राप्त होने पर प्रादेशिक श्रमिक आयुक्त श्री सिंह, उस कोयला खान क्षेत्र में जाते हैं, तो वह मजदूर सभा के पदाधिकारियों से कभी भी उन आरोपों को सिद्ध करने के लिये नहीं कहते, केवल प्रबन्धकों से ही मिल कर एक पक्षीय निर्णय कर देते हैं ?

†श्री आबिद अली : यह कथन सच नहीं है क्योंकि मैं ने रिपोर्ट देखी है जिस में मजदूर सभा के पदाधिकारियों के आरोपों का भी उल्लेख . . . .

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह उन से कभी नहीं मिले ।

†श्री आबिद अली : उन्हें दोनों पक्षों की बात सुननी होती है और केवल तभी कोई फैसला किया जा सकता है । हम ने इस कार्मिक संघ की प्रार्थना पर न्याय निर्णयन की मंजूरी दे दी है । यह चीज़ रेकार्ड में है और गजट में भी इस की घोषणा कर दी गई है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि हाल ही में श्रम मंत्रालय के पदाधिकारी और श्रम मंत्री अखिल भारतीय कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों से मिले थे और इस सम्बन्ध में विचार किया था? यदि हां, तो चर्चा का क्या परिणाम निकला है ?

†श्री आबिद अली : कार्मिक संघ के अधिकारियों ने, जिन्हों ने श्रम मंत्रालय के पदाधिकारियों से भेंट की थी, यह वचन दिया था कि वे ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में सहायता देंगे जिस से स्थिति में सुधार पैदा किया जा सके । परन्तु दुर्भाग्य वश उन्हों ने अपने वचन का पालन नहीं किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह भेंट कब हुई थी ? यह भेंट कल ही तो हुई थी । मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि कोयला खान सम्बन्धी सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों ने स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन में धनबाद के प्रादेशिक श्रम आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अधीन विधि और व्यवस्था के बारे में शिकायत की है ? क्या राज्य सरकारों से इस बारे में परामर्श किया गया है और स्थिति सुधारने का यत्न किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि एक ही प्रादेशिक श्रम आयुक्त रानीगंज और झरिया दोनों कोयला क्षेत्रों के प्रभारी हैं। झरिया में पूर्णरूपेण शान्ति है। यह एक ऐसा स्थान है जहां इस कार्मिक संघ का कोई प्रभाव नहीं है। केवल रानीगंज कोयला क्षेत्र में ही कठिनाई है और इस का कारण जाना जा सकता है ।

†**एक माननीय सदस्य** : यह ठीक नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : वह सब तरह के आरोप लगा देते हैं। ये ठीक नहीं है (अन्तर्बाधा)

†**श्री तंगामणि** : मुझे सभा को यह बताना है कि . . . .

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री जो जानकारी दे रहे हैं वह गलत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वे अधीर क्यों हो रहे हैं ?

†**श्री तंगामणि** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी कोयला खान के बारे में माननीय उपमंत्री ने यह बताया था कि यूनियन पंजीबद्ध नहीं है, जबकि वास्तव में वह पंजीबद्ध है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस की इजाजत नहीं दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दी का प्रचार

†*१०६०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों से हिन्दी प्रचार के लिये वर्तमान व्यवस्था का पुनर्विलोकन करने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हो गये हैं ; और

(ग) उत्तरों में समान रूप से क्या बातें कही गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४४ के खण्ड (६) के अन्तर्गत जारी किये गय राष्ट्रपति के निदेश के अधीन शिक्षा मंत्रालय को यह हिदायत दी गई है कि वह हिन्दी के प्रचार के लिये वर्तमान प्रबन्धों की कार्यान्विति का पुनर्विलोकन करें और राज भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति द्वारा निर्देशित दिशाओं में अग्रेतर कार्यवाही करे । प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा विकास सम्बन्धी वर्तमान प्रबंधों का सर्वेक्षण करें और इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजें । आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की सरकारों तथा मनीपुर और त्रिपुरा के प्रशासनों का यह विचार है कि उन के वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त हैं । अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्कादीव, मिनीकाय और अमिनदीव द्वीपों के प्रशासनों का यह ख्याल है कि उन के वर्तमान प्रबन्ध अपर्याप्त हैं । उन का विचार है कि वे तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य को गति प्रदान करेंगे । गुजरात, केरल, उड़ीसा और पंजाब ने केवल अन्तरिम उत्तर भेजे हैं । शेष राज्यों से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

भारत और चीन के बीच छात्रों का आदान प्रदान

†*१०६५. श्री अ० क० गोपालन : क्या शिक्षा मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो पांच छात्र चीन भेजे गये थे और अब वापिस लौट आये हैं उन में से प्रत्येक पर कितनी रकम खर्च की गई ;

(ख) उन्होंने चीन में जो अध्ययन किया, क्या सरकार उस का उपयोग कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और उन्हें किन जगहों में काम पर लगाया गया है जहां वे चीन में प्राप्त अपने ज्ञान और अध्ययन का उपयोग कर रहे हैं ।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :(क) निम्नलिखित पांच छात्रवृत्तियां दी गई हैं :—

	रुपये
१ श्री वी० पी० दत्त .	६६३०.००
२. श्री राम मनोहर सिन्हा	४४२८.६८
३. श्री एस० शेशाधरी . .	५०६८.६७
४. कुमारी लतिका लाहिरी .	६५६०.००
५. श्रीमती गार्गी दत्त	६५७०.००

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०५]

पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को

†*१०६६. श्री कुन्हन: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपल्स फ्रेंडशिप यनिवर्सिटी, मास्को के लिये नये आवेदन पत्र मांगे गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) कितने उम्मीदवार चुने गये ; और

(घ) चुन लिये जाने के बाद कितने उम्मीदवार मास्को गये ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) ५७७ ।

(ग) अभी अन्तिम चुनाव नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कुतुबमीनार, दिल्ली में जलपान गृह

†*१०९८. श्री बै० च० मल्लिक: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुतुबमीनार के आहाते में स्थित जलपान गृह (कैंटीन) में खाने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुतुबमीनार, दिल्ली में पीने का पानी बेचा जाता है ;

(ग) क्या सरकार के पास इस बारे में कोई शिकायतें पहुची हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या उस जलपान गृह से यह कहा जायेगा कि वह सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य-सूची प्रदर्शित करें ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मूल्य-सूची कैन्टीन में लगी हुई है

केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी

†*१०९९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी में जमीन के अन्दर दबे हुये माल को बरामद करने के बारे में कुछ मदों के सम्बन्ध में जो और आगे जांच करने के लिये आदेश दिया गया था, क्या सरकार ने वह जांच पूरी करली है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं ।

(ख) यह मामला अभी सैनिक प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धमन भट्टियां को बन्द करना

†*११००. { श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री मुरारका :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कोरटकर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला और भिलाई में धमन भट्टियां बन्द कर देने के कारण कितने टन कच्चे लोहे के उत्पादन की हानि हुई ;

(ख) इन भट्टियों के बन्द किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०६]

जेट इंजन

†*११०१. श्री प्र० के० देव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना की अनुसन्धान और विकास शाखा ने जेट इंजनों का डिजाइन तैयार किया है और वह उनका उत्पादन करेगी ;

(ख) अभी तक इस सम्बन्ध में कहां तक विकास हुआ है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ था ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) नमूने के इंजन के विभिन्न पुर्जों का कार्य संतोष-जनक ढंग से प्रगति कर रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

आसनसोल क्षेत्र में कोयले का स्टाक

†*११०२. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों में उपयोग के लिये उपयुक्त ए ग्रेड का कोयला पिछले कई महीनों से आसनसोल में स्टाक में पड़ा है और उसे भेजने की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या कलकत्ते के भारतीय खनन फेडरेशन ने इस विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । इस क्षेत्र में 'हाई बोलेटाइल' कोयला उत्पादित किया जाता है और इस्पात कारखानों में इस प्रकार के कोयले की मांग बहुत कम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हाल ही में आसनसोल क्षेत्र की कुछ कोयला खानों के मालिकों ने खानों पर कोयले का स्टाक बढ़ जाने के बारे में रिपोर्ट की है ।

(ग) रेलवे की सहायता से इस स्टाक को शीघ्रातिशीघ्र बेचने के बारे में यत्न किये जा रहे हैं ।

जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन

***११०३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६१ में होने वाली जनगणना के आंकड़े हिन्दी में भी प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). जनगणना के परिणाम हिन्दी में प्रकाशित करने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया । जनगणना के सभी आंकड़े और जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन मुख्यतः अंग्रेजी में होंगे, किन्तु आंकड़ों के सार और परिणामों को भारत के लिये हिन्दी में प्रकाशित करने की चेष्टा की जायेगी ।

बरौनी से दिल्ली तक पाइप लाइन

†*११०४. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार बरौनी से दिल्ली तक तैयार शुदा उत्पादों को लाने के लिये ७०० मील लम्बी तेल-पाइप लाइन बिछाने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की प्रस्थापना पर विचार किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) बरौनी के सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने से उपलब्ध होने वाले पैट्रोलियम तेल उत्पादों के परिवहन के लिये सरकार बरौनी से दिल्ली तक एक पाइप लाइन बनाने के सुझाव पर प्रारम्भिक रूप से विचार कर रही है ।

(ख) अन्य देशों के तजुर्बे से यह ज्ञात होता है कि पैट्रोलियम उत्पादों के रेलवे टैंक वैगनों के द्वारा परिवहन की अपेक्षा पाइप लाइनों के द्वारा परिवहन अधिक सस्ता पड़ता है । पाइप लाइनों से तेल का संभरण निरन्तर गति से किया जा सकता है और उसका संग्रह स्वयं उस पाइप लाइन में ही किया जा सकता है और इस प्रकार से उत्पादन केन्द्रों से दूर के क्षेत्रों में संग्रह के लिये स्थान की जरूरत में भी कमी हो सकती है । रेल सड़क परिवहन की तुलना में पाइप लाइन परिवहन की मितव्ययता सम्बन्धी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे एक दिशा में खाली वैगन अथवा टैंक जाने की समस्या हल की जा सकती है । यदि रेलवे टैंक वैगन इस काम के लिये भी इस्तेमाल

---

†मूल अंग्रेजी में

किये गये तो रेलवे परिवहन पर दबाव और भी बढ़ जायेगा । ये कुछ एक बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार पाइप लाइनों के द्वारा तेल के परिवहन की सम्भावना पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ). अभी तक खर्च के बारे में हिसाब नहीं लगाया गया है । ब्योरेवार हिसाब लगाने के लिये प्रविधिक-आर्थिक अध्ययन करना पड़ेगा । परन्तु ऐसा तभी किया जायेगा यदि सरकार प्रारम्भिक विचार के बाद मामले को आगे कार्यान्वित करने का निर्णय करे ।

नागा क्षेत्र में सैनिक कर्मचारी

†*११०५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन आरोपों की जांच करने का आदेश दिया गया है कि पुरं गांव के निकट नागा क्षेत्र में विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ होने के तुरन्त पश्चात कुछ सैनिक कर्मचारियों ने कई गांवों में ज्यादती की ;

(ख) इन आरोपों का स्वरूप क्या है ; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) आरोप यह था कि कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी मार दिये गये थे जो कि विद्रोही नहीं थे और यह कि गांव जला दिये गये थे ।

(ग) निम्न सैनिक प्राधिकारियों से जांच के सम्बन्ध में अभी तक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

आस्ट्रिया से ऋण

†*११०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री मुरारका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया की सरकार से प्राप्त ऋण की शर्तें अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्योरा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र में स्कूल होस्टल

†२३१२. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को १९६०–६१ में अभी तक स्कूल होस्टलों के निर्माण के लिए कोई ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० लाο श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १९६०-६१ में लागू की गई पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार होस्टलों के निर्माण के लिए शिक्षा संस्थाओं को ऋण राज्य सरकारों द्वारा मंजूर किए जा रहे हैं। तदनुसार महाराष्ट्र सरकार को इस प्रयोजन के लिये १९६०-६१ में ३.३५ लाख रुपये आवण्टित किए गए हैं। इसमें १.३५ लाख रुपये स्कूल होस्टलों के लिए भी सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा वास्तव में निकाली गई राशि अभी ज्ञात नहीं है।

दिल्ली में मिडिल स्कूल

†२३१३. श्री पांगरकर : क्या शिक्षा मंत्री ८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और उसके ग्रामीण क्षेत्रों के मिडिल स्कूलों में कला और शिल्प का अध्ययन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : ८-८-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८१ के उत्तर में यह कहा गया था कि मिडिल स्कूलों में कला और शिल्प का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है। जहां तक हायर सेकन्डरी स्कूलों की मिडिल कक्षाओं का सम्बन्ध है, अगले शिक्षा सत्र से कम से कम एक शिल्प के विषय और एक कला के विषय को अनिवार्य बनाने का विचार है।

हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कालेज

†२३१४. श्री हेम राज : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों योजनावधियों में अभी तक हिमाचल प्रदेश में कितने हाई स्कूल, हायर सेकन्डरी स्कूल और कालेज खोले गए हैं तथा कहां कहां पर; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व उनकी संख्या कितनी थी और वे कहां कहां थे ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में खोले गए हाई स्कूलों, हायर सेकण्डरी स्कूलों और कालेजों से सम्बन्धित जानकारी १२-१२-६० को अतारांकित प्रश्न संख्या १६७२ के उत्तर में प्रदान की जा चुकी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में और उसके प्रारंभ होने के पूर्व खोली गई शिक्षा संस्थाओं सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुरातत्व विभाग की शताब्दी

†२३१५. श्री नरसिंहन् : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग का शताब्दी समारोह आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब होगा ;

(ग) उस अवसर के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

(घ) उस अवसर पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या उस अवसर पर विदेशों से विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति पधारेंगे ; और

(च) यदि हां, तो वे आमंत्रित व्यक्ति कौन कौन हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नवम्बर, १९६१

(ग) कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ङ) हां, श्रीमान् ।

(च) एशियाई देशों की सरकारों से अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया जाएगा। इस के अतिरिक्त एशिया तथा अन्य देशों के विख्यात पुरातत्ववेत्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा ।

बिहार में रक्तमणि[1] का पाया जाना

†२३१६. **श्री न० म० देब** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के भागलपुर जिले में रक्तमणि पाई गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार के भागलपुर जिले में रक्तमणि पाया जाना दर्ज नहीं किया गया है ।

बीनपुर (पश्चिम बंगाल) में पाई गई पुरातत्व वस्तुयें

†२३१७. **श्री न० म० देब** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के बीनपुर पुलिस स्टेशन में पाई गई वस्तुओं और मूर्तियों के अध्ययन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं जो कि कुछ पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक एवं गुप्तकाल की बताई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) नहीं श्रीमान् क्योंकि वह कार्य राज्य के विभाग द्वारा किया गया था संघ के पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में असमर्थ व्यक्तियों के लिये संस्था

†२३१८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के असमर्थ व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास के लिये रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय के अन्तर्गत एक विशिष्ट संस्था खोलने की योजना के संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Garnet Stone.

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वह कब तक चालू हो जाएगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दिल्ली में शारीरिक असमर्थता वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) यह कार्यालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के भाग के रूप में कार्य करेगा और अंधे बहरे तथा अपंग व्यक्तियों को साधारण वाणिज्यिक एवं औद्योगिक स्थापनाओं तथा सरकारी सेवाओं में रखाने का प्रयत्न करेगा ।

(ग) आगामी छै महीनों में ।

दिल्ली में हरिजनों को कानूनी सहायता

†२३१९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजन कल्याण बोर्ड द्वारा १९६०–६१ में दिल्ली में हरिजनों को कानूनी सहायता देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या समस्त राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†गृह उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) ५,००० रुपए ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली के हरिजन कल्याण बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए ४४३५ रुपए की कानूनी सहायता के प्रार्थना पत्रों की दिल्ली प्रशासन द्वारा छानबीन की जा रही है ।

दिल्ली में हत्यायें

†२३२०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जुलाई से नवम्बर, १९६० तक कितनी हत्यायें की गई हैं ; और

(ख) उन के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) २९ ।

(ख)	पुरानी दुश्मनी	१०
	प्रेम संबंध	९
	धन और संपत्ति संबंधी झगड़े . . .	३
	मकान मालिक और किराये दार का झगड़ा . .	१
	बाल हत्या	२
	अज्ञात कारण	४

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये पानी की सुविधायें

†२३२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अनुसूचित जातियों को पानी की सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष १९५६–५७ से १९५९–६० के दौरान कितने कुओं की मंजूरी दी गई है ; और

(ख) उन में कितना व्यय होगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में आयकर की बकाया

†२३२२. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब क्षेत्र में (सर्किल-वार) १ जुलाई, १९६० को आयकर की बकाया राशि कितनी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

राजभाषा सम्बन्धी राष्ट्रपति का आदेश

२३२३. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री उस्मान अली खां :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेश में निहित निदेशों को कार्यान्वित करने में और क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

१. पारिभाषिक **शब्दावली** (राष्ट्रपति के आदेश का परिच्छेद ३) :

आशा की जाती है कि शिक्षा मंत्रालय शीघ्र ही वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बनाने के लिये एक स्थायी आयोग की नियुक्ति के लिए आदेश जारी करेगा । वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों को छोड़ कर और क्षेत्रों में जो शब्दावली पहले बनायी गयी थी, उन के पुनरावलोकन का भी प्रबन्ध किया गया है । पारिभाषिक शब्दावली से सम्बंधित कामों में सरकार को सलाह देने के लिए एक उच्च स्तर का सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया है, जिस में सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलिति हैं । इसकी पहली बैठक ६ नवम्बर, १९६० को हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. प्रशासकीय संहिताओं तथा कार्यपद्धति सम्बन्धी अन्य साहित्य का अनुवाद (राष्ट्रपति के आदेश का परिच्छेद ४)

विधि तथा शिक्षा मंत्रालय में काम शुरू कर दिया गया है और इस में प्रगति हो रही है।

३. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए योजना व कार्यक्रम (राष्ट्रपति के आदेश का परिच्छेद १४)

कार्यक्रम का प्रारूप तैयार कर दिया गया है, और वह विचाराधीन है।

नोटः—और विषयों पर, जैसे प्रशासनिक कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी प्रचार, इत्यादि, २० अगस्त, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या ५८० के उत्तर में जो कुछ कहा गया था उस के अतिरिक्त अभी और कुछ प्रतिवेदन नहीं किया जा सकता है।

भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती, अफजलगढ़

२३२४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में अफ़जलगढ़ की भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती में विकास और उन्नति के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस बस्ती के पूण विकास के लिये कौन-कौन से काम अभी शेष हैं; और

(ग) इन शेष कामों के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) भूतपूर्व सैनिकों के अफ़जलगढ़ उपनिवेश के आरम्भ से लेकर अब तक यह कार्य सम्पन्न हो चुके हैं :—

६३९९ एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। ७२० भूतपूर्व सैनिकों को बसाया गया जा चुका है (२५८ पंजाब से, और ४७२ उत्तर प्रदेश से)। ८४६ वास्य क्वार्टर, १८½ मील लम्बी पक्की सड़क, खुले मौसम योग्य उपनिवेश के ग्रामों को मिलाने वाली सड़कें, ८००० से १०,००० एकड़ भूमि क्षेत्र को सींचने के लिये राम गंगा नदी से एक ३० मील लम्बी नहर, लगभग ३ मील लम्बी एक छोटी नहर, मुर्गीखाना केन्द्र, एक जूनियर हाई स्कल और ८ प्राइमरी स्कूलों, पंचायतघरों के लिए इमारतें, बच्चों के लिए ५ पार्क, ४ डाकघर, ९००० मन रखने योग्य एक बीज केन्द्र, ४ विस्तरों का एक हस्पताल, एक क्रिय विक्रय केन्द्र, २ वर्कशाप शैड, कर्मचारियों के लिये १२ क्वार्टर, एक विश्राम घर, —सम्पूर्ण हो चुके हैं। इस के अतिरिक्त एक ट्यूबवैल लगाया गया है, और पीने के पानी के नल बिछाये गये हैं। दो ग्रामों में पानी की टूटियां लगाई जा चुकी हैं। उपनिवेश को काशीपुर जिले से बिजली पहुंचाई गई है। इस के अतिरिक्त एक आटा पीसने की मशीन और एक चीनी का कारखाना भी लगाया गया है जिस में १००००० मन गन्ना पीड़ा जा सकेगा। तीन सांड पालने के केन्द्र और विभिन्न अभिप्रायों के लिये १३ लैंड सैटिलमेंट कोआपरेटिव सोसाईटियां स्थापित की गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपनिवेश के पूर्ण विकास के लिये अभी निम्नलिखित कार्य होने बाकी हैं:—

(१) लगभग १०१५ एकड़ भूमि क्षेत्र को कृषि योग्य बनाना।

(२) लगभग १८०० एकड़ जंगल साफ करना।

(३) १५४ वास्य क्वार्टर, एक जच्चा-खाना तथा शीशु कल्याण केन्द्र, एक लोहारा तथा खाती खाना और एक पशु-चिकित्सालय।

(४) नये प्राइमरी स्कूल और ४ नये, बच्चों के लिये पार्क खोलना।

(५) २ छोटी नहरें।

(६) धार नदी पर एक पुल बनाना।

(२) ग्रामोद्योग की संस्थापना।

(ग) शेष कार्य जो ऊपर बताये गये हैं, उपनिवेश की जनसंख्या की वृद्धि और उनकी आवश्यकताओं को देखकर यथा समय आरम्भ कर के सम्पन्न किये जायेंगे।

निर्वाचन याचिका

†२३२५. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरदार गुरमेज सिंह बनाम सरदार प्रताप सिंह कैरों की निर्वाचन याचिका पर ५ दिसम्बर, १९५९ को निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस निर्णय में पंजाब के मुख्य मंत्री की घोर भर्त्सना की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब के मुख्य मंत्री के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा की जाने का विचार किया जा रहा है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) सरकार ने १९५७ की निर्वाचन याचिका संख्या २२ श्री गुरमेज सिंह बनाम श्री प्रताप सिंह पर चंडीगढ़ निर्वाचन न्यायाधिकरण के आदेश को देखा है। वह आदेश २६ अक्तूबर, १९५९ को दिया गया था, ५ दिसम्बर, १९५९ को नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया गया है।

(ख) न्यायाधिकरण का आदेश पंजाब सरकार के ४ दिसम्बर, १९५९ के गजट में प्रकाशित हुआ है। यह कहना कठिन है कि आदेश में व्यक्त किये गये विचार मामले के प्रतिवादी पंजाब के मुख्य मंत्री की 'घोर भर्त्सना' हैं।

(ग) आदेश में प्रतिवादी के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विचारों पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

दिल्ली में भूमि का मूल्य

†२३२६. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में मकान बनाने की जमीन के बढ़ते हुए भाव से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर निर्णय करने में इस बीच में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : अन्तिम निर्णय शीघ्र किये जाने की आशा है ।

तेल की खोज के लिये फ्रांसीसी सहायता

†२३२७. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज के लिये फ्रांसीसी सहायता के सम्बन्ध में फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था द्वारा रखे गये प्रस्तावों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). भारत में तेल की खोज के सम्बन्ध में फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था द्वारा रखे गये प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†२३२८. श्री अ० क० गोपालन : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाईइस्पात परियोजना के रिफ्रेक्टरी स्टोर्स के रिगर्स ने सरकार को इस प्रकार का अभ्यावेदन पेश किया है कि उनके साथ परियोजना के अन्य विभागों के रिगर्स की तुलना में भेदभाव किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई विचार किया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). भिलाई इस्पात परियोजना के रिफ्रेक्टरी स्टोर्स के रिगर्स का अभ्यावेदन सरकार को सितम्बर, १९६० में प्राप्त हुआ था । इस अभ्यावेदन में उन्होंने अपने वेतन, तरक्की, स्थायी बनाये जाने, छंटनी, वेतनवृद्धि आदि से सम्बन्धित शिकायतें पेश की हैं । इन शिकायतों पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विचार किया गया है और उनको दूर करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये गये हैं ।

दिल्ली में विस्फोट

†२३२९. श्री साधन गुप्त :
श्री वै० च० मलिक :
श्री वोडयार :
श्री आसर :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सितम्बर, १९६० में तीन विस्फोट हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो वे किन किन स्थानों पर हुए थे ;

(ग) उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) जिन उपद्रवियों ने उनको रचा था उनके उद्देश्य क्या हैं ;

(ङ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). दिल्ली में २७, २८ और २९ सितम्बर, १९६० को तीन छोटे मोटे विस्फोट हुए । इनमें से पहले दो गांधी मैदान में हुए थे और तीसरा चांदनी चौक में फव्वारे के निकट ।

(ग) १२ व्यक्तियों को छोटी मोटी चोटें आईं ।

(घ) दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है ।

(ङ) अभी तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ।

(च) पुलिस उस क्षेत्र में गश्त करती है । दिल्ली पुलिस में एक विस्फोट विरोधी दल स्थापित किया गया है ।

लोहा तथा इस्पात का स्टाक

†२३३०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, अर्थात् :—

(क) १ अक्तूबर अथवा १५ अक्तूबर, १९६० को (१) सरकारी उद्योग क्षेत्र और (२) गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के निर्माताओं और (३) स्टाक रखने वालों के पास कच्चे लोहे और विभिन्न प्रकार के स्टील का कितना स्टाक था ;

(ख) कौन कौन सी किस्मों का संभरण कम है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये कम संभरण वाली किस्में बाजार में किस भाव पर उपलब्ध हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें विभिन्न इस्पात कारखानों और स्टाक रखने वालों के पास इस्पात का स्टाक श्रेणीवार दिखाया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०७**] कच्चे लोहे के स्टाक के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं ।

(ख) कमी मुख्यतः चादरों और तार की हैं क्योंकि उत्पादन मांग की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं है और आयात विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सीमित है ।

(ग) लोहा तथा इस्पात संविहित मूल्य से अधिक भाव पर बेचना गैर-कानूनी है । सरकार को इन किस्मों के बाजार भाव की जानकारी नहीं है ।

महिला अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर

†२३३१. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री १७ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिला अध्यापकों के लिये कितने क्वार्टर बनाये जा चुके हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी महिला अध्यापकों को प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्तियां और वज़ीफे मंज़ूर किये जाते हैं; और

(ग) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिला अध्यापकों को ग्राम-भत्ता मंज़ूर करने को योजना का व्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

विवरण

(क) लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण और शिक्षित बरोजगारों की सहायता और प्राइमरी शिक्षा के विस्तार की केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित किये गये क्वार्टरों की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य	क्वार्टरों की संख्या
१. आंध्र प्रदेश	१४
२. बिहार	६५
३. केरल	..
४. मद्रास	७१
५. मैसूर	२४
६. महाराष्ट्र	..
७. उड़ीसा	५२०
८ पंजाब	१३३
९. राजस्थान	५७७
१०. उत्तर प्रदेश	१०
११. मध्य प्रदेश	सूचना प्रतीक्षित हैं ।
१२. आसाम	
१३. गुजरात	
१४. जम्मू और काश्मीर	
१५. पश्चिमी बंगाल	
१६. संघ राज्य क्षेत्र	

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने यह सिफारिश की थी कि महिला अध्यापकों को गांवों में निशुल्क क्वार्टर के बजाय ग्राम भत्ता दे कर काम करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये क्योंकि इससे लड़कियों की संख्या बढ़ने की संभावना है । यह सिफारिश राज्य सरकारों को निर्दिष्ट की गई है जो संभवत: इस योजना को अपने तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगी । भत्ते का निर्णय राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करना होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

तेल की पाइप लाइनें

†२३३२. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा आयल कम्पनी (पाइप लाइन्स) लिमिटेड ने लाइन पाइपों की खरीद के लिये दो समवायों से बिना आयल इंडिया लिमिटेड की अनुमति के प्रत्यक्ष बातचीत की है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये ठेके बिना टेंडर आमंत्रित किये ग` हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बर्मा आयल कम्पनी (पाइप लाइन्स) लिमिटेड द्वारा किये गये इन ठेकों को वैध बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) नहीं, श्रीमान् । बर्मा आयल कम्पनी (पाइप लाइन्स) लिमिटेड को आयल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संभरण करने वालों से पाइप के लिये टेंडर आमंत्रित करने के लिये प्राधिकृत्य किया गया था।

(ख) ब्रिटेन के मेसर्स स्टीरवार्ट्स एण्ड लायड्स से ३२,६०६ टन पाइप लाइन खरीदी गई थी जिनका टेंडर सब से कम मूल्य का था । ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत सरकार को दिये गये ३० लाख पौंड के ऋण की एक शर्त यह थी कि इस मूल्य की पाइप-लाइन और सहायक उपकरण ब्रिटेन से खरीदे जायेंगे । ब्रिटेन के मूल्य की जांच करने के लिये अन्य देशों से भी टेंडर आमंत्रित किये गये थे । और स्टीवार्ट्स एण्ड लायड्स का टेंडर किसी भी अन्य संभरण करने वाले से प्राप्त निम्नतम टेंडर के बराबर था ।

५१,००० टन पाइप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से खरीदा जाना है । भारत में केवल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ही आवश्यक किस्म के पाइप के निर्माता/संभरणकर्ता हैं । इसलिये टेंडर आमंत्रित करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई और मूल्य बातचीत के आधार पर निश्चित किया गया था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान

†२३३३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान ने अपना पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान ने अपनी नौकरी छोड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, निवृत्ति और सेवा शर्तों) नियम, १९५६ में यह उपलब्ध है कि सभापति ६५ वर्ष की आयु समाप्त कर लेने पर रिटायर हो जायेगा जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता न हुआ हो । चूंकि श्री देशमुख के मामले में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है इसलिये वह १४ जनवरी, १९६१ को रिटायर हो जायेंगे जबकि उनके ६५ वर्ष पूरे हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चांदी का तस्कर व्यापार

†२३३४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघीय वित्त मंत्रालय के एक अभिकरण द्वारा चांदी के तस्कर व्यापार का एक जाल पकड़ा गया है जिसमें सौराष्ट्र का एक राजघराना और कुछ प्रमुख फर्में भी सम्मिलित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस राजा और फर्मों के नाम क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

समाज कल्याण योजनायें

†२३३५. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री वारियर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण योजनाओं के लिये नियत की गई निधियों में से प्रत्येक राज्य सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल अर्थात् १९५८–५९ और १९५९–६० में कितने प्रतिशत राशि दैनिक भत्तों, यात्रा भत्तों और जीप भत्तों पर खर्च की; और

(ख) क्या यह सच है कि केरल राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७५ प्रतिशत और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५७ प्रतिशत खर्च इन भत्तों पर किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में खुली जेल की प्रणाली

†२३३६. **श्री मे० क० कुमारन** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में कैदियों के लिये खुली जेल प्रणाली चालू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली का कार्यक्रम कैसे चल रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). बिलासपुर में खुली जेल का कार्य २४ अक्तूबर, १९६० से आरम्भ हो गया है । क्षेत्र की विभिन्न जेलों से इस जेल के लिये बड़ी सावधानी से ४० कैदियों को छांटा गया है । ४ कैदियों को रसोई, सफाई इत्यादि के आवश्यक कामों पर लगाया गया है और बाकी ३६ जेल वार्डरों अथवा पुराने

---

†मूल अंग्रेजी में

कैदी विश्वस्त अधिकारियों की देख-रेख में लोक निर्माण विभाग के लिये काम कर रहे हैं। इन्हें सामान्य दरों पर प्रतिदिन की मजूरी मिलती है। ये योजना उत्साहजनक ढंग से चल रही है।

मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन

†२३३७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर में उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के लिये जो सत्याग्रह आन्दोलन चला उसके सम्बन्ध में मनीपुर प्रशासन ने निम्न मदों पर अप्रैल से ले कर जुलाई, १९६० तक कितनी कितनी राशि व्यय की :

(१) पेट्रोल ;

(२) बिहार मिलिटरी पुलिस ;

(३) पश्चिमी बंगाल सशस्त्र पुलिस ;

(४) मनीपुर जेल ;

(५) आसाम की जेलें ; और

(६) आंसू बहाने वाली गैस ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (१) २७,९४९ रुपये।

(२) लगभग ८.५० लाख रुपये।

(३) लगभग ५०,००० रुपये।

(४) ४६,७२६ रुपये।

(५) इस बारे में आंकड़े तब तक प्रस्तुत नहीं किये जा सकते जब तक कि आसाम सरकार से उन कैदियों के खर्च के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हो जाती जिन्हें कि आसाम की जेलों में भेजा गया था।

(६) ८,८६५ रुपये।

मनीपुर प्रशासन

†२३३८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन ने जनवरी, १९५८ से जुलाई, १९६० तक कई अधिकारियों की नियुक्तियां, स्थायी आदेशों के विरुद्ध, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना की; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नियुक्तियों की संख्या क्या है और उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्होंने नियम विरुद्ध नियुक्तियां की, भारत सरकार और संघ लोक सेवा आयोग क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: जनवरी, १९५८ से जुलाई १९६० तक मनीपुर प्रशासन ने ११ दूसरे दर्जे की नियुक्तियां उन पदों पर की जो कि खाली थे। ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से विमुक्त) विनियम, १९५८ के अन्तर्गत आती हैं। प्रशासन द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

७ और दूसरे दर्जे की लम्बे अर्से की नियुक्तियां कीं जिनके सम्बन्ध में अन्तिम नियम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्माण किये जाने थे। इस मामले को अन्तिम रूप दे दने में कुछ देर हो गई इसलिए आयोग को ५ व्यक्तियों का मामला अन्तिम रूप में नियमित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा गया। दो अन्य मामले तबादले और पदोन्नति के थे अतः उसे स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा गया। प्रसाशन ने ८२ तीसरे दर्जे के पदों की नियुक्तियां भी कीं जो कि उनके वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण से पूर्व थी। पुनरीक्षण पर वे पद दूसरे दर्जे के अन्तर्गत आ गये। इन पदों पर की गई नियुक्तियां को नियमित करने के लिये आयोग से प्रार्थना की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सावित्री नगर, दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोग

†२३३९. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सावित्री नगर (शेख सराय) के अनुसूचित जाति के लोगों को अपने आवास स्थानों' के लिए ८ रुपये प्रति वर्ग गज अदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये लोग गत कई वर्षों से यहां ही रह रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस नीति का समर्थन नहीं किया कि इन लोगों को जहां भी सम्भव हो मुफ्त आवास स्थान दिया जाय ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने कुछ गांवों में आवास स्थान देने की योजना बनाई है, परन्तु सावित्री नगर इस योजना के क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं आता।

छटनी किये हुए भूतपूर्व सैनिक

†२३४०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकारी आदेशों में उन छटनी किये हुए भूतपूर्व सैनिकों के साथ उनके वेतन निर्धारित करते समय युद्ध सेवा लाभ देने के सम्बन्ध में भेदभाव का व्यवहार किया गया है जो कि असैनिक विभागों में स्थायी अथवा अस्थायी क्लर्कों के पद पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो छटनी हुये भूतपूर्व सैनिक असैनिक विभागों में क्लर्क के अस्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं और जिन्हें वेतन निर्धारण सम्बन्धी सरकार के वर्तमान आदेशों में युद्ध सेवा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उनके साथ यह भेद-भाव दूर कर दिया जाय ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : 'युद्ध सेवा' से आये वे उम्मीदवार, जो उन असैनिक पदों पर लगाये जाते हैं जो कि विशेष रूप से उनके लिये रक्षित होते हैं; और वे लोग जो असैनिक पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाते हैं, दो अलग अलग टोलियों के अधीन आते हैं और उन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के नियम भी अलग अलग हैं। अतः किसी भेदभाव का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Home Sides.

दलितवर्ग संघ, उड़ीसा

†२३४१. **श्री कुम्भार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा का दलित संघ अथवा अन्य अवैतनिक सरकारी संगठनों की प्रगति तथा लेखा परीक्षण की रिपोर्ट सरकार को १९५३–५४ से लेकर अब तक प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य सरकारें स्थानीय संस्थाओं को अनुदान देती हैं जो कि पिछड़े वर्गों के कल्याण का कार्य करती हैं । इन संस्थाओं को दिया गया धन ठीक प्रकार से उपयोग हो, इस बात का पता करना भी राज्य सरकार ही का उत्तरदायित्व है ।

मंहगी मुद्रा नीति

†२३४२. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ नवम्बर, को रक्षित बैंक के गवर्नर श्री एच० वी० आर० आय्यंगार ने 'महंगी मुद्रा' के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया, उसका आगे को कृषकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है जो कि आशावान थे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्हें भारी मात्रा में ऋण प्राप्त हो सकेंगे ।

(ख) यदि नहीं, तो यह 'महंगी मुद्रा' सम्बन्धी नीति विस्तार से क्या है ; और

(ग) तीसरी योजना के अन्तर्गत रक्षित बैंक किसानों की सहायता किस प्रकार करना चाहता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) जी नहीं । अधिक ऋण देने पर रोक लगाने वाले हाल ही के विधान सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋण पर लागू नहीं होंगे । सहकारी आन्दोलन को रक्षित बैंक पूरी सहायता प्राप्त होगी और उन्हें रियायती ब्याज दरों पर रुपया मिलता रहेगा ।

(ख) वित्तीय स्थिरता तथा आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षित बैंक की वितीय नीति यही रहेगी कि ऋण देने की प्रणाली को जारी रखा जाय । इसके अतिरिक्त इस नीति को काफी लचीलेपन से लागू किया जायेगा । जो पग उठाये गये हैं उनका उद्देश्य यही है कि ऋण के अनुचित विस्तार को रोका जाय । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि भारी सीजन होने के कारण रक्षित बैंक ने जो अनुसूचित बैंक निक्षेपों पर रोक लगाई थी उन्हें ढीला कर दिया गया है । [देखिये उसकी अधिसूचना दिनांक ११ नवम्बर, १९६०]

(ग) तीसरी योजना के अन्तर्गत रक्षित बैंक द्वारा किसानों की सहायता का काफी विस्तार किया जा रहा है । इस दिशा में किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके इस बात का अध्ययन रक्षित बैंक द्वारा किया जा रहा है । यह इस प्रश्न पर भी विचार कर रहा है कि किसानों को सहकारी आन्दोलन द्वारा सहायता देने की दृष्टि से इस योजना को और उदार बना दिया जाय । इस लिए भी कि सहकारी ऋण समिति (सभापति श्री वी० एल० मेहता) ने भी इसी प्रकार की सिफारिशें की है । बैंक इस बात का भी परीक्षण कर रहा है कि लम्बे अर्से की योजनाओं में धन लगाने

†मूल अंग्रेजी में

के योग्य बनाने के लिये जो कुछ राज्यों में भूमिबन्धक बैंकों ने जो विशेष विकास ऋण सत्र योजना बनाई है उसमें भी समुचित अंश दान दिया जाय ।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापक

†२३४३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली के स्कूलों के विभिन्न विषयों के अध्यापकों की २००--४०० के वेतन-क्रम में नियुक्तियां करते समय इन पदों की ५० प्रतिशत संख्या विभागीय उम्मीदवारों को पदोन्नति देकर पूरी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां । भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के विषयों में ।

(ख) इन विषयों में उपयुक्त अर्हता प्राप्त विभागीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं ।

सरकारी कार्यालय

२३४४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में कितने सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी नये कार्यालय खोले गये अथवा संगठनों का निर्माण किया गया ;

(ख) इन कार्यालयों तथा संगठनों में से कितनों के नाम भारतीय भाषाओं में रखे गये ;

(ग) क्या भारत सरकार का ऐसे नवीन संगठनों के नाम प्रारम्भ से ही भारतीय भाषाओं में रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ). इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

२३४५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों में ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास योग्यता की वह डिग्री है जो उन्हें हिन्दी में सरकारी पत्र-व्यवहार करने के योग्य बनाती है और कितने कर्मचारियों ने मान्यताप्राप्त संस्थाओं में हिन्दी का अध्ययन किया है तथा मान्यता प्राप्त परीक्षायें पास की हैं; और

(ख) प्रत्येक संघ राज्य-क्षेत्र में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति

†२३४६. **श्री नारायण कुट्टि मेनन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या केरल उच्च-न्यायालय में एक और न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रस्थापना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) ८ स्थायी और २ अतिरिक्त न्यायाधीश हैं।

(ख) जी नहीं ।

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

†२३४७. **श्रीमती लक्ष्मी बाई :**
डा० सामन्त सिंहार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण और उनकी बिक्री के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई सहायता दे रही है ताकि पुस्तकें लागत पर बेची जा सकें, और

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस रूप में दी जा रही है और सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रायपुर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के लिये सामान

†२३४८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का बहुत सा सामान भिलाई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रायपुर में होने वाले अधिवेशन के लिए अर्जित कर लिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रयोग की गयी विभिन्न चीजों की कुल मात्रा और मूल्य क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने बताया है कि अभी हाल जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन रायपुर में हुआ, उस के सम्बन्ध में भिलाई इस्पात परियोजना के जनरल मैनेजर से प्रार्थना की गयी थी

---

†मूल अंग्रेजी में

कि वह कुछ सामान किराये पर दे दे। इस प्रार्थना पर जिस सामान का सम्भरण हुआ उसकी मात्रा और मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्रमांक	मद	मात्रा	लगभग मूल्य (रुपयों में)
१	छत के पंखे . . .	७२ संख्या	१२,३१३
२	पाइप	३१०० फुट लगभग	७,४८२
३	नालीदर धातु चढ़ी लोहे की चादरें (सी०जी०आई० शीट्स) . .	८००० (संख्या)	१,०८,६०२
४	तारपौलाइन्ज . .	३०० संख्या	९७,८०३
			२,२६,२००

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने यह भी बताया है कि भिलाई इस्पात परियोजना का फालतू सामान इसी प्रकार महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाओं को उनकी प्रार्थना पर महत्वपूर्ण समारोहों के लिये दिया जाता रहा है। ऐसे मामलों में इस का किराया वसूल कर लिया जाता है। यदि कोई चीज टूट फूट जाये तो मूल्य ले लिया जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी किराया वही लिया जायेगा जो कि निर्धारित है और सब सार्वजनिक संस्थाओं से लिया जाता है। कांग्रेस कमेटी से किराया वसूल किया जा रहा है।

परीक्षा प्रणाली

†२३४९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो समिति भारतीय विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली का परीक्षण करने के लिए नियुक्त की थी, क्या उसने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सरायकेला और खरस्वान में जनगणना सम्बन्धी अनियमिततायें

†१३५०. **डा० सामन्त सिंहार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरायकेला की नगरपालिका के अध्यक्ष और राज्य विधान मंडल के स्थानीय सदस्य ने सरायकेला और खरस्वान के क्षेत्रों में जनगणना सम्बन्धी अनियमितताओं की शिकायत की है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां; तो उनकी शिकायतें क्या हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि इस नगरपालिका के अध्यक्ष को जनगणना का सुपरिंटेंडेंट नियुक्त नहीं किया गया जैसा कि अन्य नगरपालिकाओं में किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी नियुक्ति न करने के कारण क्या हैं ; और

(ङ) उड़ीआ और हिन्दी भाषी लोग जो सरायकेला और खरस्वान में जनगणना निरीक्षक नियुक्त हुये हैं उनकी अलग-अलग से संख्या क्या है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) से (घ). सरायकेला नगरपालिका के अध्यक्ष से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । बिहार राज्य विधान मंडल के एक सदस्य ने कुछ अनियमितताओं की शिकायत की है जो (१) सरायकेला नगर-पालिका के चार्ज अधिकारी (चार्ज आफ़िसर) की नियुक्ति (२) जनगणना के गिनती करने वालों (सेंसस एन्यूमरेटर्स) की नियुक्ति और जानकारी रिकार्ड करने के सम्बन्ध में थी । इन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

(ङ) उड़ीआ और हिन्दी भाषी निरीक्षकों की संख्या अलग-अलग से निम्न प्रकार है :

सरायकेला

	उड़ीआ भाषी	हिन्दी भाषी
सरायकेला . . .	३५	४६
खारस्वान	८	१६

खड़कवासला में सेनिटरी इंस्पेक्टर

†२३५१. श्री याज्ञिक : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना के पास खड़कवासला में केन्द्र स्वास्थ्य संगठन (स्टेशन हैल्थ आर्गेनाइज़ेशन) में कुछ ऐसे लोगों को सेनिटरी इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है जो कि उपेक्षित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सेनिटरी इंस्पेक्टरों में से उन व्यक्तियों को, जो कि अपेक्षित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे, पदोन्नत कर के सेनिटरी असिस्टेंट के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और योग्य व्यक्तियों के दावों की उपेक्षा कर दी गयी है ;

(ग) ऐसे सेनिटरी इंस्पेक्टरों की जो कि अपेक्षित योग्यतायें पूरी नहीं करते थे, परन्तु उन्हें सेनिटरी असिस्टेंट नियुक्त कर दिया गया है, संख्या क्या है ;

(घ) क्या सरकार के पास इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ङ). सेना मुख्यालयों में काम करने वाले सेनिटरी इंस्पेक्टर वही होते हैं जिन के पास सैनिटरी इंस्पैक्टर का प्रमाण-पत्र होता है अथवा वे लोग होते हैं जिन्हें सेना चिकित्सा प्राधिकार द्वारा इस कार्य के लिये विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है । अतः किसी भी सेना संस्थान में ऐसा व्यक्ति सेनिटरी इंस्पैक्टर

†मूल अंग्रेज़ी में

के पद पर कार्य नहीं कर रहा जो कि अपेक्षित योग्यतायें न रखता हो। सेनिटरी इंस्पक्टरों में से योग्यता के आधार पर ही सेनिटरी असिस्टेंट के पद पर लोग चुने जाते हैं। अयोग्य व्यक्तियों को पदोन्नति देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कुछ ऐसे लोगों के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जो कि वरिष्ठ सेनिटरी इंस्पैक्टर थे परन्तु पदोन्नति के चुनाव के समय योग्य सिद्ध नहीं हो सके। इन लोगों को समुचित उतर भेज दिये गये हैं।

प्राभिलेख विधान' सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*२३५२. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्थापित प्राभिलेख विधानों पर सलाह देने वाली समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं । वैसे आशा है कि इस मास के अन्त तक प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पाकिस्तानियों का भारत प्रवेश

†२३५३. श्री आसर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाक सीमा स्थित त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया सब-डिवीजन के रास्ते से गत छः मास में लगभग २००० पाकिस्तानियों ने भारत में प्रवेश किया ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार करना मान लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो मामला विस्तार से क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) १ मई, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० तक इस प्रकार के लोगों की संख्या ५०४ थी ।

(ख) इन पाकिस्तानी नागरिकों से कोई ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ जिसमें भारतीय नागरिकता के लिए प्रार्थना की गयी हो ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालय फिल्म परिषद्

†२३५४. { श्री जगदीश अवस्थी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय फिल्म परिषद्, नयी दिल्ली में विशेषज्ञ के पद पर किसी विदेशी को नियुक्त किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

'Archival Legislation.

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद के लिए कोई उपयुक्त भारतीय उपलब्ध नहीं था ;

(ग) इस विदेशी की योग्यतायें क्या है ; और

(घ) इसे किस आधार पर चुना गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). विश्वविद्यालय फिल्म परिषद् संस्थाओं का पंजीयन अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत पंजीकृत है । यह पता किया गया है कि परिषद् ने प्राविधिक सहायता और सलाह लेने के लिए एक विदेशी विशेषज्ञ को नियुक्त किया था ताकि परिषद् के कामों में उन से अपेक्षित सहायता ली जा सके । परन्तु अब यह विशेषज्ञ परिषद् की सेवा में नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति का कार्य काल समाप्त हो चुका है ।

अंदमान से खोपरा और सुपारी का निर्यात

†**२३५५. सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० के वर्षों में अलग-अलग से नान को वायर, कार निकोबार और पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न पत्तनों से खोपरा और सुपारी के निर्यात की मात्रा के आकड़े क्या हैं ; और

(ख) १९५८-५९ के वर्ष में निकोबार के खोपरा और सुपारी के निर्यात से 'रायल्टी' के रूप में निर्धारित और वसूल की गई राशि कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

भिलाई और रूरकेला इस्पात कारखाने

†२३५६. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **स्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भिलाई और रूरकेला संयंत्रों में इंजीनियरों, इलैक्ट्रीशियनों तथा साधारण टैक्नीशियनों के कितने स्थान खाली पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन खाली स्थानों को भरने के लिए प्रशिक्षित भारतीय कर्मचारियों की कमी है ; और

(ग) यह कमी कब और कैसे पूरी होगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) 'हिन्दुस्तान स्टील' ने यह रिपोर्ट की है कि स्नातक शिक्षार्थियों समेत इंजीनियरों के भिलाई में २७८ स्थान तथा रूरकेला में १०३ स्थान खाली पड़े हैं । इन में से भिलाई में १७५ खाली स्थान तथा

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला में ३४ खाली स्थान जूनियर इंजीनियरों के हैं जिन के लिए स्नातक शिक्षार्थियों को चुन लिया गया है । शेष खाली स्थान इस्पात का अनुभव वाले सीनियर इंजीनियरों के हैं। कुछ खाली स्थान ऐसे एककों के हैं जो अभी चालू नहीं हुए हैं।

इस के अतिरिक्त प्रवीण कर्मचारियों के भिलाई में ३०१२ तथा रूरकेला में १९६० खाली स्थान हैं। ये सभी उन एककों के हैं जो अभी चालू होने को हैं।

(ख) और (ग). सामान्यतः इस्पात का अनुभव वाले भारतीय कर्मचारियों की कमी है। सीनियर खाली पदों पर भिलाई में रूसी तथा रूरकेला में जर्मन जीनियर काम कर रहे हैं। जब कि 'हिन्दुस्तान स्टील' के कर्मचारियों को पर्याप्त अनुभव हो जायेगा तब य खाली स्थान भर दिये जायेंगे ।

प्रवीण कर्मचारियों के खाली स्थानों पर सीखे अथवा निर्माण कार्य के कर्मचारियों को भरती किया जायेगा । आशा है कि 'हिन्दुस्तान स्टील' द्वारा स्थापित संस्थाओं में व्यक्तियों को प्रशिक्षिण दे कर यह कमी पूरी कर ली जायेगी ।

मद्रास में बाढ़

†२३५७. श्री तंगामणि : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी है ; और

(ग) मद्रास तथा मदुरै नगरों समेत बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से नष्ट व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) राज्य ने सहायता नहीं मांगी है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

धोखेबाजों का गिरोह

†२३५८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस की अपराध-शाखा ने ऐसे धोखेबाजों के एक गिरोह का पता लगाया है जो फर्जी नामों से अपराधियों की जमानतें देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) इस के सम्बन्ध में अब तक २७ गिरफ्तारियां हुई हैं ।

सहकारी आर्थिक विकास के लिये कोलम्बो योजना सलाहकार समिति

†२३५९. श्री कालिका सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १४ नवम्बर से १७ नवम्बर, १९६० तक टोकियो में हुई दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में सहकारी आर्थिक विकास के लिये कोलम्बो योजना सलाहकार समिति की बारहवीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कोलम्बो योजना देशों में मुद्रास्फीति के दबाव के बारे में क्या करने का निर्णय किया गया ;

(ग) क्या देशों के भुगतान शेष की स्थिति संतोषजनक पाई गई ;

(घ) गत पांच वर्षों में देशों के आय स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है और अन्य देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है ; और

(ङ) कोलम्बो योजना के आरम्भ से भारत को तथा अन्य देशों को अलग-अलग कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कितने प्रतिशत विदेशी सहायता मिली है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय प्रतिनिधि मंडल में निम्न व्यक्ति थे :—

१. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, वित्त उपमंत्री . .	नेता
२. श्री एन० सी० सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	वैकल्पिक नेता और अधिकारियों की बैठकों में नेता
३. डा० पी० के० बनर्जी, काउन्सलर, भारत का दूतावास, जापान	सदस्य
४. श्री ए० टी० बम्बावाले, उपसचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग . . .	सदस्य
५. श्री एस० एस० मराठे, उपआर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
६. श्री आर० के० जेराठ, प्रथम सचिव, भारत का दूतावास, जापान	सदस्य
७. श्री ए० जी० असरानी, तृतीय सचिव, भारत का दूतावास, जापान	सदस्य
८. श्री एच० भल्ला, तृतीय सचिव, भारत का दूतावास, जापान	सदस्य

(ख) सलाहकार समिति, अन्य बातों के अलावा, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशिया क्षेत्र में कोलम्बो योजना के सदस्य देशों में आर्थिक स्थिति का पुनर्विलोकन करती है और विदेशी सहायता की आवश्यकता की भी जांच करती है । यह समिति सदस्य देशों की आर्थिक समस्या को हल करने के बारे में कोई सिफारिशें नहीं करती । इन मामलों पर तो सम्बन्धित देशों की सरकारें ही निर्णय कर सकती हैं ।

(ग) और (घ). सलाहकार समिति का वार्षिक प्रतिवेदन १२ जनवरी, १९६१ को अथवा उसके बाद प्रकाशित होगा और उसमें दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशिया क्षेत्रों के सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी । सलाहकार समिति द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०८]** । विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, तुलना करना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) कोलम्बो योजना के अधीन विदेशी सहायता कई प्रकार से दी जाती है, जैसे प्रविधिक सहायता, पूंजी की सहायता तथा ऋण। यह सब सहायता उभयपक्षीय रूप से तय की जाती है । कोलम्बो योजना के द्वारा, तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जिससे द्विपक्षीय सहायता, ली तथा दी जा सके। इसलिये कोलम्बो योजना के अधीन भारत तथा अन्य देशों को मिलने वाली सहायता बताना सम्भव नहीं है ।

अल्प बचत संबंधी आदर्श योजना

†२३६०. **श्री बालकृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पबचत सम्बन्धी आदर्श योजना कई स्थानों पर लागू की गई है ;

(ख) आदर्श योजना के क्या तरीके हैं ; और

(ग) योजना के परिणाम तथा कार्यकलाप क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) कोई आदर्श बचत योजना लागू नहीं की गई है । परन्तु स्वेच्छा के आधार पर बचत आन्दोलन के प्रचार के लिये हाल में ही कुछ राज्यों में "आदर्श जिले" चुने गये हैं।

(ख) मुख्य अभिप्राय यह है : आन्दोलन के उद्देश्यों का प्रचार करना, विभिन्न स्तरों पर ग़ैर-सरकारी बचत समिति बनाना, सक्रिय बचत वर्ग बनाना, सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों के शिविर संगठित करना, प्राधिकृत एजेंटों की भरती करने के लिये आन्दोलन शुरु करना, स्थानीय रूप से अपील कर के विशेष प्रचार, करना, और बिक्री एजेंसी का विस्तार करने के लिये तथा जनता की सेवाओं के सुधार करने के लिये डाक-विभाग की सहायता लेना ।

(ग) यद्यपि योजना का स्वागत हुआ है परन्तु प्रयोग के परिणाम तथा कार्यकलाप के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

भारतीय सार्वजनिक संस्थाओं को विदेशियों द्वारा दान

२३६१. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री लच्छीराम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजनों के उद्धार के लिये कोई विदेशी किसी भारतीय सार्वजनिक संस्था को अधिक से अधिक कितनी विदेशी मुद्रा दान दे सकता है; और

(ख) इसके भुगतान और विनिमय की क्या प्रक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट) के उपबन्धों के अनुसार किसी भी उद्देश्य से दान देने के लिये देश में विदेशी मुद्रा भेजने पर कोई रोक नहीं है ।

(ख) ये दान बैंक का काम करने वाली संस्थाओं के जरिये प्राप्त किये जा सकते हैं। दान की रकम रुपयों में पाने के लिये विदेशी मुद्रा भारत में किसी प्राधिकृत कारबारी

†मूल अंग्रेजी में

(अथराइज्ड डीलर) को देनी पड़ती है। आंकड़े रखने के खयाल से भारतीय रिजर्व बैंक, स्टर्लिंग पौंडों के रूप में भेजी गयी २० हजार रुपये से ऊपर और डालरों में भेजी गयी ४८० रुपये से ऊपर की रकमों का मुनासिब हिसाब रखता है।

१९६२ के आम चुनाव

२३६२. { श्री प० ला० बारूपाल:
श्री लच्छी राम :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी १९६२ के आम चुनाव में विधान-सभाओं और लोक-सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचन-केन्द्रों के नामों के साथ उन सूचियों में सम्बन्धित डाकघरों के नाम भी प्रकाशित किये जायेंगे ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : जी नहीं, निर्वाचन आयोग डाकघरों के नाम मतदान केन्द्रों की सूची में शामिल करना आवश्यक नहीं समझता। प्रत्येक मतदान केन्द्र की स्थिति स्पष्टतः दिखायी जाती है और उस स्थान का ठीक पता चलाने में जनता को कोई कठिनाई नहीं होगी।

उड़ीसा के लिए सेना की बटालियन

†२३६३. **श्री संगण्णा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से राज्य में सेना की बटालियन बनाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने सुझाव दिया है कि उड़ीसा में एक पैदल सेना बटालियन रखी जानी चाहिये। सुझाव पर सरकार विचार कर रही है।

एस० ए० एस० लेखापालों का वेतन निर्धारण

†२३६४. **श्री तंगामणि** : क्या वित्त मंत्री २१ अगस्त, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-लेखापाल महानिदेशक डाक तथा तार विभाग, मद्रास के कार्यालय से प्रतिनियुक्त किये गये एस० ए० एस० लेखापालों का वेतन इतना समय निकल जाने के बाद भी संशोधित नहीं किया गया ;

(ख) इस आदेश के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या यह सच है कि यह असंगति अब भी विद्यमान है ;

(घ) प्रभावित कर्मचारियों को कितनी हानि उठानी होगी ; और

(ङ) इनके प्रति हुए अन्याय को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य उप-लेखापाल महानिदेशक, डाक तथा तार विभाग मद्रास के एस० ए० एस० पास क्लर्कों

---

†मूल अंग्रेजी में

का उल्लेख कर रहे हैं न कि एस० ए० एस० लेखापालों का । यदि ऐसा है तो उनके वेतन निर्धारण में संशोधन करने में समय का बीतना ही अकेला कारण नहीं है ।

(ख) १६ ।

(ग) २१ अगस्त, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) अगर वेतन निर्धारण सब का एक समान हो तो सरकार को ३५,००० रुपये अधिक देना होगा ।

(ङ) चूंकि कहीं अन्याय नहीं हुआ है अतः उसे ठीक करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीरंगपट्टम संग्रहालय

†२३६५. श्री तंगामणि : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा टीपू सुल्तान सम्बन्धी सामग्री एकत्रित करने के लिये कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बाद से कौन-कौन सी नई वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या इंडिया आफिस लाइब्रेरी से म्यूजीकल चीता प्राप्त कर लिया गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में किन-किन सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों को लिखा गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० मा० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) (१) टीपू सुल्तान के हुक्मनामा की पांडुलिपि के ७४ फोटो ।
(२) एक फारसी पांडुलिपि ।
(३) श्रीरंगपट्टम किले का मोडल (चित्र) ।
(४) इंडिया आफिस में रखे हुए दस्तावेजों की (सात रील) और ग्यारह पांडुलिपियों की माइक्रोफिलम ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) (१) मैसूर सरकार ।
(२) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद ।
(३) फोर्ट सैंट जार्ज संग्रहालय, मद्रास ।
(४) लाल किला संग्रहालय, नई दिल्ली ।
(५) गैर-सरकारी अभिकरण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये यूनेस्को सहायता

†२३६६. श्री तंगामणि : क्या शिक्षा मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को से प्राप्त ३६,८४,२८८ डालर की पूरी निधि तीनों कार्यक्रमों पर व्यय कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यूनेस्को के संयुक्त राष्ट्र विकास प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन मद्रास विश्वविद्यालय पर कितना धन व्यय हुआ है ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की अवधि समाप्त होने से पूर्व कितनी और राशि मिलने की संभावना है ; और

(घ) तीनों शीर्षों के अधीन क्रमशः कितना-कितना धन मिलेगा ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) २९,१०० डालर।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रक्षित स्थानों के लिये उम्मीदवार

†२३६७. श्री तंगामणि : क्या विधि मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २१०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्र तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्रमशः कितने-कितने व्यक्तियों को साधारण चुनाव में रक्षित स्थानों पर सफलता मिली ; और

(ख) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के पारित हो जाने के बाद से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साधारण स्थानों पर चार अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन क्षेत्र में १४ अनुसूचित जाति के प्रार्थियों को सफलता मिली है । इस अवधि में इन दोनों प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों से अनुसूचित आदिम जातियों के प्रार्थियों ने क्रमशः २ और ९ स्थान प्राप्त किये हैं।

(ख) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को तोड़ने सम्बन्धी सरकारी निर्णय को लागू करने वाली आवश्यक विधि आज संसद् में पुरःस्थापित की जा रही है ।

झांसी की स्वर्गीय रानी महारानी लक्ष्मीबाई के प्रपौत्र को पेन्शन

†२३६८. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी की स्वर्गीय महारानी लक्ष्मीबाई के प्रपौत्र श्री के० एल० झांसीवाला को वह पेंशन न देने के क्या कारण हैं जो पेंशन कि उसके मृतक पिता को अब तक दी जाती रही थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : श्री लक्ष्मणराव झांसीवाला को जो १०० रुपये प्रतिमास की पेन्शन मिलती थी वह उसके जीवन भर के लिये ही थी और अनुदान की शर्तों के अनुसार उसके लड़के के लिये नहीं थी । इस प्रकार की पेंशनों को पैत्रिक आधार पर जारी रखने की नीति सरकार की नहीं है । इसलिये यह पेंशन श्री के० एल० झांसीवाला को नहीं जारी रखी गई थी ।

बंगाल और बिहार राज्य क्षेत्र हस्तांतरण अधिनियम, १९५६

†२३६९. श्री फ० गो० सेन : क्या गृह-कार्य मंत्री १४ दिसम्बर, १९५९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और बंगाल राज्यक्षेत्र हस्तांतरण अधिनियम, १९५९ के अधीन सरकारी कर्मचारियों के सभी निलम्बित मामले तै कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं । १४ दिसम्बर, १९५९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में जिन १३२ मामलों का उल्लेख किया गया था और जिनके बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया था, २४८ और मामले आये हैं । इन कुल ३८० मामलों में से २४० व्यक्तियों के मामले तै कर दिये गये हैं जिनमें से ५३ को बिहार में और १८७ को पश्चिमी बंगाल में स्थान दिये गये हैं । १४० मामले अभी तक राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

(ख) बिहार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि इन मामलों को अन्तिम रूप से निबटाने के लिये दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलानी चाहिये और भारत सरकार का एक प्रतिनिधि भी उस बैठक में भाग ले सकता है । बिहार सरकार इससे सहमत हो गई है और यह भी सुझाव दिया है कि इन निलम्बित मामलों के बारे में दोनों सरकार द्वारा सुझाव देने के बाद ही बैठक बुलाई जाये । भारत सरकार बिहार के प्रस्ताव से सहमत हो गई है । पश्चिमी बंगाल सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

तृतीय श्रेणी के सेक्शन आफीसर

†२३७०. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, १९५८, १९५९ और १९६० में कितने तृतीय श्रेणी के सैक्शन आफीसरों को लोक सेवा संघ आयोग द्वारा अस्वीकृत किया गया है जिन्होंने कि असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट की परीक्षा दी थी ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को अब तक अपने स्थायी पद पर वापस भेज दिया गया है ;

(ग) उनमें से कितने अभी तक सैक्शन आफीसरों के पद पर कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०९]

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों तथा मंत्रियों के विरुद्ध अपमानसूचक वक्तव्य

†२३७१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ और १९६० की अवधि में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तथा मंत्रियों के विरूद्ध प्रकाशित घोर अपमानसूचक वक्तव्यों के विरोध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९८-ख के विरुद्ध कितने मामलों में अब तक कार्यवाही की गई है ; और

(ख) प्रशासन की कौनसी शाखा इन अपमानसूचक वक्तयों के बारे में निगरानी रखती है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सम्बन्धित प्रशासकीय मंत्रालय यह कार्य कर रहा है।

असवान बांध की खुदाई में भाग लेना

†२३७२. श्री तंगामणि : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र के असवान बांध स्थान पर की जाने वाली पुरातत्वीय खुदाई के कार्य में पुरातत्व विभाग भाग ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य मिश्र की सरकार के आमंत्रण पर किया गया है ;

(ग) खुदाई करने की शर्तें क्या हैं ;

(घ) इस कार्य के लिये प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम क्या है ;

(ङ) क्या दूसरे देशों की सरकारों के भी विशेषज्ञ आये हैं ; और

(च) क्या मिश्र का भी कोई विशेषज्ञ खुदाई करने वाले वर्ग के साथ है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) यूनेस्को द्वारा अन्तर्देशीय कार्यवाही करने के लिये की गई अपील के आधार पर खुदाई की जा रही है।

(ग) (१) इसका उद्देश्य अत्यधिक यादगारों का अध्ययन करना तथा उन्हें यहां लाकर स्थापित करना है ; और

(२) जमीन के भीतर के अवशेषों की खुदाई करना है। अन्तर्देशीय सहायता के लिये मिश्र की सरकार ने निम्नलिखित बातें स्वीकार की हैं :

(१) कुछ अनूठी कृतियों को छोड़कर जो मिश्र के संग्रहालय में रखने के लिये आवश्यक समझी जाये, खुदाई के माल में से आधा माल दिया जायेगा ;

(२) मिश्र के अन्य स्थानों पर भी खुदाई करने की छूट ;

(३) उत्तरी नूबिया के कुछ मन्दिरों को छोड़ना एवं जहाजों द्वारा उन्हें विदेश ले जाने की छूट ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं के संग्रह को देना जो राज्य की सम्पत्ति हैं।

(घ) (१) श्री बी० बी० लाल पुरातत्व स्कूल के निदेशक। प्रतिनिधि मंडल के नेता हैं।

(२) श्री अमीरसिंह ड्राफ्ट्समैन

(३) श्री एस० आर० जैन सर्वेयर

(४) श्री आर० चटर्जी, फोटोग्राफर

(५) श्री के० एम० श्रीवास्तव, टैक्नीकल असिस्टेंट।

(ङ) हमें कोई जानकारी नहीं है।

(च) जी नहीं।

अम्बाला में एम० ई० एस० के क्वार्टर

†२३७३. श्री कुन्हन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना हेडक्वार्टर के मुख्य प्रविधिक परीक्षक (चीफ़ टेक्निकल एग्जामिनर) १९५८–५९ में बनाये गये एम० ई० एस० के० १०८ क्वार्टरों के निर्माण में रह गयी त्रुटियों का निरीक्षण करने के लिये अम्बाला कैंट गये थे ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की त्रुटियां पायी गयी हैं ;

(ग) क्या उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है ;

(घ) क्या त्रुटिपूर्ण निर्माण के लिये ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). चीफ टेक्निकल एग्जामिनर (मुख्य प्रविधिक परीक्षक) द्वारा मुख्य रूप से चुनाई के काम, छत डालने और उनके ढाल आदि के सम्बन्ध में त्रुटियों की ओर संकेत किया है। मामले की जांच की गयी है और यह ज्ञात हुआ है कि वे त्रुटियां बहुत मामूली सी हैं। क्योंकि ये त्रुटियां संधारण अवधि में पकड़ी गई हैं इसलिये वे त्रुटियां स्वयं ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर ठीक की जा रही हैं ?

शिक्षा संस्थाओं के लिये संविहित मान्यता

†२३७४. श्री कुन्हन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जामिया मिलिया इस्लामिया, गुरूकुल कांगडी और स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टीज़ को संविहित मान्यता देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन संस्थाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिये तीन अलग अलग समितियां स्थापित की हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन समितियों के सदस्यों के क्या क्या नाम हैं ; और

(घ) उनकी रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने दो अलग अलग समितियां नियुक्त की हैं । एक इंडियन स्कूल आफ़ इन्टरनेशनल स्टडीज़, नई दिल्ली के सम्बन्ध में और दूसरी गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय, हरिद्वार के सम्बन्ध में । जामिया मिलिया के सम्बन्ध में ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गयी है क्योंकि जामिया के कुलपति ने उस संस्था की उच्च शिक्षा के भावी रूप पर विचार करने के लिये स्वयं एक समिति नियुक्त की थी ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिस में समितियों के सदस्यों के नाम दिये गये हैं :—

विवरण

इंडियन स्कूल आफ़ इन्टरनेशनल स्टडीज़ सम्बन्धी समिति के सदस्य :—

१. सरदार के० एम० पणिकर (सभापति)

२. श्री एस० दत्त (सदस्य)
विदेश सचिव,
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

३. श्री पी० एन० किरपाल (सदस्य)
सचिव, शिक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

४. डा० पी० डी० शुक्ल (सचिव)
उपशिक्षा मंत्रणा दाता,
शिक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार सम्बन्धी समिति के सदस्य :—

१ श्री पातंजली शास्त्री, (सभापति)
भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ।

२. डा० एस० के० चटर्जी, (सदस्य)
सभापति, विधान परिषद्,
पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता ।

३. डा० पी० डी० शुक्ल, (सचिव)
उपशिक्षा मंत्रणा दाता,
शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

(घ) जामिया मिलिया इस्लामिया की समिति की रिपोर्ट सरकार को १५ सितम्बर, १९६० को प्राप्त हुई थी, आशा है कि स्कूल आफ़ इन्टरनेशनल स्टडीज़ और गुरुकुल कांगड़ी के सम्बन्ध में भी रिपोर्टें शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के मुअत्तिल अध्यापकों को निर्वाह भत्ते

†२३७५. **श्री राम गरीब** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के अधीन इस समय कितने अध्यापक और प्रिंसिपल मुअत्तिल हैं ;

(ख) क्या उन सभी को कोई निर्वाह भत्ते अदा दिये जा रहे हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो कितने व्यक्तियों को यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है ; और

(घ) उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ५

(ख) जी, नहीं ।

(ग) २

(घ) इन दो व्यक्तियों ने अभी तक इस संबंध में शपथ-पत्र (एफ़ीडेविट) दायर नहीं किये हैं कि मुअत्तिली के दौरान वे कुछ भी काम नहीं करते रहे हैं ;

हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूल

†२३७६. **श्री राम गरीब** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय कितने प्राइमरी स्कूल हैं; और

(ख) उनमें कक्षा एक , दो, तीन, चार और पांच में अलग अलग कुल कितने कितने छात्र हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मांगी गयी है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर राज्य संविधान अधिनियम, १९४७

†२३७७. **श्री ब्रज राज सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ज्ञात है कि मनीपुर रियासत के भारत संघ में विलय होने से पूर्व "मनीपुर राज्य संविधान अधिनियम, १९४७" नाम का एक अधिनियम विद्यमान था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिनियम का कभी निरसन किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह अधिनियम अभी तक विद्यमान है और लागू होता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). १५ अक्तूबर, १९४९ को मनीपुर का विलय हो जाने पर और उसी दिन भारत सरकार द्वारा मनीपुर प्रशासन आदेश, १९४९ के लागू हो जाने

---

†मूल अंग्रेजी में

पर मनीपुर राज्य संविधान अधिनियम निरसित समझ लिया गया है और अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है ।

आदिम जातीय गृह-निर्माण योजना

†२३७८. **श्री ब्रज राज सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मनीपुर के लिये आदिम जातीय गृह-निर्माण योजना के अधीन कितनी राशि आवंटित की गयी थी ;

(ख) राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके उचित उपयोग के लिये क्या क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सामान्य तथा अधिकांश राशि ग़लत और अपात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार से धन का दुरुपयोग हो रहा है ; और

(घ) क्या सरकार इस धन के दुरुपयोग के संबंध में जांच करने का आदेश देगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) ३ लाख रुपये ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) कोई विशेष आरोप भेजा जाये तो उस बारे में जांच की जा सकती है ।

पंजाब को कोयले का आवंटन

†२३७९. **श्री दलजीत सिंह :** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९६०–६१ में पंजाब को कोयले का आवंटन बढ़ाने के सम्बन्ध में निवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि में वास्तव में कितनी मात्रा संभरित की गयी थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) चालू वर्ष में पंजाब सरकार की ओर से ये प्रार्थनायें आयी हैं कि विभिन्न उद्योगों को कोयले का कोटा बढ़ा दिया जाये ।

(ख) इन प्रार्थनाओं पर विचार किया गया था और तदर्थ आधार पर कोटा उपयुक्त मात्रा में बढ़ा दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में विभिन्न उद्योगों के लिये निर्धारित किये गये कोटों और भेजी गयी मात्राओं के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

घरेलू इस्तेमाल के लिये साफ्ट कोक	नियमित कोटा	भेजा गया कोयला
	टन	टन
इस्तेमाल के लिये घरेलू साफ्ट कोक	१,४९,२४५	८३,३६७
ईंटें पकाना .	३,२०,८३१	१,५६,५८१
मिट्टी के बर्तन .	४,७५२	५,३५४
रसायन	११,९६३	१०,९५७
रबड़	१,५४०	१,२८९
एनेयल . .	१,५४०	६९९
अन्य उद्योग	१,७२,१४१	१,४२,७७२

कन्नड़ की पुस्तकों का अनुवाद

†२३८०. { श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन कौन सी कन्नड़ की पुस्तकें हैं जो कि अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिये एक वर्ष से अधिक समय से साहित्य अकादमी के पास लम्बित हैं; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूँन् कबिर) : (क) और (ख). निम्नलिखित पुस्तकों का उपयुक्त आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिये चुना जा रहा है ; परन्तु पहले उन्हें कन्नड़ में प्रकाशित कराया जायेगा :—

(१) लघु कथा संग्रह

(२) निबन्ध संग्रह

(३) एकांकी नाटक संग्रह

(४) 'पुरन्दर दास' की कृतियों का चयन

(५) 'वासवाना' के वचनों का चयन

(६) 'भारटेश वैभव' से चयन

पाइप लाइनें बिछाना

†२३८१. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाहरकटिया तेल क्षेत्र से नूनमती तक पाइप लाइनें बिछाने का वास्तविक कार्य किसे सौंपा गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस कार्य के लिये विश्व भर से टेंडर मांगे गये थे ; और

(ग) इन टेंडरों पर किस आधार पर विचार किया गया ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मैसर्ज मैन्निसमेन्न-सेपम ।

(ख) जी, हां ।

(ग) टेंडरों पर, उनमें उल्लिखित कीमतों और इस प्रकार की परियोजना को क्रियान्वित करने के बारे में फर्म की योग्यता के आधार पर विचार किया गया था ।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक-केन्द्र[1], नई दिल्ली

†२३८२. **श्री आसर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय डाक केन्द्र से अभी हाल ही में तीन फाइलें और चार हजार रु० गुम हो गये ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) और (ख). ५-१२-१९६० को नई दिल्ली के प्रिंसिपल पोस्टल एप्रेज़र (मुख्य डाक मूल्यांकनकर्त्ता) के कार्यालय की स्टील की आल्मारी से सरकार द्वारा जब्त चार हजार रु० की भारतीय मुद्रा और इससे सम्बद्ध फाइल गुम पायी गई ।

(ग) मामला पुलिस में दर्ज करा दिया गया है । पुलिस द्वारा जांच की जा रही है । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

हिमाचल प्रदेश का खनिज सर्वेक्षण

†२३८३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों का खनिज सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां । दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों तथा हिमाचल प्रदेश में खनिजों के बारे में की गई खोज का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

हिमाचल प्रदेश —

फटकरी : जाखरी में और टाटल के निकट सड़क के एक मोड़ के पास पाये जाते हैं । किन्तु इन दोनों स्थानों पर इनकी मात्रा बहुत कम है और इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

पाइराइट और कैल्को पाइराइट : महासू जिले के मतिआना नामक स्थान पर १९५६-५७ में और फिर १९५७-५८ में पाइराइट निक्षेपों का अन्वेषण किया गया था । इन निक्षेपों का प्रारम्भिक सतही निरीक्षण करने से पता चलता है कि ये खनिज काफी लम्बे चौड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Foreign Post Office

नमक : मंडी जिला में पती के निकट जो नमकीन चश्मा है वह इतना छोटा है कि उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

एस्बेस्टोस : १९५७–५८ में महासू जिले के मंढन नामक स्थान पर 'एस्बेस्टोस' के निक्षेपों के लिए खोज की गई थी । पहाड़ी की चोटी पर ८–१० फुट लम्बे क्षेत्र में ट्रेमोलाइट की एक फुट मोटी पट्टी पायी गई है और इसमें एस्बेस्टोस तत्व पाये गये हैं । यहां पर सर्पनटाइन की पट्टियां भी हैं और वहां की चट्टाने पुनःस्फटित चूने के पत्थर की हैं । इन सब निक्षेपों का कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

कोयला : १९५७–५८ में सिरमूर जिले की पाउंटा तहसील में खैरी और सिरमरी के निकट कथित कोयला निक्षेपों की जांच की गई । इन स्थानों से पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त होने का कोई संकेत नहीं मिला । १९५९–६० में मंडी जिले के सुन्दरनगर क्षेत्र में पाये जाने वाले कोयले की जांच की गई थी । किन्तु इस कोयले का कोई आर्थिक महत्व नहीं है क्योंकि यह कोयला छोटी छोटी बिखरी हुई पट्टियों में और वीक्षाकार रूप में पाया जाता है ।

सोना: १९५७–५८ में मंडी जिले में धर्मपुर के नजदीक खादसून में सोने के निक्षेपों का अन्वेषण किया गया था । श्रम पर होने वाले व्यय की अधिकता और सोने की बहुत कम मात्रा को देखते हुए इन निक्षेपों का कोई भावष्य प्रतीत नहीं होता ।

चूने का पत्थर—जिला बिलास पुर: १९५७–५८ में बिलासपुर के नये नगर के लिये चूने के पत्थरों का अन्वेषण किया गया था । इस नगर से ६ मील दूर मंडी को जाने वाली नई मोटर-सड़क पर बिनौरा के निकट कठोर चट्टानों के काफी बड़े निक्षेप पाये गये थे । अनुमान है कि ये निक्षेप लगभग १०,००० टन के हैं । चूने के ये पत्थर बहुत बढ़िया किस्म के हैं । इन में ५३.८६ प्रतिशत (कल्शियम आक्साइड) है और केवल १.४० प्रतिशत (मैगनीशिम आक्साइड) है । अतः इन्हें चमड़ा कमाने, चीनी को परिष्कृत करने आदि रासायनिक कार्यों के लिये सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई है ।

मंडी जिला: मंडी जिले में चूने के पत्थरों के निक्षेपों का अन्वेषण १९५७–५८ में किया गया था । इस जिले में चूना-उद्योग शुरू करने की सम्भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए मंडी जिले की मंडी, सुन्दरनगर और जोगिन्द्रनगर तहसीलों के तीन स्थानों पर कैल्केरिस तूफा[1] निक्षेपों और तीन क्षेत्रों में क्रौल चूने के पत्थर की जांच की गई ।

१९५९–६० में मंडी जिले के सुन्दरनगर क्षेत्र में पाये जाने वाले चूने के पत्थर की जांच की गई और इससे पता चला कि बुम्कनाला में लाल-जामुनी (pink purple) किस्म के चूने के पत्थर को छोड़ कर अन्य किस्म के चूने के पत्थरों में डोलोमाइट का अंश है ।

चिकनी मिट्टी: १९५८–५९ में सिरमूर जिले की पांउटा तहसील में चिकनी मिट्टी के निक्षपों का अन्वेषण किया गया । अभी तक इन निक्षपों की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया ।

लौह-अयस्क : मुंडी जिले की चिचोट तहसील में लौह-अयस्क निक्षेपों की जांच १९५८–५९ में की गई । ये निक्षेप पयुप्त मैग्नेटाइट और हैमाटाइट यक्त फिलीटाइस[2] के हैं तथा इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

---

[1]Calcarous Tufa
[2]Phyllities

गंधक: सिग्रोनी के पश्चिम में गरम पानी के चश्मों से गंधक प्राप्त करने की संभावनाओं की जांच १९५८-५९ में की गई थी। इससे पता चला कि आस पास के क्षेत्रों से गंधक मिलने की कोई संभावना नहीं है।

पंजाब :—

चूने की चट्टानें[1] : जमीनों की अम्लता[2] को समाप्त करने के लिये १९५६-५७ में कुल्लू घाटी में जिला कांगड़ा में चूने के पत्थरों को खोजने का प्रयास किया गया था। किन्तु चूने का पत्थर नहीं मिला और यह सिफारिश की गई थी कि शिवबाग के निकट जो थोड़ी बहुत चूने की चट्टानें (calc-tufa) मिली हैं उन का उपयोग इस कार्य के लिये किया जा सकता है।

चिकनी मिट्टी[3] : १९५६-५७ में जिला पटियाला के पिंजौर क्षेत्र में पायी जाने वाली मिट्टी का निरीक्षण किया गया था। इस मिट्टी में चूने और लोहे की मात्रा बहुत अधिक थी अत: यह मिट्टी वर्तन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

तांबा : १९५६-५७ में कांगड़ा जिला में नरोल के निकट तांबा-अयस्कों के कथित निक्षेप की जांच की गई। यहां पर स्थानीय चट्टानों पर, जो चैल-स्फटिक पत्थर की बनी हुई हैं, एजूराइट की हल्की सी तह मिली है किन्तु तांबे की कोई पट्टी नहीं मिली।

फेल स्पार[4] महेन्द्रगढ़ जिले में नारनौल में मंडी पहाड़ियों, पचनोटा और मसनोटा पहाड़ियों पर पाये जाते हैं। इनका उपयोग मुख्यत: मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग में होता है।

कांचरेत : होशियारपुर जिले के जेजों दोआबे में कुछ समय पहले कांच-रेत निकाली जाती थी किन्तु अब यह काम बन्द हो गया है। होशियारपुर जिले के गुजरका नांगल नामक स्थान के निकट सतलुज नदी के तलभाग में ऐसी ही रेत मिलती है। महेन्द्रगढ़ जिले में नारनौल के दक्षिण में चार मील दूर थाला नामक स्थान में कांच की चादरें बनाने के लिये उपयुक्त रेत-पत्थर पाये जाने का पता लगा है। महेन्द्रगढ़ जिले के अटाला नामक स्थान पर सुचूर्ण्य स्फटिक मिलने का पता चला है और अनुमान है यह लगभग २००० टन का निक्षेप है।

लोह-अयस्क : १९५६-५७ में खोल में लौह-अयस्क के कथित निक्षेपों की जांच की गई। किन्तु इन निक्षेपों का कोई आर्थिक महत्व नहीं है।

तेल : १९५६-५७ में होश्यारपुर जिले में बधेरा के निकट कुओं में तेल की कथित तह की जांच की गयी। जांच करने पर पता चला कि यह तह कुछ वनस्पतिक तत्वों की है।

बस्फटिक : १९५६-५७ में महेन्द्रगढ़ जिले में बर्तन बनाने के उद्योग में काम आने वाले स्फटिकों के निक्षेप पाये गये। उनको समुचित रीति से अधिशोधित कर के, उनका प्रयोग बर्तन बनाने के लिये किया जा सकता है।

१९५६-५७ में कांगड़ा जिले के मौजा हरकंडी में जरी नामक स्थान के निकट चट्टानी स्फटिक के कथित निक्षेपों की जांच की गयी। इन निक्षेपों का कोई आर्थिक महत्व प्रतीत नहीं होता।

---

[1]Calc-Tufa

[2]Acidity

[3]Clay

[4]Felspar

शोरा : फीरोजपुर, अमृतसर, हिसार और रोहतक के जिलों में पाया जाता है । सब से अधिक उत्पादन फीरोजपुर में होता है जो कि लगभग ८—१० हजार मन प्रतिवर्ष है ।

†**पहाड़ी नमक** : १९५६–५७ में बेहना के निकट चट्टानी नमक के कथित निक्षेपों की जांच की गयी । उनमें अधिकांश चट्टानें चुनायुक्त स्फटिकों की हैं । इस क्षेत्र में नमक मिलने की कोई खास सम्भावना नहीं है ।

चांदी : १९५६–५७ में कांगड़ा जिले में यूचिच के नीचे चांदी की खान का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया । यूचिच और मनीकरण में उन स्थानों की जांच की गयी, जहां पर खुदाई होती थी । काम जारी है ।

चूने का पत्थर : कांगड़ा जिले में धर्मकोट नामक स्थान पर (धर्मशाला से ३ मील दूर) १.७६ करोड़ टन के निक्षेप मिले हैं, जिनसे एक ऐसा संयंत्र २५ वर्ष तक चलाया जा सकता है जितनी क्षमता ७०० टन प्रति दिन हो ।

स्लेट : १९५७–५८ में गुड़गांव जिले में बसइ मेव के निकट स्लेप निक्षेपों के लिये अन्वेषण किया गया था, जहां पर १०–१५ फुट मोटी तह वाला एक क्षेत्र पाया गया है । स्लेट घटिया किस्म की है । १९५९–६० में कांगडा जिले में उत्तर धर्मशाला क्षेत्र में स्थित स्लेट-खानों की जांच की गयी थी । इस क्षेत्र में चार स्थानों पर महत्वपूर्ण निक्षेप हैं, : (१) भट्टी से उत्तर में १ मील दूर (२) भागसूनाथ (३) थात्री और (४) खास कनिहारा ।

कांच-रेत : १९५८–५९ में गुड़गांव जिले में बदरपुर नामक स्थान पर कई नये स्थानों की जांच की गई थी । कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर श्वेत कोणीय रेत अथवा नरम तथा आसानी से चूरा हो जाने वाले स्फटिक मिले हैं जो शीशों के निर्माण के लिये काम में आते हैं । इनमें से उपयुक्त पदार्थ को छांट कर काम में लाया जा सकता है ।

कंकर : गुडगांव जिले के वीक्षाकार भूमिखंडों में, जिनमें कुछ का क्षेत्रफल कुछ एकड़ है और कुछ का कई वर्ग मील, कंकर की तहें पायी जाती हैं जिनकी मोटाई स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न है । सामान्यतः भूमि के ऊपर इनका पता नहीं चलता किन्तु जिले में स्थान स्थान पर ये निक्षेप बिखरे हुए हैं । इनकी तहों की मोटाई १ से ३ फुट तक है । अनुमान है कि विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए ये निक्षेप १,०३,८४,७०४ टन के हैं ।

चीनी मिट्टी : १९५९–६० में गुड़गांव जिले में चीनी मिट्टी और सुचूर्ण्य स्फटिक (friable quastz) के लिये अन्वेषण किया गया था और गुड़गांव जिले के दक्षिण पश्चिम के ५० वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया । अलीपुर और नातूपुर में चीनी मिट्टी के निक्षेप पाये गये ।

पंजाब में स्मारक

†२३८४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से प्रार्थना की है कि वह मरम्मतों और देखभाल के लिये केन्द्र द्वारा रक्षित किसी पुराने स्मारक को ले ले ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में भूमिगत जल संसाधन

†२३८५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भूमिगत जल संसाधनों का कोई विस्तृत, सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हां । गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, हिसार, अम्बाला और होशियारपुर जिलों में प्रयोगात्मक खुदाई के द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है। लगभग २०,७२० वर्ग कीलो मीटर भूमि का सर्वेक्षण किया गया है ।

प्रयोगात्मक नलकूप संगठन के सहयोग से ३८ प्रयोगात्मक सुराख खोदे गये थे । खुदाई की अधिकतम गहराई ३०४.८ किलोमीटर या भूमिगत चट्टानों तक थी जो पहले थी। इन सुराखों का जिलावार वितरण इस प्रकार है :

जिला	सुराख खोदे गये	सुराखों से कुएं बनाये गये
गुड़गांव	१५	३
रोहतक	४	कोई नहीं
महेन्द्र गढ़	५	,,
हिसार	४	,,
अम्बाला	६	५
होशियारपुर . .	४	१
योग	३८	९

इन ३८ सुराकों में से ९ को कूओं का रूप दिया गया और शेष सुराखों में से कूएं नहीं बनाये जा सकते थे क्योंकि जिन स्थलों पर जल होता है, वे पर्याप्त नहीं थे और दूसरे कुछ कूएं में जो पानी मिला वह अत्यधिक खारी था । इन कूओं से प्रति मिनट ३६८ से ८८३ अमरीकी गैलन जल उपलब्ध होता है ।

जो जांच की गई है उसके आधार पर पंजाब राज्य में निम्न क्षेत्रों की सिंचाई के लिये बड़े पैमाने पर भूगत जल विकास तथा भारी नलकूपों द्वारा अन्य उपयोगों के लिये अस्थायी तौर पर सिफारिश की गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

शमसपुर, दहीना और दरौली (गुड़गांव जिला) अम्बाला (अम्बाला जिला), और नरियाला (होशियारपुर जिला) ।

'लेपचा' आदिम जाति

†२३८६ श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा पर रहने वाली आदिम जाति 'लेपचा' की जनसंख्या घट रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आदिम जाति को समाप्ति से बचाने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर में विधान सभा की मांग का आन्दोलन

†२३८७. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इम्फाल, पश्चिम मनीपुर के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विधान सभा मांग आन्दोलन के स्वयंसेवकों को दिये गये दंडों में से कितने मामलों में मनीपुर के सत्र न्यायाधीश और न्याय आयुक्त द्वारा दंड कम किये गये ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : २६ मामलों में सत्र न्यायाधीश ने निम्न न्यायालय के द्वारा दिये गये दंड कम किये । न्याय आयुक्त ने केवल दो मामलों में दंड कम किये ।

इम्फाल के सिनेमाओं में वयस्कों के लिये चलचित्र

†२३८८. श्री ल० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "केवल वयस्को के लिये" प्रमाणपत्र वाले चलचित्र इम्फाल में दिखाये जाते हैं और १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनमें अबाध रूप से जाने दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो चलचित्र दिखाने वालों के इस अनियमित एवं अवैध कार्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाई की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) अठारह वर्ष की आयु से कम बच्चों को 'केवल वयस्कों के लिये' प्रमाणपत्र वाले चलचित्र देखने के लिये सिनेमाघरों में प्रवेश होने नहीं दिया जाता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इम्फाल में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

†२३८९. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में २५ अप्रैल, १९६० में पुलिस ने जो गोली चलाई थी, उस के बारे में मनीपुर प्रशासन के कोई कार्यपालिका ने जांच की है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ग) मुख्य आयुक्त ने जांच की थी जिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि गोली चलना उपयुक्त था ।

मनीपुर का विभाजन

†२३६०. **श्री ले० अचौ सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर को जिलों में विभक्त किया जा रहा है ;

(ख) क्या मनीपुर में घाटी और पहाड़ियों के पृथक जिले बनाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). इस समय मनीपुर का प्रशासन अकेले एक जिले के रूप में होता है जिस के छः पहाड़ी सब-जिडिवीजन और चार घाटी सब डिवीजन हैं। प्रशासन को पहाड़ी क्षेत्रों के अधिक निकट लाने की दृष्टि से पहाड़ी सब-डिवीज़नों को पिछले वर्ष १५ मंडलों में विभक्त किया गया था और प्रत्येक मंडल का प्रभारी एक सब-डिप्टी कलक्टर होता है । राज्य क्षेत्र में एक से अधिक जिले होने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मनीपुर प्रादेशिक परिषद्

†२३६१. **श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रादेशिक परिषद् ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि इस के सदस्यों को २५० रुपये का मासिक वेतन दिया जाए ;

(ख) क्या इस सिफारिश की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). परिषद् की ओर से इस बारे में अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

मनीपुर में बम विस्फोट

†२३६२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि मनीपुर के फैसाट सब-डिवीजन के मुख्यालय फुंग्यार में २१ नवम्बर, १९६० को एक बम विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या बम के कारणों और परिणामों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) क्या इस विषय में कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) २२ नवम्बर, १९६० को मनीपुर के उखरूल सब-डिवीज़न में फुंग्यार फैंसाट में एक छोटा बम विस्फोट हुआ था ।

(ख) घटना की जांच की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

मनीपुर में बालकों में अपराध-प्रवृत्ति के मामले

†२३९३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में बालकों में अपराध-प्रवृत्ति के मामले बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या हाल में युवकों द्वारा बलात्कार, मारपीट और छुरेबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं; और

(ग) क्या मनीपुर में जेलों में या बाहर बालकों की अपराधप्रवृति को रोकने के मामलों के लिये कोई कार्यवाई की जा रही है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). पिछले वर्ष की तुलना में १९६० ऐसे मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई है ?

(ग) अपराधों के कारण दंडित किशोरावस्था के बालकों को मिडिल अंग्रेजी स्तर तक सामान्य शिक्षा और इम्फाल जेल में बुनना और बढ़ईगीरी जैसे कामों का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है । किशोरावस्था के अपराधी लोगों के लिये प्रोबेशन अफसर नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है । पुलिस शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये जोरदार कार्रवाई कर रही है ।

इम्फाल के सिनेमाघरों में मेटिनी शो

†२३९४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फ़ाल के सिनेमाघरों में मेटिनी शो में विद्यार्थियों को जाने दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि मेटिनी शो के कारण विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ कर स्कूलों और कालेजों की कक्षाओं से अनुपस्थित हो जाते हैं ; और

(ग) विद्यार्थियों और युवकों को मेटिनी शो से रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) किसी सिनेमा में विद्यार्थियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि दिखाये जाने वाले चल चित्र के लिये यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि उसे सब देख सकते हैं ।

(ख) कुछ विद्यार्थी कक्षाओं से अनुपस्थित रहते रहे हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सिनेमाघर शिक्षण संस्थाओं के पास हैं ।

(ग) शिक्षा अधिकारी शिक्षण संस्थाओं के समय में मेटिनी शो में विद्यार्थियों को जाने से रोकने के लिये सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल की खोज

†२३९५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई अमरीकी तेल कम्पनियों ने भारत में तेल की खोज में भारत सरकार के साथ सहयोग देने की तत्परता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां। कुछ अमरीकी तेल कम्पनियों ने तेल की खोज में सहयोग देने की पेशकश की है ।

(ख) भारत में तेल की खोज करने के लिये विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा दी गई पेशकश विचाराधीन है । क्योंकि अभी बातचीत जारी है, लोक हित में यह बताना वांच्छनीय नहीं समझा जाता कि इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ[1]

†२३९६. **श्री सिदय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय दलित जाति लीग (आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज़ लीग) को वर्ष १९६०–६१ के लिए अब तक कोई अनुदान स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम मंजूर की गयी है और लीग द्वारा पेश की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या लीग ने वर्ष १९५९–६० के दौरान किये गये कार्यों के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित लेखे पेश किये हैं।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) भारतीय दलित वर्ग लीग (अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग नहीं) को अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी प्रचार की योजनाओं के लिए वर्ष १९६०–६१ के लिए अनुदान मंजूर किया गया है ।

(ख) १,४५,८०० रु० । एक विवरण **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११०]** सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) १९५९–६० में लीग को कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

मैसूर में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†२३९७. **श्री सिदय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों से मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]All India Depressed Classes League.

(ख) १० दिसम्बर, १९६० तक प्रत्येक वर्ग की कितनी छात्र-वृत्तियां दी गई हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना का १९५९-६० से विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित राज्य-सरकारों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। अभी राज्य सरकार से इस बात की जानकारी नहीं मिली कि उन्हें १९६०—६१ में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितनी छात्रवत्तियां प्रदान की गयीं ।

मैसूर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

†२३९८. **श्री सिदय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० के लिये मैसूर राज्य के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो धन मंजूर किया गया था उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर ही व्यय किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यतिक्रम हुआ है; और

(ग) क्या जितनी रकम मंजूर की गई थी, वह सारी व्यय की जा चुकी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानका ी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त

†२३९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने १९६०-६१ में अब तक पंजाब का कितनी बार दौरा किया है; और

(ख) उन्होंने किन स्थानों का दौरा किया और वहां पर क्या समस्याएं देखीं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) एक बार ।

(ख) (१) मन्दिर कलां (जिला फीरोजपुर), घग्गा (जिला पटियाला), बरारा (जिला अम्बाला), नवारसी (जिला करनाल), नांगल सोहल (जिला अमृतसर), लधिआना, मोगा (जिला फीरोजपुर) और चंडीगढ़ ।

(२) इस दौरे में अनुसूचित जाति तथा अनसूचित आदिम जाति आयुक्त ने अनुसूचित जातियों तथा अधिसूचित आदिम जातियों के कल्याण की तीन योजनाओं का अध्ययन किया :

(एक) हरिजन आवास बस्तियां ;

(ो) सामुदायिक केन्द्र ;

(तीन) बस्तियां बसाने की योजाना

---

†मल अंग्रेजी में

सीमान्त जिलों में काम करने वाले ईसाई मिशन

†२४००. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) और मनीपुर के सीमान्त जिलों में कितने भारतीय तथा विदेशी ईसाई मिशन काम कर रहे हैं; और

(ख) प्रत्येक मिशन के साथ कितने प्रचारक संलग्न हैं और कार्य कर रहे हैं ;

(ग) ये प्रचारक किन देशों के हैं और इन्हें अपने देशों से कितना धन प्राप्त होता है; और

(घ) इन क्षेत्रों में इनकी क्या गतिविधियां हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में उद्योग निदेशक

†२४०१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के उद्योग निदेशक ने थौबल के कला एवं शिल्प उत्पादन केन्द्र के लिए लगभग दस हजार रु० के मूल्य की चीजें, जिनमें अधिकतर हथकरघा उत्पाद हैं, खरीदें हैं और इन चीजों को खरीदने के लिए टेंडर तथा मूल्य-सूचियां नहीं मांगी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का सर्वेक्षण

†२४०२. **श्री वारियर** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के सर्वेक्षण का कार्य गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को सौंपा गया है ;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने सर्वेक्षण कार्य के लिए कुछ विदेशी विमान-चालकों को नियुक्त किया है; और

(ग) क्या इनमें से किसी विमान को शक होने पर मोहर बन्द किया गया है और उस पर कब्जा कर लिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी संस्थाओं को स्टेट बैंक की सुविधायें

†२४०३. श्री ओंकार लाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक के सहायक बैंकों को और विशेषकर उन जिलों और स्थानों पर जहां स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है, कुछ ऐसी हिदायतें दी गई हैं कि वे सामान्यतया सहकारी आन्दोलन को और विशेषकर सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करें ;

(ख) क्या इन को पर्याप्त कर्मचारी और कुशल व्यक्ति दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) स्टेट बैंक ने अपने सहायक बैंकों को अपनी इस नीति से अवगत कराया है कि सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाए और यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी संस्थाओं को वे भी इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें ।

(ख) तथा (ग). सहायक बैंकों के वर्तमान कर्मचारी इस काम के लिये पर्याप्त समझे जाते हैं । स्टेट बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के ग्राम्य ऋण सैक्शन की सेवाएं भी सहायक बैंकों को उपलब्ध हैं ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री विनायक राव बालशंकर वैद्य का राजपीपला में ७ दिसम्बर, १९६० को देहान्त हो गया है । उनकी आयु ७१ वर्ष की थी ।

श्री वैद्य १९४७-५२ में भारत की संविधान सभा तथा अन्तःकालीन संसद् के सदस्य रहे थे ।

मैं विश्वास करता हूं कि सभा शोकग्रस्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी ।

सभासद् शोक प्रकट करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े रहें ।

इस के पश्चात् सभासद एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र†

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशें

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों के, जो पूरी अथवा कुछ रूपभेद के साथ स्वीकार कर ली गई हैं, एक और विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२५६३/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियमों में संशोधन

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२५६४/६०]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक)	पहला विवरण	बारहवां सत्र, १९६०
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या ४	ग्यारहवां सत्र, १९६०
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या ९	दसवां सत्र, १९६०
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या १२	नवां सत्र, १९६०
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या १४	आठवां सत्र, १९५९
(छै)	अनुपूरक विवरण संख्या २१	सातवां सत्र, १९५९
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या २०	छठा सत्र, १९५८
(आठ)	अनुपूरक विवरण संख्या २३	पांचवां सत्र, १९५८
(नौ)	अनुपूरक विवरण संख्या ३३	चौथा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या क्रमशः १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८ और ११९]

खनिज (संरक्षण तथा विकास) नियमों में संशोधन

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रताप सिन्हा) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनिज (संरक्षण तथा विकास) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकलय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२५७४/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम और औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४४८

(दो) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४८०

(२) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४७४ की एक प्रति।

(३) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४७७ की एक प्रति।

(४) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४७८ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—२५७५/६०, २५७६/६०, और २५७७/६०]

इनामी बांडों के बारे में विवरण

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं पंचवर्षीय ब्याज रहित इनामी बांड, १९६५ के बारे में विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी समितियों के कार्यवाही—सारांश

समिति "ए" (नीति, संसाधन और आवंटन)

†**श्री नं० रं० घोष** (कूच-बिहार) : मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी समिति "ए" (नीति, संसाधन और आवंटन) के कार्यवाही सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

समिति "बी" (उद्योग, बिजली और परिवहन)

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी समिति "बी" (उद्योग, बिजली और परिवहन) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति "सी" (कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था)

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : श्रीमन्, मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी समिति "सी" (कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था) की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति, आपकी अनुमति से सदन-पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

समिति "डी" (सामाजिक सेवायें)

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी समिति "डी" (सामाजिक सेवायें) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

समिति "ई" (प्रविधिक जनशक्ति और वैज्ञानिक अनुसंधान)

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी समिति "ई" (प्रविधिक जनशक्ति और वैज्ञानिक अ ुसन्धान) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर खता हूं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या कार्यवाही सारांश की प्रतियां सभी सदस्यों को मिलेंगी ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय परिवहन तथा संचार मंत्री ने बताया था कि राजन समिति की सिफारिशें सत्र के अन्त तक हमें मिल जायेंगी। परन्तु अब तक तो वह हमें मिली नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : समितियों के कार्यवाही सारांश की प्रतियां सदस्यों में परिचालित कर दी जायेंगी।

राजन समिति के प्रतिवेदन के बारे में क्या माननीय मंत्री कुछ बतायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : राजन समिति का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रख दिया गया है। सको तथा इस पर साक्ष्य आदि को छापने में समय लगेगा।

†**श्री ंगामणि** : यह घोषणा की गई थी कि प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय सत्र की समाप्ति से पूर्व बता दिये जायें।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं ने लोक-सभा सचिवालय को स बारे में एक पत्र भेजा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। मैं उसे देखूंगा।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की बारहवें सत्र में हुई (उन्तीसवीं और तीसवीं) बै कों की कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

दसवां तिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना

†श्री याज्ञिक (ग्रहमदाबाद) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना बनाने और गुजरात से बम्बई तक पाइप लाइन लगाने की योजना और उसकी प्राक्कलित लागत"।

†इस्पात, खान और तेल मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा): मैं गुजरात में तेल साफ करने के प्रस्तावित कारखाने तथा बम्बई से तेल के परिवहन के बारे में ब्यौरे जानने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की उत्सुकता को समझता हूं।

गुजरात में तेल साफ करने के कारखाने के सम्बन्ध में जब तक ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं होता और हमारे पास नहीं आ जाता तब तक लागत के बारे में अनुमान बताना समय से पूर्व होगा। लगभग एक या दो महीने के भीतर और जानकारी आ जाने की संभावना है और सभा के अगले सत्र में नवीनतम स्थिति के बारे में आगे जानकारी देना शायद संभव हो जायेगा। इस बीच माननीय खान और तेल मंत्री अहमदाबाद जा रहे हैं, और वहां पर २७-१२-१९६० को गुजरात सरकार के साथ इस पर और अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करेंगे। वहां की सरकार द्वारा उठाये गये प्रश्नों का वह उत्तर देंगे। यह उत्तर, जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन पर ही आधारित होंगे।

†श्री याज्ञिक : श्रीमान्, मैं ने तेल साफ करने वाले कारखाने की प्राक्कलित लागत पूछी थी। मेरा निवेदन है कि समाचार पत्रों में इस कारखाने की प्राक्कलित लागत लगभग १६ करोड़ रुपये और पाइप लाइन डालने की प्राक्कलित लागत लगभग २४ करोड़ रुपये छपी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कारखाना पहले बनेगा अथवा पाइप लाइन पहले डाली जायेगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस सभा से कोई जानकारी छिपानी नहीं चाहिये।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : कारखाने की पूरी क्षमता का निर्धारण किये जाने से पहले इसका बताना संभव नहीं है। अभी तो खम्भात के तेल क्षेत्रों के उत्पादन का भी निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिये जो कुछ मैं ने अभी बताया है उस से अधिक बताना संभव नहीं है।

†श्री याज्ञिक : श्रीमान् माननीय तेल और खान मंत्री ने गुजरात की विधान-सभा के सदस्यों के सामने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना बनाने का पक्का फैसला कर लिया गया है। यह फैसला लागत आदि का अनुमान लगाने के बाद ही किया गया होगा। हम जानते हैं कि रूसी प्रतिनिधिमंडल ऋण देने के बारे में, जिसमें तेल साफ करने के कारखाने को गुजरात में बनाने की बात भी शामिल है, तय करने यहां आया हुआ है। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में जानना चाहता हूं।

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : श्रीमान् आप सभा में बता चुके हैं कि सभा का जब सत्र हो रहा हो तब मंत्रियों को सभा से बाहर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिये। परन्तु अब माननीय

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री श्री मालवीय ने ुजरात विधान सभा के सदस्यों के सामने भाषण दिया और वहां पर ौरे बताये । इसके अतिरिक्त गुजरात के तेल साफ करने के कारखाने की क्षमता २० लाख टन उन्होंने एक वक्तव्य में बताई है । परन्तु अब सभा में वह कोई सूचना नहीं देना चाहते हैं ।

†**श्री क० उ० परमार** (अहमदाबाद-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : हमें गुजरात राज्य सरकार का निमंत्रण भी मिला है जिसमें स्पष्टतया बताया गया है कि श्री मालवीय कारखा के बारे में बतायेंगे । परन्तु अब सभा सचिव कह रहे हैं कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है ।

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार का विचार कोई ी जानकारी छिपाने का नहीं है । यह तथ्य है कि कारखाने के आधार अथवा उसके स्थापित करने के स्थान अथवा उत्पादन के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। जैसा कि माननीय सभासचिव ने बताया अभी तक खम्भात और अंक लेखा के तेल के क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता का भी पता नहीं है । परन्तु मेरे साथी श्री के० दे० मालवीय ने गुजरात के विधायकों के सामने कई सप्ताह पहले एक वक्तव्य दिया था। क्योंकि वहां पर इस के बारे में बड़ी उत्तेजना थी कि कारखाना गुजरात में बनाया जायेगा अथवा नहीं । उन्होंने उनके सामने स्थिति स्तपष्ट करने तथा संदेह निवारण करने के लिये वक्तव्य दिया था। उन्होंने एक बात यह बताई थी कि बिना साफ किये हुए तेल की उपलब्धता पर ही कारखाना वहां स्थापित होगा । सके अलावा और सभी बातें जैसे कारखाने का आधार उत्पादन क्षमता, अथवा लागत आदि बातें समय से पहले हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनसे कोई बात छिपाई नहीं जा रही है ।

श्री याज्ञिक ने बताया कि उनको पता है कि रूसी विशेषज्ञ यहां पर बातचीत कर रहे हैं। जब वह यह जानते हैं ो और क्या बताया जाना है । रूसी विशेषज्ञ उस क्षेत्र में तेल की खोज में हमारी सहायता कर रहे हैं। परन्तु अभी तक आ ार अथवा स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : परियोजना प्रतिवेदन किस लिये है और इसे कौन तैयार कर हा है ? यह कारखाने के लिये है या पाइप लाइन के लिये ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह नहीं कहा कि परियोजना प्रतिवेदन ैयार किया गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय सभा सचिव ने कहा था।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं ने यह नहीं कहा । मैं ने कहा था कि जब तक परियोजना प्रतिवेदन नहीं मिलता, तब तक कारखाने की क्षमता के बारे मे अन्तिम निर्धारण करना मुमकिन नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : परियाजना प्रतिवेदन कौन तैयार करेगा ?

†**अ ध्य क्षोदय** : मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उसके बारे में कुछ ग़लतफहमी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने महत्वपूर्ण नीति की घोषणा, नीति में परिवर्तन करने अथवा नई नीति की घोषणा के बारे में सभा से बाहर वक्तव्य देने के बारे में कहा था । कारखाने को कहां

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

पर स्थापित किया जायेगा यह नीति का मामला नहीं है। छोटे छोटे मामलों को नीति का मामला नहीं समझा जा सकता है।

मुझे याद है कि माननीय मंत्री श्री मालवीय बता चुके हैं कि कारखाना गुजरात में बनाया जायेगा ब्योरे के बारे में अखबारों में कुछ छपते ही माननीय सदस्य यहां उसे उठा देते हैं। अब अखबारों में तो यही होता है कि कुछ बात छाप दी जाती है और कुछ नहीं छापी जाती। फिर यहां वक्तव्य दिया जाता है लेकिन अखबार अपनी बात को ठीक करने के लिये बाध्य नहीं। इसलिये अखबारों की बात को ले कर यह कहना ठीक नहीं कि सभा का विश्वास प्राप्त नहीं किया जाता।

नीति में परिवर्तन करने अथवा नई नीति की घोषणा के बारे में माननीय मंत्रियों को सूचना सभा में ही बतानी चाहिये, जब सत्र हो रहा हो। जब सत्र न हो, तो वे कहीं भी बता सकते हैं। यह याद रखने की बात है।

इस मामले के बारे में माननीय मंत्री ने बताया है कि वह स्वयं वहां जा रहे हैं और बातचीत के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। मैं इसलिए माननीय मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि वह यहां पर कोई वचन दें। माननीय मंत्री का यह कहना काफ़ी है कि उन्होंने अन्तिम फ़ैसला नहीं किया है। यह एक अधिकृत वक्तव्य है।

नियम १९७(३) के अन्तर्गत एक दिन में केवल एक ध्यान दिलाने वाली सूचना ही ग्रहीत हो सकती है। परन्तु क्योंकि आज सत्र का अंतिम दिन है इसलिए तीन और ध्यान दिलाने वाली सूचनायें भी कार्य सूची में रख दी गई हैं। माननीय मंत्री उनके बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रख देंगे।

दिल्ली में अनुसूचित जाति के लोगों के झोंपड़ों का गिराया जाना

†स्वास्थ्य मंत्री श्री करमरकर : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२०].

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान तथा शरणार्थियों को दण्डकारण्य में ले जाने के बारे में योजना

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): मैं निम्नलिखित दो वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान के बारे में वक्तव्य, और

(२) दण्डकारण्य में शरणार्थियों को ले जाने सम्बन्धी योजना के बारे में वक्तव्य।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या क्रमशः १२१ और १२२].

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्ड विधि संशोधन विधेयक

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधि को पूरा करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड विधि को पूरा करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री गो० ब० पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि द्विसदस्यीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने और उन के स्थान पर एक संदस्दीय निर्वाचन क्षेत्रों को बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्विसदस्यीय संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने और उन के स्थान पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विशिष्ट सहायता विधेयक

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ प्रकार की विशिष्ट सहायता संबंधी विधि की परिभाषा करने और उसे संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ प्रकार की विशिष्ट सहायता संबंधी विधि की परिभाषा करने और उसे संशोधित करे वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अवधि विधेयक

†श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वादो और अन्य कार्यवाही की स्थापनावधि संबंधी विधि को समेकित तथा संशोधित करने और तत्संबंधी प्रयोजनों के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वादों और अन्य कार्यवाही की स्थापनावधि संबंधी विधि को समेकित तथा संशोधित करने और तत्संबंधी प्रयोजनों के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बाल विधेयक—(जारी)

†अध्यक्ष महोदय : सभा में अब २२ दिसम्बर, १९६० को डा० का० ला० श्रीमाली द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी :

"कि संघ राज्य क्षेत्रों में अपेक्षित अथवा उपचारी बच्चों की देखभाल, उन के संरक्षण, पालन-पोषण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा पुनर्वास और उपचारी बच्चों पर अभियोग चलाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

श्री कालिका सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

†श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : इस विधेयक को ब्रिटिश संसद् द्वारा १९४८ में पारित बाल अधिनियम के अनुरूप ही बनाया गया है । परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में भीख मांगना, व्यवसाय के रूप में अथवा धर्म के अन्तर्गत उचित नहीं माना जाता है जबकि भारत में भीख मांगना ही नहीं अपितु गरीबों को भी धर्म के अन्तर्गत अच्छा माना गया है । हिन्दू विधि के द्वारा कुछ जातियों तथा भिक्षुकों को भीख मांगने का अधिकार मिला हुआ है । इसलिये हमें इस पर विचार करना चाहिये कि कहीं यह विधेयक संविधान के विरुद्ध न हो जाये ।

[मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

यह विधेयक उपेक्षित तथा उपचारी बच्चों के बारे में है । अपेक्षित बच्चा उपजारी हो जाता है और अपचारी धीरे धीरे अपराधी बन जाता है । इसलिये मैं इस का स्वागत करता हूं क्योंकि इस में समस्त देश में अपराध कम हो जायेंगे । परन्तु मैं समझता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

कुछ मामलों में मैं समझता हूं कि यह विधेयक ब्रिटेन के बाल विधेयक से भी आगे बढ़ गया है । क्योंकि ब्रिटेन के विधेयक में बाल अदालत की व्यवस्था नहीं है जब कि हम ने इस में ऐसी व्यवस्था रखी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंगलैंड में गृह-मंत्रालय के अधीन बाल अदालतें बनाई गई हैं। बाल विधेयक के अधीन नहीं बनाई गई हैं। यह अदालतें ही बच्चों के मुकदमों का फैसला करती हैं।

इस विधेयक में एक यह व्यवस्था रखी गई है कि अपराध करने पर बच्चे को देखरेख गृहों में रखा जायेगा। मैं नहीं जानता कि बच्चे द्वारा हत्या कर देने पर भी क्या उस को देखरेख गृहों अथवा स्कूलों में रखा जायेगा। मैं समझता हूं कि सुधारक बनने की चाह में हमें ऐसे उपबन्ध नहीं बनाने चाहियें जिन के द्वारा हत्या करने पर भी बच्चे को कोई दण्ड न मिल पाये।

मेरा यह भी सुझाव है कि बाल गृहों को भी इतना अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिये जिस से वह अपना दिखावा ऐसा कर दें कि बच्चे वहां पर रहने को उत्सुक रहें। मेरी मंत्रालय से प्रार्थना है कि मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार करे कि इन गृहों में रहने वाले बच्चों को उस से अधिक सुविधायें नहीं मिल पायें जितनी साधारण परिवार में रहने वाले बच्चों को मिलती हैं।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक के समर्थन के लिये माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने दो एक बातों के सम्बन्ध में आशंका प्रकट की है। मैं प्रारम्भ में ही उन गलतफहमियों को दूर कर देना चाहता हूं।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि विधेयक अपने प्रस्तुत रूप में सर्वथापूर्ण है परन्तु इस बात की क्या गारन्टी है कि सरकार उन उपबन्धों को क्रियान्वित करेगी? प्रथम अवस्था आवश्यक विधान की तैयारी है। दूसरी अवस्था क्रियान्वयन की होगी और इस मामले में माननीय सदस्यों को तनिक भी आशंका नहीं करनी चाहिये। हम बजट में उपबन्ध कर ही चुके हैं और हम समस्त आवश्यक संस्थायें स्थापित करने जा रहे हैं ताकि इस विधेयक का उचित रूप से क्रियान्वयन हो सके। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की यह बात सर्वथा सही है कि इस विधेयक के क्रियान्वयन में मनुष्यत्व ही प्रमुख तत्व है यह सर्वथा सही है और सरकार को यह भली प्रकार ज्ञात है।

दूसरा सवाल यह उठाया गया था कि सरकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में क्या करने जा रही है? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इस समय समाज सेवा के विषय से संबंधित स्नातकोत्तर स्तर की अनेक संस्थायें हैं जो अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल मनोवैज्ञानिकों, परिवीक्षा अधिकारियों, श्रमिक अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दे रही हैं। इन संस्थाओं का स्तर बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि वे इस विधेयक के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने में समर्थ होंगी।

†**श्री यादव नारायण जाधव** (मालेगांव): ये संस्थायें केवल संघ राज्य क्षेत्रों में होंगी अथवा अन्य राज्यों में भी?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: अभी हम केवल संघ राज्य क्षेत्रों को ले रहे हैं। अभी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक समाज सेवा संस्था है जिस में बहुत से लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह विधेयक केवल संघ राज्य क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिये। वरन् उस का विस्तारक्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिये ताकि अन्य राज्य भी समान कानून बना सकें। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, विस्तार क्षेत्र सीमित होने के कारण हम केवल संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में विधान बना सकते हैं परन्तु इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् हम राज्य सरकारों का ध्यान इस विधेयक की ओर आकर्षित करेंगे और जहां कहीं ऐसा कानून पहले से मौजूद

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

होगा वहां हम उन से उस विधान का पुनरीक्षण करने का अनुरोध करेंगे और जहां कोई कानून नहीं होगा वहां हम उन से ऐसा विधान बनाने का अनुरोध करेंगे । यह आश्वासन मैं माननीय सदस्यों को दे सकता हूं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक से स्वयं सेवक संस्थायें हतोत्साहित होंगी । इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार ऐसी संस्थाओं का पूरा लाभ उठायेगी । वास्तव में इस कार्य में जितनी स्वयं सेवक संस्थायें होंगी उतने ही अच्छे परिणाम होंगे । हमारे देश में सद्भावना और समाज सेवा की भावना पर्याप्त मात्रा में है और मुझे विश्वास है कि स्वयं सेवक संस्थाओं से आवश्यक सहायता उपलब्ध होगी । परन्तु यदि स्वयं सेवक संस्थायें आगे नहीं आयेंगी तो सरकार को अपनी संस्थायें स्थापित करनी होंगी । मैं आशा करता हूं कि इस मामले में सरकार और स्वयं सेवक संस्थायें दोनों मिल कर कार्य करेंगे ।

एक माननीय सदस्य संभवतः श्रीमती जयाबेन शाह ने लड़कियों की आयु का प्रश्न उठाया और यह सुझाव रखा कि वह बढ़ा कर २१ वर्ष कर दी जानी चाहिये । हमने लड़कों और लड़कियों की आयु में पहले ही कुछ अन्तर रखा है । लड़कियों के लिये १८ वर्ष की आयु रखी गई है और लड़कों के लिये १६ वर्ष । यदि हम इस आयु सीमा को और बढ़ा देंगे तो उस का मतलब यह होगा कि ये लड़कियां अधिक समय तक आश्रित रहेंगी । इन संस्थाओं का एक कार्य यह देखना भी होगा कि एक निश्चित अवधि के बाद ये बच्चे सामान्य नागरिकों की तरह समाज में रहने लगें । बाद में देख रेख करने वाली संस्थाओं का एक प्रमुख कार्य यह ध्यान रखना है कि इन संस्थाओं से बाहर निकलने पर ये बच्चे ठीक तरह से काम में लग जायें वे बच्चों को सब प्रकार की सलाह और सहायता देंगी । परन्तु यदि आप उन बच्चों को आवश्यक समय से अधिक के लिये उन संस्थाओं में रखेंगे तो इस का मतलब यह होगा कि वे कभी भी सामान्य नागरिकों की तरह नहीं बस सकेंगे । इसलिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें कुछ समय तक ऐसी संस्थाओं में रखें और जब उन्हें आवश्यक शिक्षा मिल जाये तो उन्हें समाज में वापस चला जाना चाहिये और समाज को उन्हें ग्रहण करना चाहिये ताकि वे सामान्य नागरिकों की तरह रह सकें । हम ने लड़कियों की आयु-सीमा सप्रयोजन बढ़ाई है और अब हम उस को अधिक नहीं बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उस से विधेयक का उद्देश्च पूरा नहीं होगा और लड़कियां अधिकाधिक आश्रित हो जायेंगी ।

एक माननीय सदस्य संभवतः श्री राधा रमण—ने कहा कि हम ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस से समस्त विधेयक खराब हो गया है । उन्हों ने "न्यायालयों" "दंड प्रक्रिया संहिता" आदि शब्दों का निर्देश किया जिन का हम ने कानून की सामान्य प्रक्रिया की पूर्ति के लिये प्रयोग किया है । इस मामले में भी यदि हम वह अवस्था प्राप्त कर सकें जब कि यह समस्त कार्य स्वयं सेवक संस्थाओं द्वारा किया जा सके और न्यायालयों की आवश्यकता ही न रह जाये तो वह एक आदर्श और सुखी समाज होगा जैसा कि श्री दी० चं० शर्मा ने कहा । हमें आशा करनी चाहिये कि ऐसी अवस्था आयेगी परन्तु जिस प्रकार के अपूर्ण समाज में हम आज रह रहे हैं मैं समझता हूं कि उस में सामान्य कानून का सहारा लेने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है । बचों के सम्बंध में हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे कलंक से बचे रहें और इस के लिये इस विधेयक में प्रत्येक प्रयत्न किया गया है । उदाहरण के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि न्यायालयों में चलने वाले मुकदमों का प्रचार न किया जाये । यदि माननीय सदस्य विधेयक को देखें तो ज्ञात होगा कि बच्चों को कलंक से बचाने के लिये प्रत्येक आवश्यक कदम उठाया गया है ।

इस मामले में बहुत कुछ उस समाज पर निर्भर रहता है जिस में हमें कार्य करना होता है। मैं उस दिन का निश्चय ही स्वागत करूंगा जब कि इन बाल न्यायालयों को समाप्त किया जा सकेगा और समस्त कार्य स्वयं सेवक संस्थाओं तथा बाल कल्याण संगठनों द्वारा किया जा सकेगा। माननीया डा० सुशीला नायर ने कहा कि अपराधी बालकों का मुकदमा करने वाले यंत्र और उपेक्षित बालकों की देख भाल करने वाले यंत्र में हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिये।

†**श्री कालिका सिंह** : बच्चों की आयु का निर्णय करने वाले उपबन्ध में न्यायालयों की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं यह बता चुका हूं कि हम ने यह उपबन्ध यहां क्यों रखा है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में लड़कियों की एक निश्चित आयु तक अधिक रक्षा की जानी चाहिये और इस लिये वह आयु हमें बढ़ानी है। इसी प्रकार लड़कों की आयु सीमा भी कुछ हद तक बढ़ा दी गई है।

†**श्री कालिका सिंह** : मेरा प्रश्न यह था कि आयु का निर्णय कैसे किया जायेगा ? वास्तविक आयु का निर्णय करने के लिये कोई विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना चाहिये। परन्तु यहां उपबन्ध यह है कि उसका निर्णय बोर्ड करेंगे और वही निर्णय अन्तिम होगा। मैं समझता हूं कि इस से कठिनाई उत्पन्न होगी। यदि किसी २० वर्ष क आयु के लड़के को पकड़ा जाता है और उसकी आयु का निर्णय १७ वर्ष कर के देखरेख गृह में रख दिया जाता है तो उस के लिये कोई भी उपाय नहीं रह जाता है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बाल कल्याण बोर्ड में बड़ी आयु के व्यक्ति होंगे। बच्चे नहीं, वे अनुभवी मनोवैज्ञानिक होंगे जो बालकों को समझ सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिये।

†**श्री कालिका सिंह** : कुछ चिकित्सा विशेषज्ञ अवश्य रखे जाने चाहियें।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जब नियमों के अन्तर्गत इस बोर्ड का निर्माण किया जायेगा तब इन सब बातों का ध्यान रखा जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह विधेयक है तो अच्छा परन्तु बहुत भारी भरकम है और उस में उलझनें बहुत हैं। वास्तव में उन्होंने यहां तक कहा कि देखभाल गृहों, विशेष स्कूलों, बाद की देख भाल करने वाली संस्थाओं आदि विभिन्न संगठनों के रखने की क्या आवश्यकता है। यदि बालकों की समुचित देखभाल की जानी है तो ये समस्त संस्थायें आवश्यक हैं। बच्चे को कुछ समय तक देखभाल गृह में अवश्य रहना चाहिये। यदि वह अपचारी है तो उसे बाल न्यायालय में भेजा जाना चाहिये। संयुक्त समिति ने भली प्रकार विचार करने के बाद ही यह निर्णय किया था कि उपेक्षित बालकों के लिये पृथक संग न होना चाहिये। विशेष स्कूल और बाद की देखभाल करने वाले संगठन ये सभी संस्थायें आवश्यक हैं। अनेक देशों में ये संस्थाऐं मौजूद हैं। जिन में बच्चों की देखभाल की जाती है। इसलिये विधेयक में जिन संस्थाओं का उल्लेख हैं वे सभी आवश्यक हैं।

फिर संभवतः श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह कहा कि बच्चों के संबंध में विशेष अपराधों के लिये कोई दंड नहीं है। मैं उन का ध्यान अध्याय ४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस में उन लोगों के विरुद्ध विशेष कदम उठाने का उपबन्ध है जो बालकों का शोषण करते हैं अथवा जो निर्दयतापूर्ण कार्य करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

अनेक महिला सदस्यों ने कहा कि बोर्डों, न्यायालयों तथा बालकों से संबंधित विभिन्न अन्य कार्यालयों में महिला सदस्य अधिक रखी जानी चाहियें मैं उन से सहमत हूं। हम ने जो यह कहा है कि बोर्ड अथवा न्यायालय में कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य होनी चाहिये उस का मतलब यह नहीं हैं कि केवल एक ही महिला नियुक्त की जाये। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन बोर्डों अथवा न्यायालयों में अधिकाधिक महिलायें रखने का प्रयत्न करेंगे परन्तु देश की परिस्थिति का विचार कर के हम ने यह उपबन्ध किया है कि कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य होनी चाहिये इस का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिये कि एक ही महिला सदस्य नियुक्त की जायेगी। वास्तव में कम से कम एक महिला सदस्य कहने का हमारा तात्पर्य महिलाओं के रखे जाने की आवश्यकता पर जोर देना है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि महिलायें बच्चों के संबंध में अधिक अच्छा कार्य कर सकती हैं।

अन्तिम वक्ता तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यह वैधानिक प्रश्न उठाया है कि इन उपेक्षित बालकों को इन संस्थाओं में रख कर हम संविधान के अनुच्छेद २५ (१) का उल्लंघन कर रहे हैं जिस में अन्तःकरण की स्वतन्त्रता दी गई है। उस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि "सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा।" यह धर्म के आचरण एवं प्रचार का अधिकार कुछ शर्तों के अधीन है। अर्थात् सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य। हम जानते हैं कि भीख मांगना कितनी बड़ी बुराई है। हम किसी भी व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी धार्मिक संस्था बच्चों से भीख मांगने के लिये कहेगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बौद्ध धर्म में एसी प्रथा है। मेरा निवेदन हैं कि यह अनुच्छेद निर्बाध अधिकार नहीं प्रदान करता है वरन् वह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी शर्तों के अधीन है, फिर यह अधिकार उपखण्ड (२) के भी अधीन है जिस में यह कहा गया है कि "इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिये ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी जो––

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो;

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो ......"

†श्री कालिका सिंह : विधेयक में इन शब्दों का उल्लेख नहीं है।

†डा० का० ला० श्रीमाली : वह आवश्यक नहीं है क्योंकि विधान तो मौजूद है। इस के अतिरिक्त भीख मांगन की व्यवस्था प्रायः वही है जसी कि भारतीय दंड संहिता की धारा ३ की उप-धारा (४) और ६३ क तथा पिछले वर्ष १९५९ के ५२ वें अधिनियम द्वारा जोड़ी गई नई धारा में की गई है। इसलिये मैं नहीं समझता कि विधेयक के इस उपबन्ध से किसी भी प्रकार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होता हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि परीवीक्षा अधिकारियों के कार्यों की व्याख्या नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान विधेयक के खण्ड (५३) २ की ओर आकर्षित करूंगा। डा० सुशीला नायर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि परीवीक्षा अधिकारी क्या होता है और उस के कर्तव्य क्या हैं। जैसा कि सभा को ज्ञात है, बहुत सी चीजें नियमों के लिये छोड़ दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर ने कहा कि वकीलों को न्यायालय में आने से रोका नहीं गया है। मैं उन का ध्यान विधेयक के खण्ड २८ (३) की ओर आकर्षित करूंगा। साधारणतः किसी भी विधि व्यवसायी को न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। और केवल विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत न्यायालय की निर्दिष्ट अनुमति से वह न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा। यह उपबंध किया गया है।

इस बहस के सम्बध में वही मुख्य बातें कही गयी थीं और मैं समझता हूं कि मैं ने अधिकांश का उत्तर दे दिया है। विधेयक का सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस विधेयक के पारित होने पर हम शीघ्र ही उस के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र में अपेक्षित अथवा अपचारी बच्चों की देखभाल, उन के संरक्षण, पालन पोषण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा पुनर्वास और अपचा ी बच्चों पर अभियोग चलाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : खण्डों पर कोई भी संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ६० विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ६० विधेयक में जोड़ दिये ग ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति म ोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वास्तव में इस विधेयक की बहुत आवश्यकता थी। इस प्रकार के विधेयक के बिना कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकेगी। हम समझते हैं कि अपचारी बच्चों का प्रश्न सर्वथा नया है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। महाभारत में ऋषि माण्डव्य की कहानी आती है। जब वह केवल पांच वर्ष के थे तब उन्होंने एक कीड़े को मार दिया था। इस अपराध के लिए उन्हें अगले जन्म में फिर इसी संसार में भेजा गया। जब वह ऋषि हो गये तब उन्होंने यम से कहा कि आपने मुझे दंड देकर ठीक नहीं किया क्योंकि न्याय का मूलभूत नियम यह है कि जो इतना छोटा है कि अपराध की प्रकृति को ही नहीं समझता है उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। तब से बच्चों को अपराधों से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसी नियम को इस रूप में इस कानून में दुहराया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

मुझे खुशी है कि हम आधुनिक विधान का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि हम वास्तविक अपराधी को ही दंड दें और इसी दृष्टि से देश का प्रशासन करें तो हम शीघ्र ही ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जो कल्याणकारी राज्य का पूर्वाभास होगा ।

खण्ड २२, २३, २४ और २५ में बच्चों को कठोर दंडों से उन्मुक्ति दी गई है । यह बड़ी अच्छी बात है । परन्तु एक चीज ऐसी है जो मेरी समझ से ठीक नहीं है । वह है भीख मांगने की व्याख्या । उसके अन्त में जो "अन्यथा" शब्द आया है उसको मैं उचित नहीं समझता हूं क्योंकि उसमें संसार की कोई भी चीज़ आ सकती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि जब नियम बनाये जायें तो यह स्पष्ट बताया जाये कि "अन्यथा" में क्या क्या बात सम्मिलित है । अन्यथा उसमें वे बच्चे भी आ जायेंगे जो धार्मिक अवसरों पर ही वैसा करते हैं ।

दूसरी बात जिसको मैं नहीं समझ सका हूं वह उपेक्षित बच्चे से सम्बन्धित है । खण्ड २(ट)(४) में यह कहा गया है कि उस बच्चे को उपेक्षित समझा जायेगा जो किसी वेश्या अथवा अन्य अनैतिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति के साथ रहता हो । इस सम्बन्ध में अनैतिक, नशे का अथवा पतित जीवन शब्दों का प्रयोग किया गया है । मेरा निवेदन है कि अनैतिक अथवा पतित में क्या अन्तर है ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करें क्योंकि हम जिन शब्दों को कानून में रखते हैं उनका अर्थ हमें अवश्य जानना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त अपचारी तथा उपेक्षित बच्चों के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसमें उचित प्रकार के लोगों का रखा जाना बहुत आवश्यक है । बहुत से लोग समझते हैं कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तीसरी योजना में पर्याप्त धन नहीं है । मैं समझता हूं कि यदि लोग इस कार्य के महत्व को समझ जायेंगे तो इन संस्थाओं के चलाने के लिए धन की कोई कमी नहीं पड़ेगी । जो लोग धर्मशालायें बनवाते हैं वे इसमें सहायता देने में भी पीछे नहीं रहेंगे । परन्तु इसके साथ ही माननीय मंत्री को भी इसके लिए तीसरी योजना में कुछ अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय डा० अणे ने जो महाभारत की कहानी सुनाई उसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूं । वास्तव में यह विधेयक इसी भावना से बनाया गया है । मैं उनकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि बच्चों के अपराधों का उचित विश्लेषण किया जाये तो ज्ञात होगा कि वे वास्तविक अर्थ में अपराध नहीं हैं । बाल मनोविज्ञान से परिचित माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि बच्चा परिस्थितियों से विवश होकर अपराध करता है । जब उसमें सुरक्षा की भावना नहीं होती है, जब उसे अपने मां बाप का प्यार नहीं मिलता है अथवा अन्य कोई ऐसी बात होती है तभी वह इस प्रकार के असामाजिक कार्य करता है ।

बच्चों के अधिकांश अपराध इन दो बातों के कारण होते हैं, अर्थात् सुरक्षा की भावना की कमी और घर पर पर्याप्त प्रेम न मिलना । यदि इन कमियों को पूरा किया जा सके तो मेरा विश्वास है कि समाज से अधिकांश अपराध खत्म हो जायेंगे । इस बात का प्रत्येक प्रयत्न किया गया है कि इस समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये और बच्चे के साथ साधारण अपराधी जैसा व्यवहार न किया जाये । इसीलिए यह उपबन्ध किया गया है कि यदि बच्चा समाज का बड़े से बड़ा अपराध करता है तो उसे साधारण न्यायालय में न भेज कर बाल न्यायालय में भेजा जायेगा । मैं समझता हूं कि यह अत्यधिक प्रगतिशील उपबन्ध है । संसार के किसी भी देश में

†मूल अंग्रेजी में

स्वेडन में भी जहां के दृष्टान्त माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये थे, यह उपबन्ध नहीं है। वे गंभीर और साधारण अपराधों में भेद करते हैं। जब बच्चा गंभीर अपराध करता है तो उसे साधारण न्यायालयों में भेजा जाता है। अन्यथा उसका समाजकल्याण बोर्डों द्वारा सुधार किया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ गये हैं। मैं डा० अणे को यह आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो आदर्श हमारे सामने रखा है उसका हम सदा ध्यान रखेंगे। इस विधेयक का क्रियान्वयन इसी भावना से किया जायेगा।

फिर उन्होंने भीख मांगने की व्याख्या के बारे में आपत्ति की। उन्होंने कहा कि जब गाने, नाचने, हाथ देखने आदि का उल्लेख कर दिया गया है तो फिर 'अन्यथा' की क्या आवश्यकता रह जाती है? यह इसलिए आवश्यक है कि बच्चों का शोषण करने वाले लोग बड़े चालाक होते हैं और कानून से बचाव का तरीका निकाल ही लेते हैं। वास्तव में एक माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय ध्वजायें लगाने का दृष्टान्त भी दिया था। यह भी एक तरीका है जिससे वे लोगों से पैसा ऐंठने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के समस्त कार्यों को सूचीबद्ध करना असंभव है जो बच्चों द्वारा कराये जा सकते हैं। इसीलिये 'अन्यथा' शब्द रखना आवश्यक है।

†**डा० मा० श्री० अणे** : क्या माननीय मंत्री का तात्पर्य यह है कि उसका निर्वचन सजातीय के अर्थ में लगाया जाये?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, यही प्रयोजन है।

फिर उन्होंने 'पतित' (डिप्रेव्ड) शब्द के बारे में भी आपत्ति की। जब मनुष्य की समस्त सद्प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं तब वे केवल अनैतिक ही नहीं वरन् पतित भी हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के साथ बच्चों को नहीं रहने देना चाहिए। यह शब्द इसी दृष्टि से सम्मिलित किया गया है और मैं समझता हूं कि कानून में पतित, नशे का और अनैतिक जीवन बिताने वाले व्यक्तियों का अन्तर स्पष्ट है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा को इस विधेयक का समर्थन करने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। हमने दो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। एक है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना और दूसरा है उपेक्षित तथा अपचारी बालकों के लिए यह विधेयक। मेरे विचार से ये दोनों ही प्रगतिशील कदम हैं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तार विधियां (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय तार अधिनियम, १८८५ और इंडियन वायरलैस टेलीग्राफ़ी अधिनियम, १९३३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० प० सुब्बरायन]

इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान विधि को टेलीविजन पर भी लागू करना है। इस सम्बन्ध में यह संदेह पैदा किया गया था कि क्या अधिनियम के वर्तमान रूप के अन्तर्गत टेलीविजन भी शामिल हो सकता है। यद्यपि हमारा विचार था कि इसके अन्तर्गत टेलीविजन भी शामिल हो सकता है तथापि हमने किसी भी प्रकार के संदेह का निराकरण करने के लिये यह संशोधन विधेयक पुरस्थापित किया है। हमने व्यवस्था का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से धारा ७ का भी संशोधन कर दिया है।

†सभापति महोदय। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा): मुझे इस विधेयक की आलोचना नहीं करनी है, तथापि क्योंकि मंत्रालय टेलीविजन सैटों पर कर लगाने का विचार कर रहा है इसलिये मैं अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

हमारे देश में १५ सितम्बर १९५९ से टेलीविजन लगने प्रारम्भ हुए हैं। भारत में केवल दिल्ली में एक केन्द्र है जहां से १२$^{1}/_{2}$ मील की दूरी तक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान अन्य देशों की ओर दिलाना चाहता हूं वहां टेलीविजन को शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है तथा वहां सामान्य व्यक्ति के पास भी टेलीविजन होते हैं।

भारत में जो टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं है। इसका कारण यह है कि कार्यक्रम संचालक, निर्माता, लेखक, उपमहानिदेशक इत्यादि को अपने विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां का स्टेज छोटा है और बार बार कुछ गिने चुने कलाकारों को ही लाया जाता है। फलत: कार्यक्रमों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। इन उच्च अधिकारियों तथा फोटोग्राफरों का चुनाव भी मनमाने तरीके से किया गया है। उन्हें ऊंचे वेतन दिये जा रहे हैं। अत: नियम बनाते समय इस बात पर विचार किया जाय कि केवल पूर्ण अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही यह कार्य सौंपा जाय।

टेलीविजन के साथ वीडियो-टेप-रिकार्डिंग प्रणाली भी लागू करना आवश्यक है। इससे टेलीविजन के द्वारा देश में होने वाली घटनाओं को बखूबी देखा जा सकता है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सरकार को टेलीविजन सैटों को भी अधिकाधिक सस्ते बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक से देश में टेलीविजन युग लाने में सहायता मिलेगी। इसमें संदेह नहीं कि देश में वर्तमान टेलीविजन व्यवस्था अपर्याप्त है तथापि इसका प्रारम्भ किया जाना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि टेलीविजन में केवल अच्छाइयां ही नहीं हैं अपितु कुछ बुराइयां भी हैं। पाश्चात्य देशों में यह आम शिकायत है कि वहां विद्यार्थी पढ़ने के स्थान में टेलीविजन शो ही देखते रहते हैं। भारत में टेलीविजनों का प्रसार करते समय उसकी बुराइयों को दूर रखने का प्रयत्न किया जाय।

टेलीविजन प्रदर्शनों के द्वारा शिक्षा और मनोरंजन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिये। टेलीविजन के द्वारा इस प्रकार के प्रदर्शन न किये जायें जिससे हिंसा, काम प्रवृत्ति इत्यादि दुर्वृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक के द्वारा उन परीक्षाओं के लिये जो इस सम्बन्ध में ली जायेंगी नियम बनाये जायेंगे तथा उनके लिये शुल्क लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि ऐसे नियम न बनाये जायें कि अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में न बैठ सके साथ ही इस बात का भी प्रयत्न किया जाय कि इन परीक्षाओं का शुल्क कम से कम रखा जाय। सरकार को टेलीविजन के कार्य में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में भी ध्यान देना चाहिये।

अब वह समय आ गया है कि हम देश में सस्ते टेलीविजन सैटों को बनाने का प्रयास करें। टेलीविजन के सम्बन्ध में दीर्घकालीन योजना बनाते समय सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिये जिससे कि जन साधारण इसका उपयोग करने में समर्थ हो।

जहां तक टेलीविजन में दिखाये जाने वाले प्रदर्शनों का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि कार्यक्रमों में नवीनता और वैभिन्य नहीं रहता है। वस्तुतः टेलीविजन को एक गुट विशेष का एकाधिकार बना दिया गया है। यह उचित नहीं है। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है अतः हमें सदैव नयी प्रतिभा का स्वागत करना चाहिये जिससे कि इन कार्यक्रमों का स्तर ऊंचा हो। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कार्यक्रमों में कृत्रिम गम्भीरता के स्थान में स्वस्थ मनोरंजन रहना चाहिये। मैं आशा करता हूं मंत्रालय इस सम्बन्ध में उचित ध्यान देगा।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत): सभापति महोदय, आज की दुनिया में जब कि एटेमिक एज (अणु युग) है, और जब कि टेलीकम्यूनिकेशन का विस्तार होता जा रहा है और टेलीविजन की आवश्यकताएं हर देश में बढ़ती जा रही हैं, यह खुशी की बात है कि यह अमेंडमेंट हमारे सामने आया है। जहां तक उनकी डेफीनीशन का सवाल है, जैसा कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में दिया गया है, डेफिनिशन्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो डेफिनिशन्स पहले ऐक्ट में हैं और जो अब प्रोवाइड की गई हैं, उनकी स्पिरिट एक ही है। खाली यह है कि बदलते हुए दौर में जब कि टेलिविजन की चर्चा ज्यादा होती है और उसका विस्तार हो रहा है, इस चीज को देखते हुए इसमें तब्दीली की गई है।

ब्यूनस आयर्स में जो १९५२ में इन्टरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन कंवेंशन हुआ था उसमें जो डेफिनिशन्स दी गई हैं, वह बड़ी दिलचस्प हैं। टेलीकम्यूनिकेशन की डेफिनिशन दी गई है:

> "वायर, रेडियो, विजुअल या अन्य इलक्ट्रो-मेगनेटिक प्रणालियों द्वारा संकेतों, सिगनलों, लेखों, आकृतियों, ध्वनियों या किसी प्रकार की सूचना का कोई ट्रांसमिशन, एमिशन या रिसेप्शन।"

यह बहुत मुख्तसर सी डेफिनिशन दी गई है। टेलीग्राफिक की डेफिनिशन दी गई है:

> "सिगनल कोड के प्रयोग द्वारा किसी लिखित विषय को भेजने की टेलीकम्यूनिकेशन प्रणाली।"

टेलिफोनिक की डेफिनिशन भी दी गई है:

> "वाणी तथा कुछ मामलों में अन्य ध्वनियों के पारेषण के लिये टेलीकम्यूनिकेशन व्यवस्था।"

इस तरह से बहुत मुख्तसर और दिलचस्प डेफिनिशन्स दी गई हैं। हमारे यहां जो डेफिनिशन्स दी गई हैं वह बहुत लम्बी चौड़ी हैं। तो मेरा कहना यह है कि इनको जरा मुख्तसर किया जाता तो ज्यादा अच्छा था इसके साथ ही साथ टेलीग्राफी की डेफिनिशन का भी इजाफा होना चाहिये, जो कि नहीं हुआ है। इसमें टेलीग्राफ कीडेफिनिशन है लेकिन टेलीग्राफी की डेफिनिशन भी ऐड होनी चाहिये।

[श्री मोहन स्वरूप]

इसके साथ साथ इसमें कुछ तरमीमें पेश की गई हैं, जिनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। वे ठीक ही हैं। जैसे कि सेक्शन ७ में (जे) के बाद जो (जे जे) बढ़ाया गया है वह बहुत ठीक है। उसमें खास बात नहीं है। सेक्शन ५ में जो सब्स्टिट्यूट पेश किया गया है वह भी ठीक है और इसके बारे में ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वह लेंग्थी ज्यादा कर दिया गया है, हालांकि उससे कुछ फायदा नहीं होता।

वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, १९५३ में जो अमेंडमेंट हैं वह भी ठीक ही हैं लेकिन कहीं कहीं पर कुछ विस्तार ज्यादा कर दिया गया है, जैसे कि **'अमेंडमेंट आफ सेक्शन १०'** जो दिया गया है वह बहुत लम्बा चौड़ा कर दिया गया है। पहले ऐक्ट में उसे विस्तार से दिया गया था लेकिन इसमें लेंग्वेज को कुछ तोड़ मरोड़ कर एक साथ कर दिया गया है। मैं चाहता था कि इसमें जो वजाहत की गयी थी वही जो मौजूदा सब्स्ट्यूट दिया गया है उसमें भी की जाती। इस तरह से हमारे सामने थोड़े से अमेंड-मेंटस हैं। वे ठीक ही हैं और मुझे उनके विषय में ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूं जैसे कि मेरे दोस्त प्रोफेसर डी० सी० शर्मा ने कहीं टेलीविजन के बारे में।

अभी थोड़े ही दिन हुए हमारे यहां टेलीविजन शुरू किया गया है। बताया गया कि टेलीविजन का प्रोग्राम ३० मील तक ही देखा जा सकता है। उस के बाद रिलेइंग का बन्दोबस्त करना पड़ता है। और देशों में ऐसा किया भी गया है। हमारे यहां यह चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर टेलीविजन के प्रोग्राम को ज्यादा दिलचस्प बनाना है तो उसके लिये रिलेइंग स्टेशन्स भी होने चाहियें ताकि पूरे देश में उसे देखा जा सके। टेलीविजन के जो रिसीवर्स होते हैं वे भी बहुत महंगे होते हैं। मामूली इन्सान उन को खरीद नहीं सकता। इस लिये अगर उन को सस्ता करने के मुताल्लिक और उन के लाइसेंस को लिबरलाइज करने के मुताल्लिक गवर्नमेंट विचार करे तो ज्यादा अच्छा है।

इसी के साथ साथ मैं यह कहना चाहता था कि हमारे यहां मीडियम वेव के स्टेशन्स बहुत कम हैं और प्रोग्राम मीडियम वेव पर ज्यादा होते हैं। मुझे बतलाया गया कि मीडियम वेव पर जो प्रोग्राम होते हैं, वे शायद कुछ मंहगे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मीडियम वेव के प्रोग्राम्स को सुनने वाले रिसीवर बनाये जायें तो शायद वह सस्ता पड़ेगा शार्ट वेव के मुकाबिले में। इसलिये मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वह मीडियम वेव के प्रोग्राम को और भी बढ़ाने की कोशिश करे।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रीजनल लैंग्वेजेज में मीडियम वेव पर प्रोग्राम्स होने चाहियें। पंजाब में पंजाबी में और मद्रास में दक्षिणी भाषाओं में रीजनल प्रोग्राम्स होंगे। तो वे ज्यादा पापुलर होंगे। यह खुशी की बात है, जैसे कि मैंने अखबार में पढ़ा, कि ए० आई० आर० का एक्सटेंशन हो रहा है। अखबार की खबर यह है : अखिल भारतीय रेडियो के महानिदेशक श्री माथुर ने यह घोषणा की है कि एक वर्ष के भीतर ५६ ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे इस प्रकार इनकी संख्या ११५ हो जायेगी। इसी के साथ साथ टेलीविजन का भी विस्तार हो रहा है। फ्रांस, इटली और य० एस० के पैटर्न पर कुछ क्लब भी बनाये जा रहे हैं। यह सब काम हो रहा है यह खुशी की बात है, लेकिन इसमें जितना विस्तार हो सके वह किया जाय और जितनी एफि-शिएंसी बढ़ाई जा सके, वह बढ़ाई जाय तो और भी ज्यादा खुशी की बात होगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंग्लिश ला में यह प्रोवाइड किया गया है कि जो लोग वायरलेस टेलीग्राफी में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उनको एक्स्पेरिमेंटल बेसिस पर लाइसेंस दिये जायें। हमारे मौजूदा एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आये हैं उनमें एक यह चीज नहीं आती है कि एक्स्पेरिमेंटल बेसिस पर अगर कुछ लोग लाइसेंस चाहें तो उनको वह मिल सकेगा।

इसी के साथ साथ यह जो ब्यूनस आयर्स कनवेंशन, १९५२ का हमारे सामने है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिनकी ओर मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । आर्टिकल ३८ में यह दिया गया है कि गवर्नमेंट जो भी कम्युनिकेशन भेजे वह सीक्रेट लेंग्वेज में हो । इसी तरह से अगर कोई इंडीवीजुअल चाहे तो उसके लिए भी सीक्रेट लेंग्वेज में मैसेज भेजने का प्रावीजन होना चाहिये ।

इसी के साथ साथ आर्टिकल ४६ में दिया हुआ है कि डिस्ट्रेस काल और इसी तरह के दूसरे मैसेजेज़ के लिए टाप प्रायरिटी दी जाए ।

मैं चाहता था कि इस कनवेंशन से और वायरलैस के सिलसिले में जितने भी इंटरनेशनल और कामनवैल्थ आरगेनाइजेशन्स हैं उनसे हमारा तालमेल हो और उनकी जो एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम जो इसमें प्रोवाइड किए गए हैं उनमें इजाफा करें तो देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा ।

मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि और ज्यादा कहने की गुंजाइश भी नहीं है । मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि जो वायरलैस के या टेलीविजन के प्रोग्राम हों उनका ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा रोचक बनाने की तरफ तवज्जह दी जाए ताकि उनकी उपयोगिता बढ़ सके और लोग उनको पसन्द करें ।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़): इस बात को ध्यान में रख कर कि भारत में सब देशों से अधिक अशिक्षा है टेलीविजन इस देश के लियेब हुत महत्वपूर्ण है । जहां तक विश्व के अन्य देशों में भी टेलीविजन का महत्व है यह सर्वविदित है कि अमेरिकन चुनावों में टेलीविजन प्रदर्शनों का जनता के मत को प्रभावित करने में बहुत हाथ रहा । ऐसे समय जब कि किसी भी समाचारपत्र को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता था टेलीविजन ने ही राष्ट्रपति के चुनावों में वास्तविकता को जनता के सम्मुख रखा ।

टेलीविजन से हमारे देश में नेताओं की सही आवाज को जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी । आज यह स्थिति है कि नेहरू जी का भाषण तक जनता के सम्मुख सही रूप में नहीं पहुंच सकता है, इसका यह फल होता है कि जनता कई अफवाहों का शिकार बन जाती है । अतः ऐसे मौकों में टेलीविजन का प्रयोग लाभदायक हो सकता है । इसमें सन्देह नहीं अभी टेलीविजनों का देशव्यापी जाल बिछाने में बहुत समय लगेगा तथापि संसद् तथा सरकार को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में यथाशक्ति उपबन्ध करे जिससे कि देश में रेडियो तथा टेलीविजन के जरिये देश की जनता तक नेताओं की सही आवाज पहुंचाई जा सके । टेलीविजन का विकास देश में इस रूप में किया जा सकता है कि इससे देश में लोकतन्त्र के विकास को सहायता मिले ।

मैं जानता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लोग टेलीविजन के लिये लाइसेंस प्राप्त कर सकें तथा इससे तार विधियां अधिनियम में संशोधन हो सके तथापि मैं आशा करता हूं कि सूचना और प्रसारण विभाग इन बातों की ओर ध्यान देगा तथा वह देश में लोकतंत्र के प्रसार के लिये टेलीविजन को एक प्रभावशाली साधन के रूप में विकसित करेगा ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं सभा में हुई चर्चा के संबंध में अधिक नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसका संबंध सूचना और प्रसारण मंत्री से है । मैं कार्यक्रमों इत्यादि के संबंध में सभा की राय उन तक पहुंचा दूंगा ।

मेरे विचार से हमारे अखिल भारतीय कार्यक्रम बहुत सुन्दर होते हैं, अतः यह शिकायत उचित नहीं है कि मंत्रालय उनके संबंध में वह प्रयत्न नहीं कर रहा है जो कि किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० प० सुब्बरायन]

टेलीविजन कार्यक्रमों का अभी प्रारम्भ है। देश में टेलीविजन का जाल फैलाने में बहुत अधिक राशि व्यय करनी होगी। अभी इसका छोटे पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है तथापि जैसे जैसे लोग इस ओर दिलचस्पी लेने लगेंगे टेलीविजन का अधिकाधिक प्रचार होता जायेगा।

निसंदेह माननीय सदस्यों ने इस विषय पर व्यापक प्रकाश डाला है भले ही जो बातें कही गयीं हैं उनसे मेरा बंध नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री इन चर्चाओं को पढ़ेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

†**सभापति महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय तार अधिनियम, १८८५ और इंडियन वायरलैस टेलीग्राफ़ी अधिनियम १९३३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय।** खंडों पर संशोधन नहीं हैं। अतः प्रश्न यह है:

"कि खंड २ से ५, खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ स ५, खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० प० सुब्बरायन**: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**सभापति महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कुछ संविधियों का, उनके भारत पर लागू होने के मामले में, निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

यह एक औपचारिक कार्यवाही है जो कुछ ब्रिटिश संविधियों के बारे में, जो कि अभी भी भारत में लागू होती थीं विधि आयोग द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर की जा रही है। अतः उन संविधियों को जिनकी संख्या बहुत अधिक है, जैसा कि अनुसूचि से ज्ञात होगा. निरसन करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरस्थापित किया गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सूपकार (सम्बलपुर): विधि आयोग का पांचवा प्रतिवेदन ६-११-५७ को प्रस्तुत किया गया था तथापि यह विधेयक तीन वर्ष बाद अर्थात् १४ जुलाई १९६० को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त विधि आयोग ने जिन संविधियों की अपने प्रतिवेदन की अनुसूचियों में सिफारिश की है उनमें तथा इस विधेयक की अनुसूचियों में उल्लिखित विधेयकों में अंतर है जिसके लिये कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। परिशिष्ट ३ के संबंध में विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि उसके अन्तर्गत आने वाली विधियों के निरसन के पूर्व उचित विधेयक पारित कर ली जायें। सरकार ने उसके अन्तर्गत कुछ विधियां निरसित कर दी हैं तथापि नयी विधियां पारित नहीं की गयी हैं। विधि आयोग ने पंजीयन, व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा अन्य विधियों को काफी महत्व दिया है, सरकार ने इनके निरसन करने में ही तीन वर्ष लगा दिये हैं इस पर भी उन्हें यह विश्वास नहीं है कि क्या उनके स्थान पर दूसरी विधियां पारित करना आवश्यक है।

†श्री अरविन्द घोषाल (उलुबेरिया): ब्रिटिश राज्य काल में कलकत्ता तथा मुफस्सिल नगरों के लिये विभिन्न प्रकार के अधिनियम थे। उदाहरणार्थ छोटे-मामले-अधिनियम कलकत्ता के लिये तथा अन्य नगरों के लिये पृथक पृथक हैं। इस प्रकार का विभेद अब नहीं रहना चाहिये।

†श्री तंगामणि (मदुरै): श्री एन० सी० सेन गुप्त ने उस प्रतिवेदन पर जिसके आधार पर यह विधेयक तैयार किया गया है, अपना विमति टिप्पण दिया था। उसमें कुछ अधिनियमों के लागू होने यथा भारतीय प्रत्यपर्ग अधिनियम तथा १९२७ के चर्च अधिनियम के संबंध में आपत्ति की गयी थी, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने उन्हें क्या उत्तर दिया है?

†श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) भारत स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ के पारित करते समय यह कहा गया था कि ब्रिटेन इसके पश्चात् भारत के संबंध में कोई अधिनियम पारित नहीं करेगा तथापि इसके पश्चात् भी वहां की संसद् ने भारत गणराज्य अधिनियम और भारतीय नागरिकता अधिनियम, १९४९ पारित किये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन में इन अधिनियमों को किस प्रकार पारित करना आपत्तिजनक नहीं है।

†श्री अ० कु० सेन: हम इस आपत्ति का उत्तर दे चुके हैं कि परिशिष्ट ३ को तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उसका स्थान संसद् में पारित अधिनियम न ले लें। अतः जैसे जैसे मंत्रालय इस संबंध में विधेयक पारित करते रहेंगे उस परिशिष्ट के अधिनियमों को हटा दिया जायेगा।

जैसा कि श्री कालिका सिंह ने कहा है मेरे विचार से ब्रिटेन में कोई ऐसा नागरिक अधिनियम नहीं है जो कि इस देश पर लागू होता हो। वे अपनी नागरिक विधियों का विनियमन कर रहे हैं। यदि इस अधिनियम के अधीन वे फीजो को नागरिक मानते हैं तो हम इस पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः प्रश्न यह है कि क्या उनका यह अधिनियम भारत पर लागू होता है। मेरे विचार से वह यहां लागू नहीं होता है। हमारे देश में संसद् द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित होता है। इसका भारतीय संविधियों के लागू होने से कोई संबंध नहीं है।

†उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कुछ संविधियों का उनके भारत पर लागू होने के मामले में निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है अत: मैं सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३, अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३, अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये ग ।

†श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निरसन तथा संशोधन विधेयक

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ अधिनियमों को निरसन और कुछ अन्य अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह विधेयक उन संविधियों का निरसन करने के लिये रखा गया है जो कि अब अप्रचलित हैं। इससे दूसरी अनुसूचि में उल्लिखित उन अधिनियमों का भी संशोधन होता है जिन पर तदुपरांत विधान बनने के कारण प्रभाव पड़ा है । यह केवल एक औपचारिक मामला है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ अधिनियमों का निरसन और कुछ अन्य अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूत में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर संशोधन नहीं हैं । अत : मैं सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ५, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

खंड २ से ५, पहिली अनुसूची, दूसरो अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन

†सरदार अ० सिं० सहगल (जंगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पिचहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २१ दिसम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पिचहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २१ दिसम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक

†श्री गोरे (पूना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि फिल्म उद्योग में छोटे कलाकारों के रोजगार का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फिल्म उद्योग में छोटे कलाकारों के रोजगार का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

स्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री गोरे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक

†पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ राज्य क्षेत्रों में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने और उसे रोकने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं। तथापि ऐसे मामलों में कुछ अन्य बातों पर भी विचार करना होगा अर्थात् इस बात पर कि भारत के समस्त नागरिकों को कोई भी व्यवसाय अथवा धंधा करने के लिये संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। इस विधेयक के खंड ३ के उपखंड २ में गोवध पर संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार का उपबंध संविधान के अनुच्छेद १९(१)(छ) के अधीन बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है न हीं इस प्रकार का प्रतिबंध देश की जनता के सामान्य हित में माना जा सकता है, जो कि अनुच्छेद १९(६) के अंतर्गत आता हो। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बूचड़ों द्वारा दी गयी एक सम्मिलित याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाता है। उन्होंने अपने निर्णय में यह कहा कि दुधारु पशुओं के सूख जाने या उनके प्रजनन के अयोग्य अथवा भार ढोने के लिये अयोग्य हो जाने पर उनके वध का पूर्णतः निषेध करना लोक हित में नहीं है। पशु हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने से प्रति वर्ष १ करोड़ १५ लाख पशुओं की वृद्धि हो जायेगी और इससे स्वस्थ पशुओं के हित पर आघात होगा क्योंकि देश में उपलब्ध चारा तथा अन्य संसाधन देश के वर्तमान पशुओं के लिये भी पर्याप्त नहीं हैं।

डा० गोविन्द दास द्वारा प्रस्तुत भारतीय पशु संरक्षण विधेयक पर प्रधान मंत्री ने अप्रैल, १९५५ में यह कहा था कि इस प्रकार के विधेयक के अधिनियम से देश के पशुधन में वृद्धि होने के स्थान पर उसे हानि ही पहुंचेगी।

यद्यपि यह परम्परा है कि पुरस्थापन के समय विधेयकों का विरोध नहीं किया जाता है, तथापि इस विधेयक के लोक हित के विरुद्ध होने के कारण मैं इसके पुरस्थापन का ही विरोध करता हूं।

१४.४१

पंडित ज नारायण "ब्रजेश": उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि देश के कल्याण की दृष्टि से मैं ने जो बिल पेश किया है उसमें कोई जनता का अकल्याण होगा, खास तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में गोहत्या बन्द करने के सम्बन्ध में मैंने यह बिल पेश किया है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यदि खास तौर पर लोक सभा में इस सम्बन्ध में वाद-विवाद हो जाता है और इस समस्या पर प्रकाश पड़ जाता है तो वह बहुत अच्छा होगा। इस कारण मैं चाहता हूं कि मेरा इस विधेयक को उपस्थित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय।

†उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि संघ राज्य क्षेत्रों में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने और उसे रोकने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—जारी

†उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री नरसिंहन् द्वारा ६ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तावित इस प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेगी कि :

> "कि पुरातत्व विद्या के वैज्ञानिक तरीकों और ऐतिहासिक कृतियों तथा कलाकृतियों के संरक्षण का प्रशिक्षण देने तथा पुरातत्व विद्या की विभिन्न शाखाओं में अनुसन्धान कार्य के लिये एक भारतीय पुरातत्व संस्था स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर ३० अप्रैल, १९६१ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।"

डा० म० मो० दास अपना भाषण जारी रखें ।

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : पिछले अवसर पर ६ दिसम्बर को मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाया था । मैं उस दिन बता रहा था कि इस विधेयक के पारण का संघ पुरातत्व विभाग पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा और भारत सरकार को कितना अपव्यय करना पड़ जायेगा ।

इस विधेयक के तीन उद्देश्य हैं : पहला यह कि भारतीय पुरातत्व संस्था को विश्वविद्यालय जैसा एक भव्य रूप दिया जाये ; दूसरे यह कि पुरातात्विक स्कूल का संचालन-भार पुरातत्व विभाग के पास न रहने दिया जाये, उसे भी इस नयी पुरातत्व संस्था को सौंप दिया जाये ; और तीसरे यह कि अनुसन्धान, खुदाई और प्रागैतिहासिक गवेषणा जैसा सर्वाधिक महत्व का काम भी इस नयी संस्था को सौंपा जाये, पुरातत्व विभाग के पास न रहने दिया जाये ।

इस पुरातत्व संस्था को विश्वविद्यालयों जितना भव्य रूप देने से पूंजी-व्यय और आवर्तक-व्यय दोनों ही बहुत बढ़ जायेंगे । सरकार को इतना अधिक व्यय उठाने का निश्चय करने से पहले यह भी देख लेना जरूरी है कि इतना अधिक व्यय उचित भी रहेगा या नहीं ।

आजकल हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी काफी है । इसलिये सरकार को पहले यह देख लेना जरूरी है कि इस संस्था में प्रशिक्षण पाने वाले युवक-युवतियों के लिये काम भी जुटाया जा सकेगा या नहीं, उनकी प्रतिभा से देश का कोई भला हो सकेगा या नहीं ।

हमारे देश में इस समय कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, जैसे लगभग आधे दर्जन विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जिनके पुरातत्व विभाग बड़े अच्छे और विकसित हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके लिये बड़ी उदारता से अनुदान दे रहा है । इसलिये संभव है कि कुछ और विश्वविद्यालय भी अपने यहां इतने ही अच्छे और बड़े-बड़े पुरातत्व-विभाग बनाने के लिये तैयार हो जायें । विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, देश में कई अन्य संस्थायें भी हैं,—जैसे पूना की के० जी० जायसवाल संस्था और स्नातकोत्तर दक्कन कालेज की गवेषणा संस्था—जो इसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं । इसलिये देश में उच्च पुरातात्विक प्रशिक्षण की कमी नहीं है । फिर इस नयी संस्था की स्थापना और उसके संधारण पर इतना अधिक व्यय करने की क्या आवश्यकता है ?

इस विधेयक के खण्ड ४(५) में व्यवस्था की गई है कि पुरातात्विक अनुसन्धान, खुदाई और प्रागैतिहासिक गवेषणा का कार्य पुरातत्व विभाग से लेकर इस नयी संस्था को सौंप दिया जाये । संसार के सभी पुरातत्व विभागों के यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं । इनके बिना कोई विभाग

†मूल अंग्रेजी में

[डा० म० मो० दास]

पुरातत्व विभाग कहा ही नहीं जा सकता। यही सब से बुरा खण्ड है इस विधेयक का। इसका उद्देश्य भारत सरकार के एक इतने पुराने और कार्यक्षम विभाग को महत्वहीन बना कर, बाद में उसे भंग कर देना है। भारत सरकार का यह पुरातत्व विभाग १८६२ में स्थापित हुआ था, सिपाही विद्रोह के हाल ही बाद, जब ब्रिटिश सम्राट ने भारत का प्रशासन अपने हाथों में लिया था। एलैक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, सर मोर्टिमेर ह्वीलर और श्री आर० डी० बनर्जी जैसे कई विश्व-विख्यात पुरातत्व-वेत्ताओं ने इस विभाग को खड़ा किया था। इस विभाग ने भारत ही नहीं, पूरे संसार की सभ्यता के इतिहास की बिखरी हुई कड़ियां जोड़ने में अनुपम योग दिया है। इसलिये एक पूरी शताब्दी की परम्पराओं को साथ लेकर चलने वाले इस विभाग को संसार भर में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे विभाग को भंग करने की बात अनावश्यक ही नहीं, अनुदार भी है।

माननीय प्रस्तावक के भाषण से लगता है कि उनको इस विधेयक की प्रेरणा सर लियोनार्ड वूले के प्रतिवेदन से मिली है। वह प्रतिवेदन आज से २२ वर्ष पहले, १९३८ में भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया था। उसे ठीक से समझने के लिये, हमें उसकी पृष्ठभूमि भी जान लेनी चाहिये। १९३१ के बाद के काल में एक विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार के सामने वित्तीय कठिनाइयां थीं, जिनके कारण ही एक बड़े पैमाने पर इस विभाग के कर्मचारियों की छंटनी की गई थी। विभाग का कार्य लगभग बन्द हो गया था। १९३६–३७ में वित्तीय कठिनाइयां दूर होते ही, इस विभाग को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास किये जाने लगे थे। भारत सरकार ने उस समय के एक प्रमुख पुरातत्व-वेत्ता सर लियोनार्ड वूले को भारत आने और इस विभाग के विकास के लिये सुझाव देने को आमंत्रित किया था। सर वूले कुछ सप्ताह के लिये भारत आये थे। उन्होंने फरवरी, १९३९ में प्रतिवेदन सरकार को दे दिया था। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो जाने के कारण, १९४४ तक इस दिशा में कोई प्रगति न हो सकी। बाद में भारत सरकार ने ब्रिटेन के एक विश्वविख्यात पुरातत्ववेत्ता, सर मोर्टिमेर ह्वीलर को इस विभाग के महानिदेशक के पद पर कम से कम चार वर्ष के लिये आमंत्रित किया। सर मोर्टिमेर ने इस विभाग में कई परिवर्तन किये। लगभग पूरा विभाग पुनर्गठित किया गया। उस से पहले स्मारकों की मरम्मत और उनके संधारण का भार लोक निर्माण विभाग पर था, जिसे पुरातात्विक सिद्धान्तों की बिलकुल जानकारी नहीं थी। इसीलिये उसकी बड़ी शिकायतें आती रहती थीं। सर मोर्टिमेर ने उसे पुरातत्व विभाग के हाथ में ले लिया और उसके लिये विभाग की परिरक्षण-शाखा खोली। खुदाई कार्य की शाखा का भी पुनर्गठन हुआ और सब से पहले उनके काल में ही प्रागैतिहासिक गवेषणा के लिये एक सहायक अधीक्षक नियुक्त किया गया। उनके सुझाव के आधार पर ही, केन्द्रीय पुरातत्व बोर्ड बनाया गया था, जिसमें देश के प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों और राज्य-सरकारों के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में रखा गया।

पर, सर मोर्टिमेर ने सर वूले की सभी सिफारिशें नहीं मानी थीं। उन्होंने जहां भी ठीक समझा, अपने ही सिद्धान्तों का अनुसरण किया। सर वूले ने यह सिफारिश नहीं की थी कि महत्वपूर्ण स्थानों पर उनसे सम्बन्धित पुरातात्विक सामग्री के संग्रहालय बने रहें, पर सर मोर्टिमेर ने उनको बनाये रखना जरूरी समझा। पुरातत्व विभाग में एक नयी संग्रहालय-शाखा भी सर मोर्टिमेर ने ही खोली थी। इसलिये यह समझना या कहना बिल्कुल गलत है कि सर वूले के प्रतिवेदन के बाहर इस क्षेत्र में कोई भी नया सुधार नहीं हुआ। माननीय प्रस्तावक के भाषण से कुछ यही लगता है।

माननीय सदस्य उस प्रतिवेदन से इतने अधिक उत्साहित हो गये थे कि उनको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि सर वूले के उद्धरण और उनकी सिफारिशें यथा-स्थान ही उद्धृत की जायें। उन्होंने

श्री वूले का एक उद्धरण पेश किया था : "मूर्तियों के बाहर जाने की चिन्ता मत करो। वे इतनी अत्यावश्यक नहीं। आप पहले इतिहास की बिखरी कड़ियां जोड़े।"––सर वूले ने भारत सरकार को विदेशी सहायता प्राप्त करने की सलाह दी थी और कहा था कि मूर्तियों के बाहर जाने की चिन्ता न की जाये। उन्होंने कहा था : "हमें तो इतिहास की बिखरी कड़ियां जोड़नी हैं। यह काम पूरा हो जाने पर, उनको बेच दिया जाये।"––सर वूले की सलाह थी कि हमारे देश में खुदाई कार्य के लिये विदेशी पुरातत्व-वेत्ताओं के दलों को आमंत्रित किया जाये और उनको उस खदाई में मिलने वाली मूर्तियां ले जाने की अनुमति दी जाये।

यह उद्धरण पेश करने के बाद, माननीय सदस्य ने पूछा कि हमने खुदाई में मिलने वाली सामग्री को देश से बाहर ले जाने की अनुमति दे कर, इस शर्त पर, विदेशी सहायता क्यों प्राप्त नहीं की। मैं उन्हें बता दूं कि पिछले दो सौ साल से यही क्रम चलता रहा है। विदेशी सरकार ने भारत के प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित सामग्री को विदेशी संग्रहालयों में जाने से नहीं रोका। मुझे विश्वास है कि अब सभा उसकी स्वीकृति देने के लिये बिलकुल भी तैयार नहीं होगी।

माननीय सदस्य ने नागार्जुनकोंडा के बारे में कहा था कि वहां आधुनिक विद्युतीय उपकरणों का प्रयोग करके तलहटी में वर्तमान पुरातात्विक सामग्री का पता लगाया जाना चाहिये, जैसा कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भू-भौतिकीय वेत्ता किया करते हैं। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि मंत्रालय ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है। बिलकुल ही उलटी बात है। मैं सभा को बता दूं कि नागार्जुनकोंडा की खुदाई का काम पूरा किया जा चुका है और उस पर २५ लाख रुपये व्यय हुए हैं। इतना ही नहीं, हम उसके संग्रहालय के लिये पहाड़ी के शिखर पर एक इमारत बना रहे हैं। पहाड़ी झील के ठीक बीचों-बीच में होगी। कृष्णा नदी पर एक बांध खड़ा करके वह झील वहां बनाई जायेगी। एक-दो साल में इमारत पूरी हो जायेगी। खुदाई से मिली सारी सामग्री उस संग्रहालय में रखी जायेगी। विधेयक के प्रस्तावक को कम से कम इतनी जानकारी तो हासिल कर लेनी चाहिये थी। बिना जानकारी हासिल किये, सरकार पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिये।

माननीय प्रस्तावक पूछते हैं कि हमने मिस्र सरकार की भांति विदेशी पुरातत्व विदों की सहायता क्यों नहीं ली। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में विदेशी पुरातत्वविद् आकर खुदाई का काम करें। हमारे अपने पुरातत्वविद् यथेष्ट रूप से अनुभवी और सुयोग्य हैं। मिस्र की सरकार ने अस्वान बांध के निर्माण के कारण डूबने वाले स्थान नूबिया के क्षेत्र की खुदाई के लिये यूनेस्को के जरिये अन्य देशों की सहायता मांगी है। यूनेस्को को ऐसे पुरातत्व मामलों की बड़ी गहरी जानकारी है। अन्य देशों के साथ, उसने भारत सरकार को भी लिखा है कि हम मिस्र सरकार को उसमें क्या सहायता दे सकते हैं।

अभी कुछ ही दिन पहले हमारे मंत्रिगण और पुरातत्व महानिदेशक उसी सिलसिले में मिस्र गये थे। हम स्वयं दूसरों की सहायता करने में समर्थ हैं। हमें विदेशी सहायता दरकार नहीं।

माननीय मित्र ने २२ साल पहले के, सर वूले के प्रतिवेदन से अनेकानेक उद्धरण दिये हैं। उन का भाषण सुनते-सुनते मुझे वाशिंगटन इर्विंग की कथा के नायक रिपवान विंकिल की याद हो आई। वह नशे की धुन् में २० साल तक सोता रहा, और जब जागा तब तक अमरीका में स्वातंत्र्य युद्ध हो चुका था और अमरीका ब्रिटिश दासता से मुक्त हो चुका था। हर चीज उस के लिये नयी थी। इसी तरह, माननीय प्रस्तावक जागे हैं।

इस की अधिक ब्यौरेवार चर्चा की आवश्यकता नहीं। माननीय प्रस्तावक का प्रस्ताव इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करने का है। उन्होंने पहले ही इस विधेयक को

[डा० म० मो० दास]

परिचालित कर दिया है। एक प्रति सर मोर्टिमेर व्हीलर के पास भेजी है। मान ीय प्रस्तावक उनका उत्तर स । को पढ़ कर सुनायें।

सर मोर्टिमेर ने १७ अक्तबर, १९६० को हमारे मंत्री के नाम अपने उत्तर में लिखा है कि विधेयक को बड़ी सावधानी से पढ़ने पर, उन को काफी आशंकायें हो गई। उनके विचार से एक ही विभाग द्वारा सभी कार्यों का नियंत्रण अधिक कार्यक्षमता से किया जा सकता है। सीलिये उन्होंने श्री नरसिंहन् को भेजे जाने वाले अपने उत्तर की एक प्रति हमारे मं ी के पास ही भेजना अधिक उचित समझा।

माननीय प्रस्तावक की अनुमति से, मैं सर मोर्टिमेर के उस उत्तर की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। सर मोर्टिमेर ने उन दो विधेयकों के उत्तर में यह पत्र लिखा था जो उन के पास उन की राय के लिये भेजे गये थे। सर मोर्टिमेर ने उस की एक प्रति हमारे पास भेजने की कृपा की है। उस पत्र में कहा गया है :

> "इस समय (भारत में) पुरातत्व विभाग जो पुरातात्विक खुदाई का काम कर रहा है, और जिस प्रकार विद्यार्थियों के लिये सभी सुवि ायें जुटा रहा है, उस की तुलना संसार की ऐसी किसी भी संस्था के कार्य से नहीं की जा सकती। इसलिये विश्वविद्यालयों के वर्तमान विभागों को अधिक उन्नत और विकसित बनाने के लिये तो हर कोशिश की जानी चाहिये, पर जो काम अभी इतने सराहनीय ढंग से किया जा रहा है उस के लिये एक बिल्कुल नया संगठन खड़ा करने और इतना व्यय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती।"

सर मोर्टिमेर ने आगे कहा है :

> "मैंने यथासम्भव सावधानी से विधेयक के प्रारूप को बार-बार पढ़ा है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं, कि मुझे उस का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हुआ।"

इतना ही नहीं, यह विधेयक पुरातत्व के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति को भी सौंपा गया था। देश के सब से प्रमुख पुरातत्व वेत्ता उस समिति के सदस्य हैं। समिति के सदस्यों में लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पुरातात्विक विभागों के प्रधान सम्मिलित हैं। उन में दक्कन कालेज की पुरातत्व गवेषणा संस्था के निदेशक डा० संकलिया भी हैं, और इलाहबाद विश्वविद्यालय के डा० शर्मा भी। समिति की सर्वसम्मत राय यही है कि यह विधेयक हानिकारक है, और इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिये।

समिति ने इस के बारे में एक संकल्प भी पारित किया था। शायद डा० संकलिया ने माननीय सदस्य को इस के बारे में कुछ लिखा भी था।

सीलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय प्रस्तावक इस विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव ही नहीं, विधेयक को भी वापिस ले लें।

†**श्री नरसिंहन् (कृष्ण गिरि)** : व्यय में वृद्धि होने की बात बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कही गई है। उस में इतनी अधिक ृद्धि इसलिये नहीं होगी कि यह काम मंत्रालय से ले कर इस नयी पुरातत्व संस्था को सौंप दिया जायेगा। काम तो उतना ही रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विभाग की सफलताओं का हाल यह है कि सर मोर्टिमेरने जितना कम व्यय करके जितनी अधिक सफलतायें प्राप्त कर दिखाई थीं, आज उस का कई गुना अधिक व्यय कर के भी विभाग इतना काम नहीं कर पाता ।

माननीय मंत्री का एक तर्क यह है कि इस के पारित होने का नतीजा होगा पुरातत्व विभाग को खत्म कर देना । विभाग ही तो खत्म होगा, पुरातत्व विज्ञान तो नहीं । विभाग के खत्म होने से कोई मुसीबत तो नहीं आ जायेगी ।

इसी मंत्रालय के अधीन कई अन्य स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थायें गठित की गई हैं । अन्य मंत्रालयों ने भी ऐसा किया है । सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन के लिये स्वायत्त संस्थायें—जैसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग—बनाना ही श्रेयस्कर है । मैं उसी सिद्धान्त को यहां लागू करने की कोशिश कर रहा हूं । यह न तो कोई बिल्कुल नयी बात है, और न किसी तरह हानिकारक ही है ।

विभाग की कार्यक्षमता का हाल यह है कि १० वर्ष पहले बीकानेर क्षेत्र में सम्पन्न खुदाई-कार्य के बारे में अभी तक प्रतिवेदन तैयार नहीं हुआ है । इस से मंत्रालय की प्रतिष्ठा तो नहीं बढ़ती । बात असल में यह है कि यह एक गैर-सरकारी विधेयक है । गैर-सरकारी विधेयकों का गला भारत सरकार द्वारा इसी तरह घोंट दिया जाता है । कुछ वर्ष पहले लागत लेखापाल प्रतिष्ठान की स्थापना की व्यवस्था करने वाले मेरे एक और गैर-सरकारी विधेयक का भी सरकार ने इसी तरह धुआंधार विरोध किया था । लेकिन सरकार ने साल भर बाद उस के लिये खुद अपनी तरफ से एक सरकारी विधेयक पेश किया था ।

इसलिये मुझे अपनी असफलता से कोई आश्चर्य नहीं हुआ । मेरा इतना प्रयोजन तो सिद्ध हुआ कि सरकार ने इस की अविलम्बनीयता की ओर ध्यान दिया । सरकार बाध्य होना पसन्द नहीं करती । ठीक है । आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ऐसा ही एक सरकारी विधेयक रखेगी ।

मंत्रालय मेरा सुझाव मानने के लिये तैयार नहीं है । रोगी की सहमति के बिना उसे औषध कैसे दी जा सकती है ? मैं उस के लिये रुकने को तैयार हूं । लेकिन बड़ी आवश्यकता आज इस बात की है कि इस विभाग के कार्यों की गहरी छानबीन कराई जाये, ठीक वैसी ही जैसीकि एक बार सर लियोनार्ड वूले ने की थी । मैं अपने प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करता । मैं सभा से उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में, राज्य-सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १ में 'Tenth' (दसवें) शब्द के स्थान पर 'Eleven' (ग्यारहवें) शब्द रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खण्ड १

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

(२) पृष्ठ १, पंक्ति ४ में, '1959' (१९५९) अंक के स्थान पर '1960' (१९६०) अंक रखे जायें।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अ तर संशोधन करने वाले विधेयक में, राज्य सभा रा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

(१) पृष्ठ १, क्ति १ में 'tenth' (दसवें) शब्द के स्थान पर 'eleventh' (ग्यारहवें) शब्द रखा जाये।"

खण्ड १

(२) पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1959' (१९५९) अंक के स्थान पर '1960' (१९६०) अंक रखे जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

'कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को, स्वीकार किया जाये।'

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री तंगामणि (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं ने यह विधेयक दण्ड प्रक्रिया संहिता की कुछ धाराओं, विशेषकर धाराओं १०७, १२९, १३१ और १४४, में संशोधन करने के लिये रखा है। दण्ड प्रक्रिया संहिता का अधिनियमन ब्रिटिश शासन काल में किया गया था। उस की कुछ व्यवस्थायें राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन के लिये की गई थीं। अब हमारा देश राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर चुका है, इसलिये उन दमनकारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रही है।

मैं ने उन व्यवस्थाओं को बिल्कुल हटाने की बात नहीं कही है। मैं ने उन के दुरुपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश की है, जिन का आधार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्याया-लय के कई निर्णय हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

धारा १०७ को सामान्यतया सुरक्षा सम्बन्धी धारा कहा जाता है। उस के अन्तर्गत किसी भी नागरिक को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे शान्ति बनाये रखने के लिये जमानतें जुटाने के लिये बाध्य किया जा सकता है। १९२२ में, धारा १०७(१) के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट को शक्ति थी कि वह किसी भी नागरिक से इस का कारण पेश करने के लिये कहे कि उस के खिलाफ ऐसा आदेश क्यों जारी न किया जाये। विधान सभा में, १८ जनवरी, १९२३ को इन व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई थी। उस समय अनेकों उदाहरण पेश किये गये थे कि इस व्यवस्था का कितना दुरुपयोग हो रहा था। मैजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने की बात केवल औपचारिक रह गई थी। अमल यह था कि मैजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन्हीं दिनों मौलाना मोहम्मद अली को इसी प्रकार गिरफ्तार किया गया था। गरमागरम बहस और विरोध के बाद ही, धारा में यह शर्त जोड़ी गई थी कि "यदि मैजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही के लिये यथेष्ट आधार समझे"। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका को शक्ति प्रदान की गई थी कि वह देखे कि मैजिस्ट्रेट के पास यथेष्ट आधार था या नहीं यह बात आज से ४० साल पहले की है; अब इस नई परिस्थिति में उस पर और भी प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें। इसलिये कि अब स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद, व्यक्ति के अधिकारों को अधिक संरक्षण देने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि मूल धारा १०७(१) संविधान की भावना के प्रतिकूल है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि व्यक्ति को कुछ अधिक परित्राण दिये जायें। किसानों, मज़दूरों, मध्यवर्ग के कर्मचारियों और व्यवसायियों तक के सामान्य प्रचार-आन्दोलनों के विरुद्ध इस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। हमारे देश में किसी भी राजनीतिक दल ने कभी किसी हिंसात्मक आन्दोलन का संगठन नहीं किया। इसीलिये मैं ने इस मूल धारा में एक परन्तुक जोड़ने का संशोधन रखा है। उस में व्यवस्था है कि इस धारा के अन्तर्गत किसी भी वैधानिक आन्दोलन और राजनीतिक दलों या जन-संगठनों के किसी भी कार्यकर्त्ता के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इस मूल धारा के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों ने यही निर्णय दिये हैं कि यह धारा निवारक है, दण्डकारी नहीं। यदि किसी आगामी आन्दोलन के नेताओं को इस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाये, तो वह दण्डकारी प्रयोग हो जाता है, निवारक नहीं रह जाता।

मद्रास उच्चन्यायालय ने १९३७ में मुरुगप्पा गौंडर के मुकदमे के निर्णय में कहा था कि धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को ही समुचित आधार नहीं माना जा सकता। मैजिस्ट्रेट को यथेष्ट प्रमाण मिलने चाहियें कि सम्बन्धित व्यक्ति के कारण शान्ति भंग होने का अंदेशा है। शान्ति भंग होने का मतलब है कि जनता का सामान्य जीवन अव्यवस्थित होना। और जब देश या किसी नगर की पूरी जनता एकजुट हो कर, एक ही व्यक्ति की भांति आंदोलन में भाग लेने लगती है, तब हिंसा की गुंजाइश कम से कम रह जाती है। वह अपने आप में एक गारंटी है कि शांति भंग नहीं होगी।

लाहौर उच्च न्यायालय ने १९३१ में निर्णय किया था कि यदि जनता में पहले से उत्तेजना फैली हो और यदि कोई व्यक्ति अपने भाषण से उसे कुछ देर के लिये और उत्तेजित बना दे तो केवल उसी के आधार पर उस के विरुद्ध धारा १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती।

धारा १०७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अभियुक्त नहीं कहा जा सकता।

धारा १०७ का प्रयोग राजनीतिक आन्दोलनों और कार्मिक संघीय आन्दोलनों के विरुद्ध इसीलिये किया जाता है कि जमानती जुटाने पर भी नगर मैजिस्ट्रेट उन को कम से कम सात

[श्री तंगामणि]

दिन तक जेल में रख सकता है। मुझे स्वयं इसी धारा के अन्तर्गत पहले से चलने वाली, मजदूरों की एक वैध हड़ताल के सिलसिले में उन को उत्तेजित करने के आरोप पर गिरफ्तार किया गया था। जबकि लाहौर उच्च न्यायालय ने इस के ऐसे प्रयोग के विरुद्ध स्पष्ट निर्णय दिया था। इस धारा का प्रयोग वास्तव में केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाना चाहिये जो आदतन अपराधी हों। लेकिन आजकल होता यही है कि मजदूरों की कोई भी हड़ताल हो श्री डांगे को और बाद में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है।

मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनेकों उद्धरण पेश कर सकता हूं। सभी उच्च न्यायालयों ने इस धारा के दुरुपयोग के विरुद्ध निर्णय किये हैं। इसलिये इस विधि को संशोधित करना आवश्यक है। आशा है कि माननीय मंत्री सारे अध्याय ७ को उचित ढंग से संशोधित करने के प्रस्ताव से सहमत होंगे।

अब मैं धारा १२६ को लेता हूं। उस में व्यवस्था है कि यदि किसी एक स्थान पर लोगों का जमाव हो और उसे किसी अन्य तरीके से तितर-बितर न किया जा सकता हो, पर जन-सुरक्षा की दृष्टि से उसे तितर-बितर करना जरूरी हो, तो उच्चतम संवर्ग का कोई भी मैजिस्ट्रेट सशस्त्र बल के जरिये उसे तितर-बितर करा सकेगा।

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण पर ८ जुलाई, १६५८ की तिथि पड़ी हुई है। इस से कुछ ही दिन पहले मद्रास और जमशेदपुर में मजदूरों पर गोलीबारी हुई थी और उस के परिणामस्वरूप छै. मजदूर जान से हाथ धो बैठे थे। इसीलिये मैं ने उन को भी विधेयक के प्रारूप में शामिल कर लिया था।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

मूल धारा १२६ की व्यवस्था के अनुसार जन-सुरक्षा भंग होना ही सशस्त्र हस्तक्षेप का आधार बनता है। लेकिन जन-सुरक्षा एक बड़ा व्यापक शब्द है। इसीलिये मैं ने उसे सीमित करना चाहा है। इस संशोधन विधेयक के खण्ड ३ में व्यवस्था की गई है कि सशस्त्र बल द्वारा लोगों के जमाव को तभी तितर-बितर कराया जा सकेगा, जब कुछ लोगों की जान जाने का फौरी खतरा दिखाई दे और उस की आशंका का कोई उचित आधार हो।

आज सरकार इस व्यवस्था पर आपत्ति नहीं कर सकती। इस में उचित कारण की स्पष्ट परिभाषा कर दी गई है। किसी की जान जाने का खतरा बिलकुल फौरी और स्पष्ट होना चाहिये, तभी मैजिस्ट्रेट सशस्त्र बल को बुला सकेगा। इस के साथ एक परन्तुक भी जोड़ा गया है कि मैजिस्ट्रेट को इस का प्रयोग करने की शक्ति तभी होगी जब वह पूरी तौर पर समझ ले कि पुलिस उस जमाव पर काबू नहीं पा सकेगी। एक दूसरी शर्त भी है कि सशस्त्र बल का प्रयोग मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों या अन्य जन-संगठनों के आन्दोलनों को कुचलने के लिये नहीं किया जायेगा, हां साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध इस का प्रयोग किया जा सकेगा।

संहिता की मूल धारा १३१ में व्यवस्था है कि यदि ऐसे अवसर पर मैजिस्ट्रेट वहां मौजूद न हो, तो सशस्त्र बल का कोई कमीशन-प्राप्त अधिकारी भी उस जमाव को तितर-बितर करने की दृष्टि से मैजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। वह अपनी सशस्त्र टुकड़ी के बल पर उस जमाव को तितर-बितर कर सकेगा और लोगों को गिरफ्तार कर सकेगा। यह बड़ी व्यापक शक्ति है। इसीलिये मैं ने इस में एक नई धारा १३१क जोड़ी है, जिस में व्यवस्था है कि सशस्त्र बल के किसी कमीशन-

प्राप्त अधिकारी द्वारा इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने के बाद उस के तीन दिन के अन्दर ही केन्द्रीय सरकार एक जांच आयोग नियुक्त करेगी, जिस में कम से कम ९ सदस्य होंगे, जिन में से ३ संसत्सदस्य, और शेष उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों पर काम करने वाले लोग, या उन के बराबर अर्हता-प्राप्त लोग होंगे, और वह आयोग संसद् को अपना प्रतिवेदन देगा।

मैं यह संशोधन इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि संसद् को भी ऐसे मामलों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार मिल जाये, जो अभी नहीं है।

अब धारा १४४ को लीजिये। मैं उस की सभी छै उपधाराओं का निरसन नहीं चाहता। मैं केवल १४४(१) और १४४(६) को संशोधित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार संहिता को संशोधित करते समय इस का ध्यान रखे।

धारा १४१(१) के अन्तर्गत जिला मैजिस्ट्रेट को बड़ी व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। जिला मैजिस्ट्रट अपनी राय के आधार पर सारा निर्णय कर सकता है। यदि उस को राय में उचित कारण मौजूद हैं तो वह इस धारा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को लिखित आदेश दे सकता है। कई उच्च न्यायालयों ने इस के सम्बन्ध में अपने निर्णयों में कहा है कि यह धारा जिला मैजिस्ट्रेट को बड़ी व्यापक शक्ति प्रदान करती है, इसीलिये इस का प्रयोग अत्यन्त सावधानी से किया जाना चाहिये। मैं ने उच्च-न्यायालयों की इसी चेतावनी को एक परन्तुक का रूप दे दिया है। मैं ने उस में परन्तुक जोड़ा है कि इस धारा के अन्तर्गत उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी जो अपने कुछ कष्टों के निवारण या अपनी कुछ मांगों के लिये वैधानिक ढंग से किसी हड़ताल, जुलूस या सभा के सिलसिले में धरना दे रहे हों।

हमें याद रखना चाहिये कि पुराने दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत पुलिस को इतनी ही व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थीं; और इसीलिये कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा कर दी है कि वे उस का प्रयोग नहीं करेंगी। चूंकि देश में हड़तालों पर प्रतिबन्ध नहीं है, इसलिये इतनी व्यापक शक्तियां अवांछनीय हैं। कुछ उद्योगों में तो हड़ताल की पूर्व-सूचना देना भी आवश्यक नहीं होता। ब्रिटिश शासन-काल में भी, यह एक प्रथा सी बन गई थी कि विलायती कपड़े की दुकान से दस गज़ दूर यदि धरना दिया जाता था, तो पुलिस उन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती थी। लेकिन आज उतना भी नहीं होता।

उपधारा (३) द्वारा भी इसी प्रकार की व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। इसीलिये मैं ने उस में एक परन्तुक जोड़ा है कि उस के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को आदेश नहीं दिया जायेगा, जो अपने कष्टों के निवारण के लिये प्रदर्शन कर रहे हों।

होता यह है कि इस का प्रयोग जनता द्वारा सम्मानित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है, जैसाकि पंजाब में हुआ है। उस के परिणामस्वरूप परिस्थिति और भी बिगड़ जाती है। जनता भड़क उठती है। जनता को संसद् और राज्य विधान मंडलों के सामने अपनी मागों के लिये प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिये।

उपधारा (६) के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट दो महीने की अवधि तक के लिये आदेश निकाल सकता है। उच्च-न्यायालयों ने इस की बड़ी कटु आलोचना की है। मैजिस्ट्रेट दो-दो महीने कर के दो साल तक भी अवधि बढ़ाता जा सकता है। इसीलिये मैं ने संशोधन रखा है कि यदि दो महीने की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़े, तो वह सरकारी गज़ट में अधिसूचना निकाल कर ही किया जा सकेगा। दो महीने की अवधि भी अधिकतम है, वैसे, मेरे संशोधन के अनुसार, ऐसा आदेश केवल

[श्री तंगामणि]

४८ घंटों तक लागू रह सकेगा। दो दिन में खतरे को टाला जा सकता है, उस की रोकथाम की जा सकती है। मंशा यह है कि कार्यपालिका के आदेश न्यायपालिका के नियंत्रण में रहें।

मेरे इन सभी संशोधनों का आधार उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों पर ही है। मैंने पहले ही कहा है कि मेरा उद्देश्य इन धाराओं को बिलकुल हटाना नहीं, उन को शक्ति को सीमित करना ही है। इस की आवश्यकता तो १९२३ में हो महसूस की जा रही थी। अब तो देश स्वाधीन हो गया है। अब नागरिक स्वतंत्रता का दायरा और बढ़ाना जरूरी है।

दूसरी चीज़ यह है कि ऐसी घटनाओं, सशस्त्र हस्तक्षेप की घटनाओं को संसद् के क्षेत्राधिकार में लाना जरूरी है।

मैं चाहता हूं कि धारा १४४ का प्रयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध न किया जाये। मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : माननीय प्रस्तावक के भाषण से स्पष्ट है कि उन को दण्ड प्रक्रिया संहिता की कुछ व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी आशंकायें हैं।

वास्तव में यदि उन की यह आशंका उचित है कि इन व्यवस्थाओं का प्रयोग मजदूरों के वैध आंदोलन को कुचलने के लिये किया जाता है, तो इन को बिलकुल रद्द कर दिया जाना चाहिये। फिर तो इन के संशोधन की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन वास्तव में इन का प्रयोग मजदूरों के वैध आन्दोलन के दमन के लिये नहीं किया जाता। इन का प्रयोग तभी होता है, जब उस में हिंसा की संभावना हो। नागरिकों के जान-माल की रक्षा के लिये ये व्यवस्थायें नितान्त आवश्यक हैं। इन पर कोई भी आपत्ति तभी हो सकती है जब मैजिस्ट्रेट या पुलिस इन का दुरुपयोग करे।

धारा १०७ का उद्देश्य तो शान्ति भंग होने से रोकना भर है, जिस से कि जान-माल को कोई क्षति न पहुंच सके। उस में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का विभेद करना गलत होगा।

यह संशोधन विधेयक वास्तव में संहिता की धाराओं के दुरुपयोग की आशंकाओं का ही फल है। इसलिये इन का दुरुपयोग रोकना चाहिये।

कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि सशस्त्र बल का प्रयोग अत्यावश्यक हो जाता है। इसलिये यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। हां, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैं मानता हूं। लेकिन उसका निर्णय मैजिस्ट्रेट के स्वयं विवेक पर है। इसलिये कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो सके। उच्च-न्यायालयों ने भी जहां जहां आपत्ति की है, वह इसके दुरुपयोग पर ही है।

यह संशोधन भी व्यावहारिक नहीं है कि उपधारा १४४(६) के अन्तर्गत लगाया गया प्रतिबन्ध केवल ४८ घण्टे तक प्रभावी रहे, और उसकी अवधि बढ़ाने के लिये राज्य सरकार को उच्च न्यायालय से परामर्श करना पड़े। ४८ घंटे में यह संभव नहीं। वैसे धारा की व्यवस्था स्पष्ट है कि इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जाये जब कुछ खतरनाक घटनाओं को रोकना अत्यावश्यक और फौरी हो जाये। इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इसलिये इस संशोधन विधेयक का आधार माननीय प्रस्तावक की अपनी आशंकायें ही हैं कि मूल व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जायेगा। मात्र आशंकाओं के आधार पर व्यवस्थाओं का संशोधन अनुचित है।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी हमारे भाई ने इस बिल को मूव करते हुए बताया है कि यह कानून उस जमाने में बनाया गया था जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था और इस कानून का खुला मंशा यह है कि लोगों को दबाया जाये। इन १०७, १४४ और १२६ धाराओं के जरिये हमारे सारे अख्तियारात हाकिमों के हाथों में दे दिये गये हैं और वे इनका हमेशा बेजा इस्तैमाल करते हैं।

अभी सदन में माननीय सदस्य ने भाषण करते हुए बताया कि शायद बिल के मूवर के दिल में इन धाराओं का डर समाया हुआ है। उन्हों ने कहा कि ये प्रावीजन रहने चाहिएं। मैं नहीं समझता कि आज हिन्दुस्तान को आजाद होने के १४ वर्षों बाद, जब कि आज शान्ति का जमाना है ऐसी स्थिति में धारा १०७, १४४ या १२६ को रखने की जरूरत है। सिवा इसके कि सरकार उनका इस्तैमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करे इनका और कोई उपयोग समझ में नहीं आता।

अभी पिछले दिनों मैं एक इलेक्शन मीटिंग में गया था। जब तकरीर करके लौट रहा था तो मुझ को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछने पर मालूम हुआ कि मेरी तकरीर की वजह से सारी जगह हिंसा फैल गयी है। लेकिन कहीं कोई मरा नहीं, कोई कत्ल नहीं हुआ, फिर इसका मंशा क्या है? इस तरह से पुलिस इन धाराओं का इस्तैमाल करती है। पिछले दिनों माननीय सदस्य श्री जगदीश अवस्थी भी इसी तरह से गिरफ्तार कर लिये गये थे। अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बात कही जाती हैं तो सोचा जाता है खतरा पैदा हो गया।

अभी आपको हमारे साथी ने बताया कि अगर एक हरिजन किसी कुएं से पानी भरना चाहता है और कुछ लोग उसको रोकते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ दफा १०७ लगाने के बजाये उस हरिजन के खिलाफ यह दफा लगायी जाती है। तो यह बात नहीं है कि मूवर के दिल में इन धाराओं का डर समा गया है इसलिए वह यह बिल लाये हैं, बल्कि इसलिए यह बिल लाया गया है कि इन धाराओं का हमेशा गलत इस्तैमाल हुआ है और होता रहेगा, इसलिए कि इस जमाने में विभिन्न शक्ति के लोग मौजूद हैं। इस जमाने में एक तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में सारी शक्ति है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में न कोई कानून है और न शक्ति है। अगर वर्गहीन समाज में हम इस व्यवस्था को लागू रहने देने की बात करते तो समझ में आ सकता था, लेकिन जिस समाज की नींव वर्ग व्यवस्था पर कायम है उस समाज में जो शक्तिशाली वर्ग है वह इन धाराओं का उपयोग उस वर्ग के खिलाफ करेगा जो कि शक्ति में नहीं है।

पिछले दिनों हमारे सदन के प्रधान मंत्री ने लिखा है कि प्रतापगढ़ में एक किसानों का आन्दोलन हुआ। उस सिलसिले में वह वहां खुद गये थे। चूंकि मूवमेंट चल रहा था इसलिए दफा १४४ लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर किसानों को समझा दूंगा और झगड़ा नहीं होगा और सैकड़ों जाने जाने से बच जायेंगी लेकिन उनसे कहा गया कि आप वहां नहीं जा सकते क्योंकि अगर आप वहां जायेंगे तो झगड़ा जरूर होगा, इसलिए आप यहीं तशरीफ रखिये। उस वक्त वह प्रधान मंत्री नहीं थे। मैं आपको ऐसी सैकड़ों स्पीचेज़ बतला सकता हूं जिनमें कांग्रेस के नेताओं ने इन धाराओं की मुखालिफत की है।

[श्री सरजू पाण्डेय]

मैं समझता हूं कि हमारे साथी श्री तंगामणि ने सिद्धान्त रूप से इनका विरोध नहीं किया है। वह इन में कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। दूसरे माननीय सदस्य ने अपनी तक ीर में इसके सिलसिले में कहा कि यह बात सही है कि अगर इसका मिसयूज होता हो तो कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये, यानी यह सब स्वीकार करते हैं कि इन धाराओं का मिसयूज होता है। मैं समझता हूं कि सब लोग इस बात को मानते हैं। इसी लिए दूसरे सदस्यों का भी कहना है कि ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि इनका बेजा इस्तैमाल रोका जा सके। लेकिन जैसा मैं ने आप से कहा इस जमाने में इनका बेजा इस्तैमाल होगा। इसलिए इन धाराओं की आज कोई आवश्यकता नहीं है।

अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है जिससे किसी की जिन्दगी को खतरा पैदा होता है, या अगर कोई आग लगाता है या कत्ल करता है तो उसके लिए आपके पास पहले से कानून मौजूद है। हम नहीं समझते कि फिर इन धाराओं का क्या मतलब है। कहा जाता है कि इनकी आवश्यकता इसलिए है कि किसी आदमी के कारण शान्ति भंग की सम्भावना हो सकती है, उसको इनके द्वारा रोका जा सकता है। लेकिन आप देखें कि वह सम्भावना किस तरह हो जाती हैं। अगर किसी पुलिस के कांस्टेबिल ने कह दिया कि शान्ति भंग होने की सम्भावना है तो फिर जिला मजिस्ट्रेट यह नहीं कह सकता कि सम्भावना नहीं है। इस तरह आप जनता की स्वतंत्रता को एक पुलिस कांस्टेबिल के हाथ में सौंप देते हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के खिलाफ है और किसी भी प्रजातांत्रिक देश में इस तरह का कानून नहीं है। अगर यह सरकार देश में प्रजातांत्रिक शक्तियों को बढ़ने का मौका देना चाहती है तो यह सही मानों में तभी हो सकता है जब कि देश में प्रजातांत्रिक वातावरण उत्पन्न किया जाये। और मैं समझता हूं कि यह कानून उस प्रकार का वातावरण पैदा होने के मार्ग में लाजिमी तौर पर बाधा उत्पन्न करता है। मैं तो मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इन धाराओं को वापस ले लें तो अच्छा हो, और अगर इन सुधारों के साथ उनको मान लें तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई वैसी बात नहीं है। मूवर ने कहा है कि दफा १०७ के सिलसिले में पोलीटिकल वरकर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। पिछले दिनों गन्ने का स्ट्राइक हुआ था। मैं ने यहां कहा था कि एक लाख आदमी या तीन लाख आदमी तकरीबन हड़ताल पर हैं। उस समय मुझे सदन में बताया गया कि यह जनता के हित में नहीं हैं। जो सरकार का हित होता है उसी को जनता का हित कहा जाता है। अगर किसान हड़ताल पर जाते हैं और कहते हैं कि हमको गन्ने का उचित मूल्य दिया जाये और कुछ दूसरी सुविधाएं दी जायें तो यह जनता के हित में नहीं है। जो पांच आदमी सरकार में बैठ कर तै करते हैं उसी को जनता का हित कहा जाता है। इसीलिए यह व्यवस्था आपके सामने रखी गयी है कि अगर किसान या मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई आन्दोलन करते हैं तो उसमें दफा १०७ को लागू करने का अधिकार बन्द करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो और आप इस कानून को लागू करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि कोई सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकेगा। जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बात कहेगा उसको आप दफा १०७ में गिरफ्तार कर के जेल में डाल देंगे और उसके बाद उस पर दुनिया भर के मुकदमे चलायेंगे।

इसी तरह से धारा १४४ भी एक अजीब धारा हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस तरह एक आदमी को यह अधिकार दे देते हैं कि जब वह समझेगा कि शान्ति भंग की संभावना है तो इस धारा को लागू कर दे। पिछले दिनों मैं दिल्ली में एक मीटिंग में गया और तकरीर करना चाहा तो कहा गया कि अगर आप लाउड स्पीकर पर बोलेंगे तो शान्ति भंग की सम्भावना है। आप देखें कि इससे बड़ा बेजा इस्तैमाल इस धारा का और क्या हो सकता है, आपको कहीं दुनिया में

ऐसा कानून नहीं मिलेगा कि अगर हम जबान से तकरीर करेंगे तो शान्ति भंग होने की सम्भावना नहीं है लेकिन अगर हम लाउड स्पीकर पर बोलते हैं तो शान्ति भंग की सम्भावना है।

इसी प्रकार मैंने देखा है कि अगर कहीं भी दफा १४४ लगा दी जाती है तो आप सभा नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, बोल नहीं सकते। पिछली साल ऐसे दो मौके आये। हमने पूछा कि आखिर कौनसी बात हो गयी, क्या लोगों ने हथियार उ ा लिये, क्या सरकार हाथ से निकल गयी, क्या कत्ल हो गया या बलवा हो गया। कहा गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लोग झगड़ा करना चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि झगड़ा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि दफा १४४ तो अंग्रेजों ने सिर्फ अपनी सरकार के लिए बनायी थी ताकि उनके खिलाफ कोई कुछ बोल न सके। उनका उद्देश्य इससे यह था कि कोई उनके खिलाफ सभा सोसाइटी न कर सके।

आपने लोगों को संविधान में सभा करने को, बोलने का और अपनी मांगें रखने का अधिकार दिया है लेकिन दफा १४४ के द्वारा आप उस अधिकार को छीन लेते हैं। इसलिए इस धारा का संशोधन आवश्यक हैं।

मैंने पिछले दिनों हाईकोर्ट में भी जजों से यही बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा काम कानून को बदलने का नहीं है, हमारा काम तो यह देखने का है कि जो कानून बनकर आया हैं, वह ठीक ढंग से लागू होता हैं या नहीं। कोर्टों के बीसियों रिमार्क इस बारे में मौजूद हैं कि इस धारा १४४ का गलत इस्तैमाल किया गया है। इससे झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि धारा १४४ को तो बिल्कुल ही लागू नहीं करना चाहिए। कहा जाता हैं कि इससे झगड़ा रुकता है। मैं कहता हूं कि इस धारा से न कभी झगड़ा रुका है और न रुक सकता है। और इसका उपयोग हमेशा लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए किया जाता है। इस कानून को लागू करने का अधिकार ऐसे अफसरों को दे दिया जाता हैं जो बंगलों में बैठे रहते हैं और जिनको दुनिया का कोई इल्म नहीं होता। अगर कोई सिपाही उनके काम में कह देता हैं या लिख कर दे देता हैं, तो दफा १४४ लागू करके लोगों के अधिकार छीन लिये जाते हैं। हमारे साथी ने यह भी बताया हैं कि किन स्थितियों में दफा १४४ लागू होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इन सुधारों को मान लेना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है।

जहां तक दफ़ा १२९ का सम्बन्ध है, अभी पिछले दिनों बंगाल में खाद्य आन्दोलन में सम्बन्ध में मिनटों में मिलिटरी बुला ली गई। वहां पर लोगों ने मांग की कि हम को सस्ता चावल दो और सरकार ने समझ लिया कि यह हमारे ख़िलाफ़ बगावत है। आज स्थिति यह है कि कोई बात हुई और फ़ौरन मिलिटरी बुला ली गई और औरतें, बच्चे, जवान सब मारे गये। चन्द आदमियों के हाथ में यह अधिकार दे दिया गया है कि जब भी उन के दिमाग़ में यह बात आ जाये कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है, तभी वे फ़ौज को बुला लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के किसी आन्दोलन को, जिस के पीछे जन-समर्थन हो, फ़ौजों और बन्दूकों से कुचलने का अर्थ यह है कि हम देश में एक ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं, जिसमें कोई आदमी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। मुमकिन है कि हिटलर की हुकूमत में भी इस किस्म की बातें हुई हों, लेकिन इस देश में प्रजातंत्र का नाम लेते हुए भी ऐसे कानूनों का निर्माण करके और उनको लागू करके जनता के उन अधिकारों को छीना जा रहा है, जो कि संविधान के द्वारा उसको मिले हुए हैं।

इस लिए माननीय सदस्य ने पार्लिमेंट के मेम्बरों और जजों के कमीशन के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती। अगर

[श्री सरजू पाण्डेय]

ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये, तो शायद कोई बुलाने, पूछने को न रहे। आवश्यकता इस बात की है कि उन को इस बात का मौका दिया जाये कि वे सही तौर पर स्थिति का अध्ययन कर के बतायें कि फौज बुलाने की स्थिति है या नहीं है।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि चूंकि इस वक्त हमारे देश में काफ़ी अच्छा वातावरण है, इस लिए वह इन सुझावों को स्वीकार कर लें। यह बात सही है कि आज देश में जो परेशनियां हैं, उन के लिए लोग लड़ते हैं और इस सम्बन्ध में मांगें भी करते हैं। यह एक अच्छी बात है और यह किसी मुल्क की तरक्की की द्योतक है। यह वांछनीय नहीं है कि यहां पर कोई बात हो जाये, और सब उस को मान लें। अगर यह सरकार देश की प्रजातांत्रिक शक्तियों को बढ़ने का मौका देना चाहती है, तो उस को लाज़िमी तौर पर इन धाराओं को निकाल देना चाहिए, ताकि हमारे देश की वे शक्तियां प्रगति कर सकें, जो कि समाजवाद की रचना करना चाहती हैं, क्योंकि वे शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं, जो कि समाजवाद के विरुद्ध हैं, जो लोगों को समान अवसर प्रदान करना नहीं चाहती हैं।

अगर यह सरकार इन धाराओं का इस्तेमाल उन ज़मींदारों के खिलाफ़ करती है, जो ग़रीबों का खेत छीनते हैं, उन मिल-मालिकों के खिलाफ़ करती है, जो मज़दूरों के अख़्तियारात पर हमला करते हैं, उन हाकिमों के खिलाफ़ करती है, जो जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला करते हैं, तो मैं इस बिल का तहे-दिल से समर्थन करता हूं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अगर ये धारायें चली गई, तो क्या इस्तेमाल करेंगे ?

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : अभी तक तो इस्तेमाल नहीं किया है। इन के अधीन कितने पूंजीपति पकड़े गए हैं ?

श्री सरजू पाण्डेय : इन को उन लोगों के खिलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसी लिए तो विरोध हो रहा है।

यह सरकार इस देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। उस ने देश को समाजवादी समाज का नारा दिया है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर वह इन धाराओं का प्रयोग उन लोगों के खिलाफ़ करे, तो बात समझ में आती है। अगर इन धाराओं का इस्तेमाल ग़रीबों के खिलाफ़ और राजनैतिक दलों को दबाने के लिए होता रहा, तो यह सरकार लाज़िमी तौर पर अपने निश्चित सिद्धान्तों से गिरेगी और देश की प्रगति नहीं कर सकेगी।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, यह बिल एक बार फिर इस सदन में नागरिक स्वतंत्रता के प्रश्न को महत्वपूर्ण रूप से उठाता है। जिन दिनों इस सदन में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पर बहस हुई थी, उन दिनों सरकार की तरफ से यह दलील दी गई थी कि वैसे कानून के बिना सरकार के पास उन लोगों से सुलझने का कोई तरीका नहीं रहेगा, जो कि स्थायी सिविल नाफ़रमानी में, पर्मानेंट सिविल डिसओबिडियेंस में विश्वास रखते हैं। इस बिल में खास तौर से उन्हीं लोगों को दफ़ा १०७ और दफ़ा १४४ की व्यवस्थाओं से माफ़ करने के लिए व्यवस्था की गई है, जो नागरिक स्वतंत्रता के उन अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो कि हमारे संविधान के द्वारा दिये गए हैं। चाहे वह खेत में काम करने वाले किसान का प्रश्न हो, चाहे कारखाने में काम करने वाले मजदूर का प्रश्न हो और चाहे मध्यम वर्ग के नागरिकों का सवाल हो, जो अपनी

जायज़ मांगों के लिए कोई आन्दोलन करना चाहते हैं, और उस के लिए गांधी जी के उसूलों को मानते हुए शान्तिपूर्ण तरीक़ों से कोई सत्याग्रह भी करना चाहते हैं, तो मुल्क की ऐसी सरकार को, जो कि गांधी जी के पद-चिन्हों पर चलने का दावा करती हो, यह कर्तव्य होता है कि जब तक किसी खास कानून की किसी खास धारा का उल्लंघन नहीं होता है, तब तक प्रिवेंटिव सैक्शन्ज़, जुर्म को रोकने वाली धाराओं, के अन्दर उन लोगों का चालान न हो और उन के अन्दर उन पर कोई जुर्म आयद न किा जाये। दफ़ा १०७ क्या है? संविधान ने लोगों को यह अधिकार दिया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हम जेल में नहीं रख सकते हैं। लेकिन इन धाराओं के मातहत लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है इस आधार पर कि उन से भविष्य में शान्ति भंग होने का खतरा है—शांति भंग हुई नहीं है, भंग होने का खतरा है। एक बड़े रूप में यही व्यवस्था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में रखी गई है और उस के अधीन निवारक नज़रबन्दी की जा सकती है और सरकार बिना मुकदमा चलाए एक नागरिक को एक साल तक जेल में रख सकती है। इसी प्रकार दफ़ा १०७ में यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति से शांति भंग के खतरे के आधार पर एक साल तक ज़मानत और मुचलका लिया जा सकता है। अगर वह व्यक्ति ज़मानत और मुचलका दाखिल कर के बाहर आता है, तो फिर वहां की स्थानीय पुलिस पर यह निर्भर करता है कि वह जब चाहे, उस पर शांति भंग का आरोप लगा दे और ज़मानत और मुचलके को ज़ब्त करा दे।

मेरे मित्र, श्री उपाध्याय ने अभी सम्भवतः यह कहने की कोशिश की कि यदि इस तरह की धारा न हो, तो आम तौर से जो गांवों और शहरों में व्यक्तिगत झगड़ों को ले कर शान्ति भंग के मामले होते हैं, उन का क्या होगा। अगर सरकार व्यक्तिगत झगड़ों पर इन धाराओं को लागू करे, तब तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन क्या सरकार ने कभी यह जानने का प्रयत्न किया कि दफ़ा १०७ को कितने ऐसे मामलों में लागू किया गया, जहां पर व्यक्तिगत झगड़े का प्रश्न नहीं था, जहां अगर कोई झगड़ा था तो वह सरकार और जनता के बीच था। यदि जनता और सरकार के बीच का झगड़ा है, तो ईमानदारी की बात यह है कि जिस पीनल ला की, जिस कानून की किसी विशेष धारा का उल्लंघन किया गया है, उस के अधीन सम्बन्धित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाये और उन को सज़ा दिलवाई जाये और अगर कोई ऐसा उल्लंघन नहीं किया गया है, तो जेनरल इलैक्शन में उन का मुकाबला किया जाये। उन को जेल में बन्द करने का सवाल नहीं होना चाहिए। अगर मैं इन धाराओं का विरोध करता हूं, या इस बिल का स्वागत करता हूं, तो वह सिर्फ़ इस लिए कि हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों पर ये धारायें रोक लगाती हैं, अंकुश लगाते हैं। संविधान की इन व्यवस्थाओं के होते हुए जब राजनैतिक दलों के खिलाफ़, या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ़ कार्यवाही की जाती है, जो संविधान द्वारा प्रदत अधिकारों के अधीन अपनी जायज़ मांगों के लिए आन्दोलन करते हैं, तो फिर हमारी नागरिक स्वतंत्रता मखौल और खिलवाड़ बन जाती है।

मुझे पता नहीं कि क्या सरकार ने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि इन कानूनों का अमल किस पर निर्भर करता है। देहातों और शहरों में दफ़ा १०७ के अन्तर्गत जो चालान करते हैं, वे कौन लोग होते हैं? एक छोटा दारोग़ा होता है। अगर कोई रंजिश भी है, तो वह किसी राजनैतिक आदमी को दफ़ा १०७ में भेज सकता है और वह आदमी जब तक मुकदमा न लड़े, तब तक उस के लिए छूटना सम्भव नहीं है। अगर इस सरकार को कांग्रेस के इतिहास की पृष्ठभूमि का कुछ भी ख़्याल है, तो उस को याद रखना चाहिए कि ऐसी दफ़ा में कोई भी राजनैतिक आदमी नहीं लड़ना चाहता है। वह कहता है कि अगर दफ़ा १०७ के मातहत आप ज़मानत और मुचलका लेना चाहते हैं, तो हम वह नहीं देंगे, जेल में रहना पसन्द करेंगे। अभी हाल का एक

[श्री ब्रजराज सिंह]

उदाहरण है कि इस सदन के माननीय सदस्य, श्री अर्जुन सिंह भदौरिया, को एक आन्दोलन में छ: महीने के लिए जमानत और मुचलके पर बन्द कर दिया गया। उन से यह कहा गया कि शान्ति भंग करने के आरोप में जमानत और मुचलका दाखिल कीजिए। उन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया। अगर उन पर किसी कानून की किसी खास धारा के मातहत मुकदमा चलाया जाता और सजा दी जाती, तो मुझे कोई एतराज़ न था। लेकिन पुलिस यह करती है कि उस को जब कोई कानून और धारा नहीं मिलती है, जिस के मातहत वह मुकदमा चला सके, तो उस के पास यह हथियार होता है कि वह दफ़ा १०७ के अन्दर बन्द कर दे और छ: महीने, एक साल--जितने दिन चाहे-- के लिए बन्द कर दे।

हमारे देश में कुछ राज्य इस तरह के हैं--खासकर उत्तर प्रदेश--जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का प्रयोग न कर के दफ़ा १०७ का प्रयोग किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि हमारे हां प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अन्तर्गत कोई व्यक्ति बन्द नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार को या मंत्री महोदय की यह इच्छा है कि दफा १०७ का प्रयोग उसी तरह से होना चाहिये जिस तरह से कि डिटेंशन लॉ का प्रयोग होता है। मैं नहीं समझता कि श्री दातार यह कहेंगे कि दफा १०७ का मंशा वही है जोकि डिटेंशन लॉ का है। अगर यह मंशा नहीं है तब फिर इस तरह की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये जिससे कि कम से कम राजनीतिक व्यक्तियों पर, ट्रेड यूनियन में काम करने वाले व्यक्तियों पर, किसानों की मांगों को ले कर लड़ने वाले व्यक्तियों पर, जोकि शान्तिपूर्ण ढंग से आप काम चलाते हैं, ये धारायें लागू न हो सकें, उनके खिलाफ इन को अमल में न लाया जा सके। अगर इन धाराओं को आपको रखना ही है तो इस तरह की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं चाहता हूं कि इस बिल को आप स्वीकार करें लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन धाराओं का प्रयोग राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिये। आप विचार करें कि दफा १०७ का अमल किस प्रकार से हो रहा है, उसका वर्किंग किस प्रकार से हो रहा है और इसके बारे में एक रिपोर्ट आप इस सदन में पेश करें। जब इस तरह की मांग की जायेगी और इस तरह का प्रश्न उठेगा तो श्री दातार साहब कहेंगे कि यह प्रान्तीय सरकारों का काम है और जहां तक प्रान्तीय सरकारों का सम्बन्ध है वे किसी दूसरे ही तरीके से काम करती जायेंगी और उसका नतीजा यह होगा कि नागरिक स्वतंत्रताओं पर, मूल अधिकारों पर हमेशा ही हमला होता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जबकि सरकार को प्रगति की तरफ जाना चाहिये।

यहां पर बहुत बार कहा जाता रहा है कि हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं और जब डिटेंशन बिल पर बहस चल रही थी उस समय जब एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए डिटेंशन बिल की आवश्यकता है, तो इस बात को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर मेरे मित्र श्री दातार महसूस करते हैं कि इन योजनाओं को चलाने के लिए, इन पर अमल करने के लिए भी ऐसे कानूनों की आवश्यकता है तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पंचवर्षीय योजनायें देश के लिए एक धोखा साबित होंगी, उससे देश का सच्चा विकास नहीं हो सकेगा, सच्चा उत्थान नहीं हो सकेगा और वह आदर्श आप हासिल नहीं कर पायेंगे, जो आदर्श कि हासिल किया जाना चाहिये। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। अगर आप समझते हैं कि कुछ लोगों के दिमागों में कीड़ा घुस गया है, पागल कुत्ते ने उनको काट खाया है, इसलिए वे आन्दोलन चलाते रहते हैं तो ऐसा आपका सोचना गलत है। असल बात यह है कि इन आन्दोलनों के लिए पृष्ठभूमि आप तैयार करते हैं, आप खुद कूड़ा तैयार करते हैं ताकि उस पर मक्खियां बैठ सकें और अगर कूड़ा ही न हो

तो मक्खो के बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वास्ते आप कूड़े को हटाने की कोशिश करें। अगर आप ने ऐसा कर दिया तो इस तरह के कोई आन्दोलन नहीं चलेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की सरकार, जो लोग शान्तिपूर्ण तरीकों से आन्दोलनों को चलाते हैं, वैधानिक मांगों को ले कर चलाते हैं, उन मांगों को ले कर चलाते हैं जिन का कि उन्हें संविधान के अन्तर्गत अधिकार हासिल है, उन की इन मांगों को दबाने के लिए ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करती है। आप ऐसे तरीकों का प्रयोग करते हैं जिन्हें जनतांत्रिक तरीके नहीं कहा जा सकता है, जिन का अप्रजातांत्रिक तरीके ही कहा जाएगा।

इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि इस प्रश्न पर आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि जनता के जो मूलभूत अधिकार हैं उनका हनन न हो, जिन अधिकारों को हिन्दुस्तान के संविधान ने जनता को दिया है, वे सुरक्षित रहें। यह सोचना कि जिस पार्टी की आज केन्द्र में तथा देश के सभी प्रान्तों में सरकार है, वह पार्टी अपनी जिन्दगी भर का पट्टा लिखा करके आई है और समझती है कि उनकी सरकार हट नहीं सकती है, ठीक नहीं है और कम से कम आप तो कभी भी इस तरह से सोचने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब आपकी सरकार न रहे और अगर आपकी सरकार न रही तो विरोधी भाई जिन की सरकार उस वक्त होगी, उनके स्थानीय दारोगा ने दफ़ा १०७ के अन्तर्गत आपको बन्द करने की कोशिश की तो कैसी बुरी स्थिति होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि दातार साहब के खिलाफ वहां का दारोगा ऐसी बात करे, जो हमारे साथ होती है . .

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : १९६२ में यही होगा।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं कल्पना के लिए कहना चाहता हूं कि कल्पना कीजिये की ऐसी स्थिति आ जाती है तो कौन जनतंत्रवादी होगा जोकि इसे पसन्द करेगा ? विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन जो मूल उद्देश्य है, उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। देश की तरक्की करना, देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना, देश को आगे बढ़ाना, जनतंत्र का विकास करना, ये सब ऐसे उद्देश्य हैं जिन के बारे में किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर क्यों आप इस तरह के कानूनों का प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करना चाहते हैं। इस तरह के मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिन में कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया गया है। १९५७ में सोशलिस्ट पार्टी का आन्दोलन चला था। उस वक्त सैकड़ों सोशलिस्ट पार्टी के व्यक्तियों को दफ्तरों से पकड़ पकड़ कर ले जाया गया था और उन से कहा गया था कि तुम्हारी तरफ से शान्ति भंग का अंदेशा है। दफ्तरों में वे लोग बैठे हुए थे, पार्लिमेंट के मेम्बर थे, मंत्री थे, और उनके बारे में कहा गया कि उन से शान्ति भंग होने का अन्देशा है। जब किसी के खिलाफ किसी और कानूनी धारा का प्रयोग करके मुकदमा नहीं चल सकता है तो उनको इस धारा के अन्तर्गत कैद कर दिया जाता है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप इस तरह की धारा को रख कर पुलिस को लापरवाही करने का न्यौता देते हैं। पुलिस कभी कोशिश नहीं करती है कि उसे कोई इस तरह

[श्री ब्रज राज सिंह]

की धारा मिल सके जिससे कि वह किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चला सके और वह दफा १०७ के अन्तर्गत उसको बन्द कर देती है। अब वह व्यक्ति मुचलका देने से रहा क्योंकि उसको कहा जाता है कि तुम से शान्ति भंग होने का अन्देश है और इसका नतीजा यह होता है कि उसको बन्द ही रहना पड़ेगा। और आगे बढ़ें तो आपका डिटेंशन एक्ट है जिसके तहत तीन साल के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है और आप कलेक्टर को कह सकते हैं कि इसको बन्द कर दिया जाये। आखिर कोई हद होनी चाहिये। अभी इस सदन में सवेरे ही मांग पेश हुई है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप खुद कहते हैं कि मूवमेंट फिज़ल आउट हो गई है, खत्म हो गई है तो उसके बाद भी आप किसी पार्लिमेंट के मैम्बर को क्यों बन्द करके रखते हैं। समय आ गया है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आज कांग्रेस पार्टी के अन्दर ही हर प्रदेश में दो गुट हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा समय भी आने वाला है जबकि एक गुट के लोग दूसरे गुट के लोगों को दफा १०७ के अन्तर्गत बन्द करवायेंगे और कहेंगे कि इस गुट के लोगों से शान्ति भंग का अंदेशा है। इस वास्ते आप इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और अगर आप समझते हैं कि अभी इस को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो कम से कम कुछ ऐसे तरीके आप अपनायें जिससे कि दफा १०७, ११७ इत्यादि का प्रयोग राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ न हो सके। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को १०७ के अन्तर्गत कैद करने का मतलब यह है कि आप जनता के बीच में उसकी बदनामी करते हैं और कहते हैं कि उससे शान्ति भंग का अंदेशा है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया गया है जो कि कसम खा कर कहते हैं, कि शान्ति भंग करने का उनका कोई इरादा नहीं है, हिंसा का सहारा वे कभी नहीं लेंगे क्योंकि हिंसा से मुल्क बरबाद हो जायेगा। आप विश्वास रखें कि सिद्धान्तों का जब सवाल आता है तो उन में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन जहां तक देश के उत्थान का, देश को तरक्की के पथ पर अग्रसर करने का, देश का विकास करने का सम्बन्ध है, मतभेद की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इसको पूरा करने का जैसे मंत्री जी को या सरकार को अधिकार है, उसी तरह से दूसरों को भी है। अगर आप इस प्रश्न पर आज विचार नहीं करेंगे तो समय आयेगा जब आपके खिलाफ भी वही बात हो सकती है जो कि हमारे खिलाफ हो रही है, इधर बैठे हुए लोगों के खिलाफ हो रही है। कभी ऐसे लोगों की सरकार बन सकती है जोकि आज विरोधी दल में हैं और उन आदर्शों का प्रतिपादन करते हैं जिनका मैं करता हूं, तो उस वक्त हम चाहें या न चाहें लेकिन चूंकि कानून ऐसा होगा इस वास्ते उसका आपके खिलाफ भी प्रयोग किया जा सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें और इसको स्वीकार करें और अगर इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करें, जिससे कि इस कानून के दुरुपयोग का सवाल ही न उठे।

श्री जगदीश अवस्थी : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य श्री तंगामणि ने एक बार पुनः इस सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत किया है और चाहा है कि दफा १४४ और दफा १०७ में संशोधन किये जायें। मैं अनुभव करता हूं कि इन पिछले तेरह वर्षों में राज्य सरकारों ने राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध इन धाराओं का भीषण दुरुपयोग किया है।

सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि इसी आशय का एक बिल मैंने इस सदन में पहले प्रस्तुत किया था और उस पर काफी बहस हुई थी। उस बहस के बाद मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि हमारे माननीय उपमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अगर दफा १०७ और १४४ के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कहीं शिकायतें हैं तो वह उन पर विचार करेंगे। उस वक्त मैंने उनको यह

जवाब दिया था और आज फिर कहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान की बात को आप छोड़ दीजिये, हिन्दुस्तान का जो सब से बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश, उसको आप ले लीजिये। वहां पर इन तेरह वर्षों में जितना इन धाराओं का भीषण दुरुपयोग हुआ है, जितना अधिक इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया है, अगर केवल उसी की छानबीन करना वह शुरू कर दें तो गृहमंत्रालय को अपना बाकी सब काम बन्द कर देना पड़ेगा और केवल इसी काम में अपना सारा समय लगाना पड़ेगा, समय नष्ट करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने जो छानबीन का आश्वासन दिया था मुझे खेद है कि उसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि कितने केसिस में इन धाराओं का दुरुपयोग हुआ है, इसको वह हमें बतायें।

अभी हमारे मित्र श्री ब्रज राज सिंह और सरजू पाण्डेय जी ने, जोकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जहां पर कि इन धाराओं का दुरुपयोग होता रहा है और जहां पर आन्दोलन भी चलते रहे हैं और चलते रहते हैं, सरकार ने सब से ज्यादा दमन से काम लिया है और इन धाराओं का भीषण दुरुपयोग किया है। मेरे नगर कानपुर में जहां का कि मैं रहने वाला हूं यह दफा १४४ घर करके बैठ गई है और वहां इसका किसी न किसी रूप में प्रयोग होता ही रहता है। लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

आज सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सारे देश में पांच मांगों को लेकर, जो कि बहुत ही न्यायोचित मांगें हैं, आन्दोलन चल रहा है। वे पांच मांगें हैं : दाम नीति ठीक हो, भाषा नीति ठीक हो, जाति नीति ठीक हो, लोगों को ठीक से चीजें मिलें, जो महंगाई है वह दूर हो। इन न्यायोचित मांगों को लेकर आन्दोलन चल रहा है, हम अपनी बातें रखने जाते हैं, सरकारी दफ्तरों के सामने कोई पिकेटिंग नहीं होती है, वही चीज होती है जिसका हमें भारतीय संविधान के अन्दर अधिकार प्राप्त है, लेकिन वहां पर इस नौकरशाही ने, जिसे हमने इस संविधान के अन्तर्गत अधिकार दे रक्खा है काम करने का, इन दफाओं का उपयोग करके, इन लोगों को बन्द कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझ जैसे आदमी को, जिसने अपनी मांगें उपस्थित करने के लिये कोई पिकेटिंग नहीं की थी, उसकी कोई सूचना नहीं दी थी कि मैं यह करने जा रहा हूं, केवल इस सरकार के पास उस मांगपत्र को ले जाना चाहता था, सरकार ने जेल में भेज दिया। दफा १०७ और १५१ लगाई गई, उसके बाद उन को हटा कर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट का सेक्शन ७ लगा कर मुकदमा चलाया गया, उस में सारी बातें झूठ लिख दी गईं। सभापति जी, आप स्वययं एक अच्छे वकील हैं, आप जानते हैं कि जितनी पुलिस की चार्ज शीट्स बनती हैं, अगर उन के किस्से कहानियां ले लिये जायें तो सचमुच बड़ा दिलचस्प उपन्यास बन जायें। खास कर राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध पुलिस जो आरोप पत्र बनाती है तो उसमें जितनी मनगढ़न्त और झूठी बातें होती हैं उनको कह कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। लिख दिया गया कि यह व्यक्ति पिकेटिंग कर रहा था, चार गवाह खड़े कर दिये गये और सजा हो जाती है। म स्पष्ट कहना चाहता हूं कि और प्रदेशों में यह हो या न हो लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोअर कोर्टस कहलाते हैं, आज वह बिल्कुल पुलिस कोर्ट्स हो गये हैं। जो भी पुलिस कहती है वही होता है, जो दूसरा आदमी कहता है उसे नहीं सुना जाता। आज जिस तरह से हमने अधिकार दे रक्खे हैं अपने पुलिस वालों को कि वे मुकदमे चलायें अपराधियों को, उनको राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तैमाल करके उनको जेलों में ठूंस दिया जाता है।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र श्री तंगामणि ने यह विधेयक रख कर कोई और बात नहीं की है, उन्होंने केवल यह मांग की है कि राजनीतिक कार्यकर्ता समय समय पर अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर जो शान्तिमय आन्दोलन करते हैं, उन आन्दोलनों को दबाने के लिये जो इन धाराओं का दुरुपयोग होता है, उसे बन्द किया जाये. क्योंकि उन के रहते हुए न देश चल सकता है और न ही

[श्री जगदीश अवस्थी]

जनतन्त्र चल सकता है। इन धाराओं के चलते हुए एक दिन भी कोई सरकार हो चाहे किसी भी दल विशेष की हो, वह नहीं चल सकती है। इनके रहते हुए फिर से इतिहास की पुनरावृत्ति होने लगेगी। भले ही यह बिल य ां पर गैर-सरकारी रूप में रखा गया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मन्त्री जी फिर एक बार इस पर विचार करें। मैं आशा करता हूं कि वे अपने उसी पिटे पिटाये उत्तर को नहीं देंगे जो वे हमेशा दे दिया करते हैं।

दफा १०७ के बारे में सिद्धान्त यह है कि जब तक कोई मनुष्य अपराध नहीं करता है तब तक उसे दण्ड नहीं दिया जा सकता। केवल कल्पना करके ही कि अपराध होने वाला है, मनुष्य को आप बन्द कर दें, मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा, विशेष रूप से उन राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध या उनके नेताओं के विरुद्ध जिन्होंने शान्तिप्रिय होने की कसम खा रखी है। मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वे सब शान्तिप्रिय हैं। उन सबके कार्यक्रम विदित हैं। वे कोई भी अशान्तिप्रिय नहीं हैं, कोई भी हिंसा में विश्वास नहीं करती हैं क्योंकि जनतन्त्र का मूल सिद्धान्त अहिंसा है। जिस समय देश की पार्टियां और व्यक्ति हिंसा में विश्वास करना आरम्भ कर देंगे, उस दिन जनतन्त्र चल नहीं सकता है। जनतन्त्र की नींव अहिंसा होती है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे हमारा सब बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बात में मतभेद नहीं है कि वे हिंसा में विश्वास नहीं करतीं। लेकिन आप जो चीजें करते हैं वे ऐसी हैं जो इसको बढ़ावा देती हैं। आप दफा १४४ जैसी धारायें लगा कर उनको हिंसा वृत्ति के लिये मजबूर कर देते हैं। आप उनके नेताओं को जेलों में बन्द कर देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अगर कहीं कोई छोटी मोटी घटनायें हो जाती हैं तो आप उनको बदनाम करने लगते हैं। मैं समझता हूं कि ब्रिटिश सरकार का इतिहास यहां का बड़ा दुखद इतिहास है। उनके समय की इस दफा १४४ को हमारे मन्त्री जी प्यार करते हैं। जिस दफा १४४ का विरोध करने के लिये जलियां वाले बाग में न जाने कितने खून हुए और कितने बलिदान हुए। उन चीजों को हम भूल गये तो हमारा सारा बलिदान व्यर्थ हो गया। जिन चीजों को लेकर हम अंग्रेजों से लड़ते थे, आज उनकी हमारे ही लोग ताईद करते हैं तो उसे देख कर हमें दुःख होता है। हमारे गृह मन्त्री महोदय की गर्दन जो अब भी हिलती है, इस बात की सबूत है कि उन्होंने जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध किया था और लाठियां खाई थीं। आज वे इन बातों को भूल गये हैं क्योंकि मन्त्री के पद पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति, चाहे इधर बैठता हो या उधर बैठता हो, जिन चीजों का इस देश की नौकरशाही और पुलिस हमेशा दुरुपयोग करती है उनको तरजीह देती है तो वह सरकार के कफन में कील ठोंकने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि यह सरकार इन गन्दे कानूनों को रख कर कौनसा आदर्श उपस्थित करना चाहती है। मैंने जब यह बिल उपस्थित किया था कि धारा १४४ को रद्द कर दिया जाय और दफा १०७ को रद्द कर दिया जाय क्योंकि आप इन दफाओं का उपयोग सचमुच जो अशांतिकारी तत्व हैं उनके खिलाफ न करके जो अपने अधिकारों के लिये लड़ते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं और शान्तिप्रिय तरीके से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं, उनके खिलाफ करते हैं। इस तरह की एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं।

इसलिये अब समय आ गया है कि इन चीजों को बन्द किया जाय नहीं तो मैं समझता हूं कि भविष्य इस बात का साक्षी होगा कि जो सरकार दफा १४४ और दफा १०७ जैसे गन्दे कानूनों को रख कर जनतन्त्र और लोगों की मर्यादाओं की हत्या करती है, वह एक दिन भी नहीं चल सकती है। मैं चेतावनी के रूप में अपने मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे फिर विचार कर अगर इन कानूनों को हटा दें तो देश में उनका सम्मान बढ़ेगा और विश्व के लोग अनुभव करेंगे कि सचमुच जिस जनतन्त्र की हमने मिसाल रक्खी है उसको हम कायम रखना चाहते हैं। भारतीय संविधान इतना पवित्र है कि हम सब उसको प्यार करते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा की रक्षा करने का और उसका आदर

बढ़ाने का जो अधिकार हमें प्राप्त है, उसे दफा १४४ लगा कर आप नष्ट करना चाहते हैं। कितने दुःख की बात है कि भारतीय संविधान का संशोधन केवल इस दफा को रखने के लिये किया जाता है। कानून से संविधान ऊंचा हुआ करता है। लेकिन आज संविधान की वह इज्जत नहीं है जो कि कानून की इज्जत है, इसलिये कि आप सरकार के विरोधियों को दबाना चाहते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की रक्षा के लिये, जनतन्त्र की रक्षा के लिये दफा १४४ और दफा १०७ को अगर हटा नहीं सकते हैं तो जो संशोधन श्री तंगामणि जी ने उपस्थित किये हैं, उनको स्वीकार कर लें और इस बात का आश्वासन दें कि इस देश के अन्दर हमने जो सच्चा जनतन्त्र कायम किया है उसके ऊपर के धब्बों को हमेशा के लिये हटा देना चाहते हैं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। एक वकील के नाते से मैं कह सकता हूं कि धारा १०७ और १४४ का बड़ा दुरुपयोग किया गया है। जमशेदपुर की कानूनी हड़ताल के दौरान में धारा १२९ और १३१ का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है। धारा १०७ में कुछ उपयुक्त सुरक्षा की व्यवस्था करके इसे बहुत ही लाभदायक बनाया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ बुरे लोग होते हैं जिन पर नियन्त्रण करना आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस धारा का उपयोग बड़े बुरे ढंग से किया जा रहा है। मुझे याद है कि एक संस्थान में मालिक लोग मजदूर संघ नहीं बनवाना चाहते थे लेकिन मजदूरों ने मालिकों के विरोध के बावजूद भी संघ बना लिया तो मालिकों ने मजदूरों के नेताओं के विरुद्ध धारा १०७ के विरुद्ध कार्यवाही कर दी। निसन्देह वह कार्यवाही निराधार थी। मालिकों ने पुलिस को घूस देकर अदालत में मुकदमा चालू करा दिया और नेताओं को परेशान करना शुरू रकर दिया। काफी दौड़धूप के बाद नतीजा यही निकला कि उन नेताओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसी प्रकार के नाना प्रकार के मामले मिल जायेंगे लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें ऐसी चीजों के चालू रहने की अनुमति देनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि हमें इस धारा के अन्तर्गत कुछ सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। इस सुरक्षा के हो जाने से इस धारा के अन्तर्गत लोगों को व्यर्थ में ही हैरान नहीं किया जायेगा। और सुख और शान्ति बनी रहेगी।

धारा १४४ के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। नागरिक स्वतन्त्रता का हनन करने के लिये सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। बहुत से स्थानों पर तो प्राधिकारियों की धारा १४४ लगाने की आदत बन गई है। प्राइवेट लोगों में भी प्रायः इसी काम के लिये इसका उपयोग किया जाने लगा है। अतः न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है।

श्री तंगामणि ने सुझाव दिया है कि शुरू में इसे ४८ घण्टे के लिय लागू करना चाहिये फिर उच्च न्यायालय को इसका उल्लेख करना चाहिये। ४८ घंटे के बजाय ९६ घंटे अथवा ५ दिन अथवा एक सप्ताह के लिये इसे किया जा सकता है। लेकिन दो महीने के लिये लागू कर देना नागरिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बात है। यह एक ऐसी बात है जिसे न्याय थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी न्यायिक प्राधिकारी को यह निश्चित करना होगा कि क्या यह आदेश उपयुक्त है। चाहे वह उच्च न्यायालय हो, चाह जिला न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह कार्य-पालिका के हाथ में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि श्री तगामणि ने जो सुझाव दिया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। और अधिनियम में उचित संशोधन कर लेना चाहिये कि न्यायिक पदाधिकारी ही इस की उपयुक्तता के बारे में निर्णय करेगा।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें। अब आधे घंटे की चर्चा होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे*

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैंने इस महीने की १२ तारीख को तारांकित प्रश्न संख्या ८३४ के द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस समय सारे देश में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को जो शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी जा रही हैं उनकी ओर आकर्षित किया था और उन्होंने जो उस समय उत्तर दिया था उसी के सम्बन्ध में कुछ बातें यहां पर रखने का मैं साहस कर रहा हूं ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करने की सुविधा प्रदान की । आज से लगभग दो वर्ष पहले, ५ दिसम्बर १६५८ को, मैं ने सदन में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था और उस अवसर पर भी मैं ने उस प्रश्न के उत्तर पर विवाद उठाने की अनुमति चाही थी लेकिन उस समय मुझे अनुमति नहीं मिल पाई । लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस सत्र के अन्तिम दिन मुझे यह विषय उठाने का अवसर प्रदान किया गया है । इसलिये मुझे आशा है कि अनेक दिनों तक इस विवाद की गूंज माननीय मंत्री जी और सरकार के कानों में गूंजती रहेगी ।

सभापति महोदय, सब से पहले मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि देश के विभिन्न भागों में जिन व्यक्तियों ने स्वाधीनता-संग्राम में कुरबानियां कीं और जो आज भी देश के कौने कौने में देश के लिये कुरबानियां कर रहे हैं उनके प्रति अपना नमस्कार अर्पित करूं ।

बहुत से लोग समझते हैं कि देश की स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो भी विभिन्न श्रेणियों के राजनीतिक पीड़ित हैं उनकी हालत में सुधार हो गया है, लेकिन यह विचार भ्रमात्मक है । अभी भी लगभग ६० प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक बहुत कठिन और कष्टपूर्ण परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं । जो लोग संसद् में निर्वाचित हो गये हैं या जो राज्य सरकारों की विधान सभाओं के सदस्य हो गये हैं, या जिन्हों ने और किसी प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर लिया है, उनको छोड़ कर आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे स्वाधीनता-संग्राम के सैनिकों का ऐसा है जिन्हें आर्थिक दृष्टि से पीड़ित माना जा सकता है ।

सभापति महोदय, हमने १६५७ में एक सौ वर्ष पहले १८५७ के ग़दर के शहीदों की स्मृति में दिये जलाये थे । समय समय पर हम उनके प्रति शब्दों के द्वारा श्रद्धा और प्रशंसा प्रकट करते रहे हैं, किन्तु यह यथेष्ट नहीं है । इस समय हमारी राष्ट्रीय सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि स्वतंत्रता-संग्राम के जिन सैनिकों ने अपने सारे जीवन की आहुति दे दी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर ग्रहण करे और उनके लिये कानूनी ढंग पर, या अन्य प्रकार से, जो भी सुविधायें दी जा सकती हैं, उन्हें देने का प्रयत्न करे ।

इसीलिये जब से इस संसद् की स्थापना हुई है, यह प्रश्न सदन के सामने आता रहा है । १४ दिसम्बर, १६५६ को हमारे आदरणीय मित्र, डा० राम सुभग सिंह, ने एक गैर-सरकारी प्रस्ताव के द्वारा इस विषय को यहां रखा था । तब इस विषय पर काफ़ी वाद-विवाद हुआ था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया था कि चूंकि उस समय माननीय गृह मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिय दूसरे गैर-सरकारी संकल्पों के दिन उस पर विचार किया जाये । लेकिन तब तक पहली लोक सभा समाप्त हो गई और उस पर विचार नहीं हो पाया । उसके बाद जब से

*आधे घंटे की चर्चा

दूसरी लोक सभा संगठित हुई है, इस ओर माननीय सदस्यों का ध्यान गया है। मैं ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प की सूचना दी थी, जिसकी भाषा इस प्रकार है--

"यह सभा सरकार से सिफ़ारिश करती है कि ऐसे भारतीयों को, जिन्होंने १८५७ से ले कर स्वतंत्रता-संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया अथवा अन्य प्रकार से कष्ट उठाये, वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में एक समान उदारतापूर्ण नीति अपनाई जाये और सभी श्रेणियों के राजनैतिक पीड़ितों के पुनर्वास के लिये व्यवस्था की जाये और उन के बच्चों को विश्वविद्यालय की शिक्षा पर्यन्त निःशुल्क शिक्षा दी जाय।"

इस संकल्प पर २८ फ़रवरी, १९५८ को वाद-विवाद होना था, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आदेश पर, उन के सुझाव पर, उन की प्रेरणा पर, मैं ने यह उचित समझा कि उस समय इस सदन में इस पर विवाद न किया जाये और सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि उस प्रस्ताव पर बड़ी सहानुभूति से विचार किया जायगा, विशेष कर शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के सम्बन्ध में। फिर बड़ी कठिनाई के बाद, कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद एक योजना तैयार हुई और ५ दिसम्बर, १९५८ को सदन में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस की घोषणा की। उस समय सदन के सभी पक्षों ने हर्ष और संतोष प्रकट किया था कि देश की एक बड़ी भारी समस्या को सुलझा लिया गया है। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये शब्द कहे थे कि "नो पोलीटिकल सफ़रर विल नाउ सफ़र"। जब यह घोषणा हुई, तो उन को भी इतना संतोष हुआ था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी आशायें इस नई योजना से की गई थीं, वे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं।

सब से बड़ी बात यह है कि आज दो साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन अधिकांश राज्यों में इसको लागू नहीं किया जा सका है। केवल चार राज्यों--आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मैसूर और उड़ीसा--और तीन संघीय क्षेत्रों--दिल्ली, मणिपुर और त्रिपुरा--में इसको सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है और किन्हीं अंशों में लागू किया गया है। यह समझ में नहीं आता कि जब केन्द्रीय सरकार ने इस को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकारों ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया, तो फिर सारी योजना क्यों दो-दो वर्ष तक खटाई में पड़ी रहे और उस पर अमल न हो। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम राज्य सरकारों की स्थिति पूरी तरह से जानते हैं, हम जानते हैं कि उन को अपने कार्य-क्षेत्र में काफ़ी स्वाधीनता है, लेकिन क्या केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य नहीं है---क्या वह यह उचित नहीं समझती है कि उन को बार बार प्रेरणा दी जाये कि जब उनको रुपया दिया जा रहा है, तो वे उसको पूरी तरह से उपयोग क्यों नहीं करते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इस विषय में अनुमान लगाया गया था कि हमारे देश में कितने लोगों ने स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया था तो शायद कई लाखों में उनकी गणना की गई थी जिन लोगों ने अकेले सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था उन्हीं की संख्या लाखों में गिनी जा सकती है। लेकिन उस दिन के उत्तर में यह बताया गया कि आन्ध्र प्रदेश में १८५३, बिहार में २७६, मैसूर में ११९६, उड़ीसा में ८७, दिल्ली में ४५६, मणिपुर में ४२ और त्रिपुरा में ७७ कुल ३९९० छात्रों ने इन सुविधाओं से लाभ उठाया है, जबकि हमारा अनुमान है कि लाखों की संख्या ऐसे छात्रों की हो सकती है। वैसे भी हिन्दुस्तान में परिवार के सदस्यों की संख्या काफी है और राजनैतिक पीड़ित भी बच्चों के मामले में किसी वर्ग से पीछे नहीं हैं; उन पर भी बड़ा भारी भार

[श्री भक्त दर्शन]

है। इसलिये ३६६० की संख्या देख कर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस योजना का पूरा प्रचार नहीं किया गया और लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है।

पहले जब डा० राम सुभग सिंह का संकल्प प्रस्तुत हुआ था, उस समय बोलते हुए मैं ने सुझाव दिया था कि अगर गवर्नमेंट और कुछ नहीं करे, तो कम से कम उस को सारे देश में, हर राज्य में एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना चाहिये, जिसको हम एक तरह का "रोल ग्राफ़ ग्रोनर" कह सकते हैं। उस रजिस्टर में इसका पूरा विवरण हो कि हमारे स्वतंत्रता-संग्राम में किन लोगों ने भाग लिया, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके कितने बच्चे हैं और वे किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। जब तक इस तरह की गणना नहीं की जायगी और सैन्सस नहीं ली जायगी, तब तक इस विषय में पूरा न्याय नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे खेद है कि राज्य सरकारें और शायद केन्द्रीय सरकार भी इसे इतना आवश्यक नहीं समझती कि इसका पूरी तरह से प्रचार किया जाये और प्रकाशन किया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें।

उसी प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि १,४६,०७३ रुपये राज्य सरकारों को दिये गये हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि पांच लाख या ऐसी ही रकम बजट में निश्चित की गई है, जिस में से राज्य सरकारों को सहायता दी जायगी। उसी समय मैं ने और कई माननीय मित्रों ने शंका प्रकट की थी कि पांच लाख रुपये भी बहुत कम हैं। जब अरबों रुपये इस देश के उत्थान के लिये विभिन्न विकास-योजनाओं पर खर्च किये जा रहे हैं, तो क्या कुछ करोड़ रुपये उन व्यक्तियों के लिये, उन के परिवारों के लिये, खर्च नहीं किये जा सकते, जिनकी वजह से हम को स्वतंत्रता मिली, जिनकी वजह से ग्राज भी हम स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं . . .

पंडित दा० ना० तिवारी (केसरिया) : जिनकी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं।

श्री भक्त दर्शन : हां, जिनकी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं।

जो योजना रखी गई है, उसमें बताया गया है कि पचास प्रतिशत सहायता केन्द्रीयस रकार देगी। केन्द्र-शासित प्रदेशों में पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त करेगी, यह खुशी की बात है। लेकिन राज्य सरकारों को पचास प्रतिशत खर्च अपनी ओर से देना होगा। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मैचिंग ग्रान्ट्स का सिस्टम ही बहुत गलत है। हम देख रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में से अधिकांश योजनाओं में यह स्थिति है कि पचास प्रतिशत, या दो तिहाई, या एक तिहाई केन्द्रीय सरकार देगी और बाकी राज्य सरकार देगी। इसका परिणाम यह है कि जो गरीब राज्य हैं, जो साधन-सम्पन्न नहीं हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे पूरा खर्चा नहीं जुटा पाते हैं और केन्द्रीय योजनाओं से पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन के विपरीत जो सम्पन्न राज्य हैं--मैं किसी राज्य विशेष का नाम ले कर उस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन पहले जैसे बम्बई राज्य था, जहां बहुत इंडस्ट्रीज़ और फ़ैक्ट्रीज़ थीं--जिन की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे केन्द्र से ज्यादा रुपया खींच सकते हैं। अतः मैं मैचिंग ग्रान्ट्स के सिस्टम के सिद्धान्ततः विरुद्ध हूं। लेकिन कम से कम इस योजना के लिये तो खास कर इस में संशोधन किया जाना चाहिये और वह इसलिये कि, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न के विषय में पूरक प्रश्नों के समय कहा था, अपने भूतपूर्व सैनिकों और पेन्शनर्ज़ का, जिन्होंने देश की रक्षा की, बल्कि जिन में से अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश ज़माने में फ्रांस और दूसरे मोर्चों पर जा कर लड़ाई की, पूरा भार सरकार ने ले

रखा है, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने कर रखी है, उनको पेन्शन और रोजगार दिये जा रहे हैं और जो हमारे राजनैतिक पीड़ित हैं, जो स्वतंत्रता के भवन की आधार-शिला हैं, उनके विषय में हम राज्य सरकारों के सुपुर्द कर देते हैं कि तुम इन्तज़ाम करो, हम केवल सहायता करेंगे ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाये । यह योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार को सारा खर्च बर्दाश्त करने के लिये तैयार रहना चाहिये और इसके लिये राज्य सरकारों को खुली छूट देनी चाहिये कि वे इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक आवेदन-पत्र लें, सूचियां तयार करें और जितनी भी अधिक से अधिक सुविधायें दे सकते हैं, दें । मैं समझता हूं कि सदन के सब सदस्य अपने मत-भेद भुला कर इस विषय में सहमत होंगे और जितना भी खर्चा इस के लिये आवश्यक होगा, उससे वे पूरी तरह से सहमति प्रकट करेंगे ।

दो तीन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के लिये अपने नाम दे रखे हैं, जिनमें डा० राम सुभग सिंह भी हैं । इसलिये अधिक समय न लेते हुए, मैं अपने निवेदन को यहीं समाप्त करता हूं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सारी योजना पर नये सिरे से विचार किया जाये और इसको बड़ी तेज़ी से उत्साह के साथ और लगन के साथ जल्दी से जल्दी लागू किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ५५(५) में किसी और साहब ने नोटिस नहीं दिया है ।

डा० रामसुभग सिंह (सहसराम) : मैंने दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ५५(२) में है, मगर उसी से अपने आप नहीं हो जाता है । खैर, आप सवाल पूछिये ।

डा० राम सुभग सिंह : हमारे माननीय सदस्य श्री भक्त दर्शन ने कहा है कि जितने भी हमारे सैनिक हैं, उन सभी के बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है जो कि अच्छी चीज़ है । उनके बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध होना ही चाहिये । लेकिन जिन लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में सैनिकों के रूप में काम किया है, उनकी वैसी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये, जैसी आज हो रही है । पोलिटिकल सफरर्ज़ को आज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जिसको प्राप्त करने के लिए उनको सर्किल आफिसर के यहां जाना पड़ता है और सर्किल आफिस वाले उनको पहचानने के लिए तैयार नहीं होते हैं । कई जगहों का मैंने खुद देखा है कि चूंकि उन्होंने वहां पर क्लर्क को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला । इस वास्ते मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि उनका एक "हू इज़ हू" तैयार करवाया जाए या जैसा कि भक्त दर्शन जी ने कहा कि नैशनल रजिस्टर होना चाहिये, वह हो । यह दुख की बात है कि आज तक सरकार ने इसे नहीं करवाया है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों को सनदें दी जाती हैं सरकार द्वारा, उसी तरह की सनदें इनको राष्ट्रपति जी की ओर से या सरकार की ओर से दी जायें या उस तरह की कोई चीज़ दी जाए ताकि उनकी सन्तानें बाद में यह जान सकें कि उनके पूर्वजों ने या उनके बाप दादों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था । मैं नहीं कहता कि हर एक राजनीतिक पीड़ित के बच्चे को शिक्षा की सुविधा आप दें, मुफ्त शिक्षा की सुविधा आप दें । लेकिन यह जरूर है कि जो गरीब हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा पूरा प्रबन्ध आप करें और उनको पूरी पूरी सुविधायें मुहैया करें । इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता

[डा० राम सुभग सिंह]

हूं कि उनको किसी प्राडक्टिव काम में लगा लिया जाए। मैं भिक्षावृत्ति को पसन्द नहीं करता। कहीं कहीं पर तो सरकार आगे आकर और चढ़ बढ़ कर किन्हीं लोगों की सहायता करती है और कहीं पर अगर कोई डिजर्विंग केस भी होता है तो उसकी सहायता नहीं की जाती है। चूंकि इन लोगों ने देश की आजादी की खातिर कुरबानियां की हैं, इस वास्ते उनके लड़कों की परवरिश अच्छी तरह से नहीं हो पाई और आज वे लड़के इस लायक नहीं हैं कि उन लड़कों का मुकाबला कर सकें जिनको कि पढ़ाई लिखाई की पूरी सुविधायें मिली हुई थीं जिसका कारण यह है कि उनके अभिभावक अच्छी नौकरी में थे ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सवाल करने का ही मौका दिया गया है ....

डा० राम सुभग सिंह : मैं चाहता हूं कि उनको सनदें दी जायें और साथ ही साथ पोलिटिकल सफरर्ज़ के जो लड़के हैं उनकी मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए। जो पोलिटिकल सफरर जीवित हैं, उनको काम करने की सुविधा दी जाए और जिस तरह से संगीत नाटक अकादमी की ओर से कलाकारों को चारों ओर विश्व में घूमने का अवसर दिया जाता है, उसी तरह से इनके बच्चों को या खुद पोलिटिकल सफरर्ज़ को आप दूसरी जगहों पर अध्ययन के लिए और वहां देख-रेख के लिए भेजें। आप थियेटर वगैरह में करीब १२ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि आप कम से कम पांच करोड़ भी इन बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर पाते।

मुझे अन्य सरकारों से भी थोड़ी शिकायत है। पोलिटिकस सफरर्ज़ को सहायता की घोषणा के बावजूद भी केवल १ लाख २६ हज़ार रुपया ही इस्तेमाल हो सका है, इनके लड़कों की शिक्षा में। मैं चाहता हूं कि आप बतायें कि क्या कारण है कि सरकार इसका खूब अच्छी तरह से प्रचार नहीं कर पाई है। सरकार को चाहिये था कि वह ऐसी व्यवस्था करती कि जो लोग जेल में गए थे, या जिन के घर जल गए थे, या जिनको अंग्रेज़ों ने गोली का निशाना बना दिया था, उनकी पूरी पूरी सहायता होती और सरकार खुदबखुद उनकी मदद करती। इसके लिए एक लिस्ट का होना जरूरी था ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकते। जैसा अब है उसमें लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं और जिस सहायता का वचन दिया गया है, वह भी उनको नहीं मिल पाती है। आपको चाहिये कि जो सहायता है, वह सभी तक आप पहुंचायें।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने वालों के बच्चों को सेना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। और विशेष रूप से उन्हें नौसेना में अवसर दिया जाना चाहिये। उन्हें लड़ाकू दलों में लिया जाना चाहिये। यह मेरा सुझाव है। आशा है शिक्षा मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : शिक्षा मंत्री जी तो यहां मौजूद हैं लेकिन जहां तक सहायता देने का सम्बन्ध है, वह गृह मंत्रालय का काम है। मैं चाहता हूं कि सैंट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट्स के जितने भी रिसोर्सिस हों, उनको इकट्ठा करके एक ही जगह से सारी स्टेट्स में उनका बटवारा हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की बात पर सरकार ने ध्यान दिया है या नहीं दिया है?

दूसरी बात यह है कि पोलिटिकल सफरर्ज़ के लड़कों के लिए पढ़ाई लिखाई का मुफ्त प्रबन्ध हो। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। हमारे बेतिया शहर में एक जवाहर नाम के व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

कई बार जेल गए थे। आज वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं और दरवाज़े दरवाज़े जा जा कर भीख मांगते फिरते हैं। जो पोलिटिकल सफ़रर मर गए वे तो मर गए, लेकिन जो जिन्दा हैं, उनकी आजीविका के लिए क्या सरकार द्वारा कोई उपाय किया जा रहा है? मैं यह भी चाहता हूं कि उनके लड़कों की शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबन्ध हो।

चौ० **रणवीर** सिंह (रोहतक): मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के रास्ते में क्या मुश्किलात हैं कि जो राजनीतिक पीड़ित पचास वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और जिनके पास कोई आजीविका का प्रबन्ध नहीं है, उनको पैंशन नहीं दी जा सकती है। क्या वजह है कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को चाहे टैक्नीकल तालीम हो या दूसरी तालीम हो, वजीफे नहीं दिये जाते हैं? कौन सी आपके रास्ते में दिक्कतें हैं?

श्री काशी राम शास्त्री (गुड़गांव): मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा अभी माननीय सदस्य श्री भक्त दर्शन जी ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को दलीय स्तर से ऊपर उठ कर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये और अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिये, क्या सरकार भी दलीय स्तर से ऊपर उठ कर राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में कोई निर्णय करेगी? यदि हां तो क्या अपनी निष्पक्षता के कुछ ऐसे प्रमाण भी वह प्रस्तुत करेगी जिससे देश को विश्वास हो कि इस सम्बन्ध में जितने भी राजनीतिक पीड़ित थे, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्धित थे, निष्पक्ष होकर सहायता देने के सम्बन्ध में निर्णय लिए गए हैं?

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी रियासतें थीं, दो दो, चार चार गांवों की या पच्चीस पच्चीस गांवों की उन्होंने इन आन्दोलनों में आदमियों का खून किया, उनको मारा, उनका क्या कोई रिकार्ड आपके पास है? उनका कोई भी रिकार्ड आपके पास नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्होंने कोई रिकार्ड अपने यहां रखा ही नहीं। सज़ा दी राजनीतिक मामले में लेकिन दफा लगा दी १०९ या १४४ या कोई और। मेरा निवेदन है कि आप सर्वे करें कि जो ६०० के करीब रियासतें थीं उनमें से बड़ी बड़ी रियासतों को छोड़ कर छोटी छोटी रियासतों के बारे में आप सर्वे करवायें कि वहां किस हद तक उथल पुथल हुई, कितने आदमी मारे गए और आज जिन्होंने राजनीतिक आन्दोलनों में हिस्सा लिया है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मध्य प्रदेश में ही एक कानून बनाया गया है.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य भाषण देना शुरू न करें।

श्री रा० स० तिवारी: मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। उस कानून में यह है कि अगर डाक्टर सर्टिफिकेट दे दे और यह लिख दे कि फलां खानदान कमज़ोर हो गया है, उसको मदद देनी ही चाहिये, उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध किया जाए या अन्य उपाय किये जायें, तो ऐसा किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप सर्वे करायें इन लोगों का तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री जि० मंडल (खगरिया): जिस तरह से हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं अगर उसी तरह से राजनीतिक पीड़ितों की वार्षिक आर्थिक आय निर्धारित कर दी जाए कि पांच सौ या एक हजार वार्षिक से कम जिनकी आय होगी, ऐसे जो राजनीतिक पीड़ित हैं उनके बच्चों क शिक्षा दीक्षा मुफ्त होगी तथा उनको छात्रवृत्तियां दी जाएंगी तो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि यदि आपने ऐसा किया तो डा० राम सुभग सिंह जी ने पांच करोड़ की जो बात कही है, उसमें काम चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है?

श्री नवल भाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अभी विभिन्न राज्यों की बात की गई हैं। किन्तु जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, उनमें आपकी नीति क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। राज्यों के बारे में तो आपने कहा है कि वे इतना खर्च करेंगे तो हम इतना देंगे। लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में तो आपका ही दखल है। उनके बारे में आपकी नीति क्या है, इसको आप स्पष्ट करें।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि जो राजनीति में काम करते हुए देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में कुछ ऐसे स्कालरशिप्स की व्यवस्था करे जिनके द्वारा राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों का शिक्षण हो सके ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जरूर हमारी कुछ ढील रही है। हमें स्वतंत्रता के बाद ही इस बात का प्रयत्न करना चाहिये था कि जिन लोगों ने त्याग किया, देश की आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई में हाथ बटाया और जिन्होंने तरह तरह की यातनायें भोगीं, उनके और उनके बच्चों की जीविका के लिए सरकार कुछ प्रबन्ध करती। कुछ किया भी। मैं नहीं कहता कि नहीं किया। लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं किया। मैं समझता हूं कि दो वर्ष पहले श्री राम सुभग सिंह जी ने, भक्त दर्शन जी ने और इस सदन के कुछ अन्य सदस्यों ने इस हाउस में इस प्रश्न को उठाया था और उस का प्रयोजन सिर्फ इतना ही था कि जो राजनीतिक पीड़ित हैं उन के बच्चों की तालीम के लिये कुछ सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाय। इस सीमित प्रश्न को लेकर भारत सरकार ने यह तय किया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहायता के साथ कदम उठाना चाहिये। सन् १९५९ की जनवरी में यह निर्णय किया गया था और सन् १९६० में सब राज्य सरकारों को और यूनियन टेरीटरीज को इस सम्बन्ध में लिखा गया।

जहां तक पोलिटिकल सफरर्स का सम्बन्ध है, इस शब्द की व्याख्या निश्चित रूप से की गई है। पोलिटिकल सफरर की व्याख्या यह है :

"राजनैतिक पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे भारत को स्वतंत्र कराने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण कम से कम ६ महीने का कारावास मिला हो अथवा इस अवधि के लिये नज़रबन्द किया गया हो अथवा जो संघर्ष में या नज़रबन्दी के दौरान मर गया हो या मारा गया हो या जिसे प्राण दंड दिया गया हो या जो गोली चलाये जाने या लाठी चार्ज के कारण सदैव के लिये अपंग हो गया हो या जिसकी नौकरी खत्म हो गई हो या जीविकोपार्जन के साधन छिन गये हों या जिसने अपनी सारी अथवा कुछ सम्पत्ति खो दी हो।"

सभी व्यक्ति पैरा छ में दी गई परिभाषा में आते हैं कि बशर्ते उनकी मासिक आय ३०० रुपये से ज़्यादा न हो। जिनकी आय ३०० रुपये से ऊपर थी उनको इस फायदे की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जिनकी आय ३०० रु० से कम थी उनके लिये निश्चय किया गया था कि उनके बच्चों को तालीम दी जाय और जितने भी राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे हैं उनके लिये फ्रीशिप, हाफ फ्रीशिप और दूसरे कंसेशन्स दिये जायें, प्राइमरी स्कूलों, मिडल स्कूलों और हाई स्कूलों में जो हास्टेल लगे हुए हैं, या कालेजों के साथ लगे हुए हैं, उनमें फ्री सीट्स का प्रबन्ध किया जाये।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह कालेजों के सम्बन्ध में नहीं है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कालेजों और स्कूलों दोनों में ।

उनको स्टाइपेंड्स दिये जायें, कुछ किताबों का खर्चा दिया जाये प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रैजुएट स्टैन्डर्ड तक । यह हिदायतें राज्य सरकारों को दीं और कहा कि इसका आधा खर्च राज्य सरकार दे और आधा केन्द्रीय सरकार देगी । तो तस्वीर इतनी बु ी नहीं है जितनी श्री भक्त दर्शन जी ने बतलाई । परिस्थिति यह है कि सन् १९५९ में जिन सात राज्यों ने इस सम्बन्ध में न केवल निश्चय किया बल्कि उन्होंने स्कीम को लागू भी कर दिया वे ये हैं :

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मैसूर, उड़ीसा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन और त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन ।

उत्तर प्रदेश राज्य ने कहा कि वे सन् १९६०-६१ में इस स्कीम को लागू क गे ।

†**श्री नेसवी** (धारवाड़-दक्षिण) : फरार लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है केवल उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने जेल की सजा काटी हो ।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या आपका अभिप्राय उन लोगों से है जो छिप गये थे ।

†**श्री सवी** : जी हां उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा । उनको अपनी सम्पत्ति से भी हाथ धोना पड़ा ।

डा० का० ला० श्रीमाली : आसाम, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, वेस्ट बंगाल और हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं और वे हमारे विचाराधीन हैं । मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही उनको मंजूर किया जायेगा । जिन राज्यों ने अभी तक कोई योजना नहीं भेजी है या जिन्होंने हमारे आदेश के मुताबिक अभी कोई रिवीजन नहीं कि ा है, वे ये हैं :

महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, राजस्थान, जम्मू काश्मीर और पांडिचेरी एडमिनिस्ट्रेशन ।

अब प्रश्न यह रहा कि सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार ो देना चाहिये या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को मिल कर देना चाहिये । निश्चय यह किया गया कि केन्द्रीय सरकार आधा देगी और राज्य सरकार भी आधा दे । जहां तक मुझे मालम है किसी भी राज्य सरकार ने आर्थिक प्रश्न नहीं उठाया । बल्कि ज पिछड़े हुए राज्य हैं जैसे कि बिहार, उड़ीसा आदि हैं उन्होंने स्कीम को लागू भी कर दिया है । यह स्कीम लागू नहीं हुई बम्बई में और बहुत मुमकिन है कुछ रोज वह न करना चाहें। सिद्धान्त रूप से कुछ लोग कहते हैं कि यदि इन लोगों ने स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया तो उन्होंने अपना कर्तव्य किया, अब उसका लाभ उनको क्यों मिले ? हमारी तरफ से इस बात का बराबर प्रयत्न हो रहा है कि सब पीड़ितों को सहायता मिले, और मैं समझता हूं कि यह राज्य का कर्तव्य भी है । जिन्होंने देश की सेवा की, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने देश को स्वतन्त्र करने के लिये तरह तरह की यातनायें भोगीं, उनके बच्चों को कम से कम तालीम तो मिले । यह राज्य का कर्तव्य है और इसमें पूरी सहायता करनी चाहिये । इस दृष्टि से जहां तक संभव है हमारी बराबर कोशिश होगी कि हम इन राज्यों से, जिन्होंने अभी कोई योजना नहीं बनाई है, योजनायें बनवाय । प्रश्न पूरे खर्च के उठाने का नहीं है ।

†**डा० सामन्तसिंहार** : क्या छात्रवृत्तियां मार्क्स के आधार पर दी जायेंगी ?

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : मार्क्स का सहायता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । तो यह जो पांच, छः राज्य हैं, जिन्होंने अभी कोई योजना नहीं बनाई है, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे, लेकिन आप यह तो मानेंगे कि बहुत कुछ राज्य सरकारों के ऐटिट्यूड पर निर्भर करता है। मेरी दरख्वास्त है कि आप इन राज्यों से भी कहें क्योंकि आपका उनसे सम्बन्ध है और आपका उन पर असर है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वजह है कि दूसरे राज्यों ने योजना लागू कर दी है परन्तु वे अपने राज्यों में नहीं करते हैं। अगर आपका असर पड़ेगा तो मैं आशा करता हूं कि उनकी योजनायें जल्दी बन जायेंगी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** आपको भी आग्रह करना चाहिये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं आश्वासन दिलाता हूं कि मेरी तरफ से वह किया जायेगा ।

एक प्रश्न पूछा गया, उसके सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं । एक प्रश्न तो श्री रघुनाथ सिंह जीने उठाया था कि जो भी राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे हैं उनको नेवी में दाखिल क्यों नहीं करते ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** सभी आर्म्ड फ़ोर्सेज़ में ।

डा० का० ला० श्रीमाली: जी हां, उनको आर्म्ड फ़ोर्सेज़ में क्यों नहीं दाखिल किया जाता? मेरी उन बच्चों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं होगा । हमारी आर्म्ड फ़ोर्सेज़ में सब से योग्य व्यक्ति जाने चाहियें और आजकल जो दाखिला होता है वह प्रतियोगिता के आधार पर होता है। अगर राजनैतिक पीड़ित के बच्चों में योग्यता है, उनके शरीर पुष्ट हैं और व अच्छे सैनिक बन सकते हैं, तो उनको जरूर लिया जाना चाहिये । देश की रक्षा का प्रश्न ऐसा है, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता । इसके सम्बन्ध में हमारी कोशिश होनी चाहिये कि देश के अच्छे से अच्छे लोग जायें एअर फोर्सेज में और नेवी में । मेरी सहानुभति होते हुए भी जो उनका प्रस्ताव है उसे स्वीकार करना कठिन है ।

श्री रघुनाथ सिंह : प्रायरिटी होनी चाहिये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरा यह निश्चित मत है कि जितनी डिफेंस सर्विसेज हैं उनमें अच्छे से अच्छे व्यक्ति जायें और किसी के साथ किसी किस्म का पक्षपात नहीं होना चाहिये, चाहे वह राजनीतिक पीड़ित ही क्यों न हो । बड़ी भारी गलती होगी अगर हम इस मामले में रिजर्वेशन वगैरह करें । मेरी उन बच्चों के साथ पूरी सहानुभूति है लेकिन जो देश के हित में नहीं है, वह मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिये ।

प्रकाशवीर जी ने यह प्रश्न उठाया था कि जो स्कालरशिप्स दिये जाते हैं वे सभी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के बच्चों को दिये जाने चाहियें। पोलिटिकल सफरर जो भी हों, चाहे वे कभी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं, उनके बच्चों को सहायता मिल सके । अगर मेरे सामने ऐसा एक भी उदाहरण लाया जाये जहां पर कि पक्षपात हुआ है, तो उस पर कार्यवाही की जायेगी और मैं यह देखूंगा कि उस मामले में स्कालरशिप दिया जाये । पोलिटिकल सफरर की जो व्याख्या है उसके अन्तर्गत अगर एक भी उदाहरण आपके ध्यान में हो जहां पर राज्य सरकार ने या केन्द्र सरकार ने पक्षपात किया है तो हमारा ध्यान आप उस पर दिलायें, तुरन्त उस पर कार्रवाई की जायेगी । लेकिन खाली यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पक्षपात हुआ है । उसके विशेष उदाहरण सरकार के सामने रखे जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ सुझाव हमारे राम सुभग सिंह जी ने दिए थे कि उनको सनद मिलनी चाहिए और कुछ इज़्ज़त बनना चाहिए । इन सुझावों पर मैं गौर करूंगा गोकि इस योजना के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार गौर करेगी ।

ज़हां तक स्कालरशिप की योजना का सम्बन्ध है, इसको पूरी पबलिसिटी दी जाएगी । और हम राज्य सरकारों को और लिखेंगे । मैं माननीय सदस्यों से भी दरख्वास्त करता हूं कि वे भी राज्य सरकारों पर इस बारे में दबाव डालें, तभी यह योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सकेगी ।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल आर्मी को देती है उसी तरह से हमको भी दे । हम तो सारे देश के लिए लड़े थे किसी एक राज्य के लिए नहीं । इस बारे में भी मंत्री जी जवाब दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कह लिया और उन्होंने भी जवाब दे दिया । मुझे अब कुछ कहना है वह कहने दीजिए ।

विदाई सम्बन्धी उल्लेख

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सत्र अब समाप्त हो रहा है । गत छः सप्ताहों के दौरान में महत्वपूर्ण विषयों पर जैसे विदेश नीति, हमारे प्रधान मंत्री की संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा के बारे में वाद-विवाद हुए हैं । इस दौरान में हमने बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जैसे समवाय विधेयक और निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक पारित किये हैं । सभी दलों के माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में महत्वपूर्ण भाग लिया है । मतभेद होते हुए भी अन्ततः हमने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिये सहयोग से काम किया है ।

सभी माननीय सदस्य अब अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों को वापस जा रहे हैं मेरी उन सभी के साथ शुभकामनायें हैं । निर्वाचन भी होने वाला है अतः सदस्यों के सामने निश्चय ही बहुत बड़ा दायित्व है ।

अब सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०
२ पौष, १८८२ (शाक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३४७७—३५१०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०८०	हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और दिल्ली में लोकप्रिय सरकारें .	३४७७—८१
१०८१	शारीरिक व्यायाम शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण सम्बन्धी सामंजस्य समिति	३४८१—८४
१०८२	औद्योगिक संस्थापन	३४८४—८५
१०८३	मध्यपूर्व के तेल निर्यात करने वाले देशों का सम्मेलन .	३४८५—८८
१०८४	कोरबा कोयला क्षेत्र	३४८८
१०८५	भारत में विनियोजित ब्रिटेन की पूंजी .	३४८९—९०
१०८६	चीनियों और पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी . . .	३४९१—९२
१०८७	छतर मंजिल महल, लखनऊ	३४९२—९३
१०८८	बरौनी का तेल शोधक कारखाना . . .	३४९३—९६
१०८९	कोरसिया कोयला खानों के लिये मशीनरी का आयात .	३४९६
१०९१	अन्तर्राष्ट्रीय जलवर्णना व्यूरो . . .	३४९७
१०९२	धातु मिश्रित और औजारी इस्पात बनाने का कारखाना .	३४९७—९९
१०९३	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये पेन्शन योजना .	३४९९—३५००
१०९७	गुजरात में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र .	३५००—०१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
११	पत्रकारों का नागालैण्ड जाना .	३५०१—०३
१२	भारत चीन अधिकारियों की बाजी . . .	३५०३—०६
१३	सामान्य भविष्य निधि से बीमा पालिसियों की किस्तों की अदायगी .	३५०६—०८
१४	जामबाद की कोयले की खान	३५०८—१०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . . ३५१०—६०

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०६०	हिन्दी का प्रचार	३५१०—११
१०६५	भारत और चीन के बीच छात्रों का आदान प्रदान	३५११
१०६६	पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को . . .	३५११—१२
१०६८	कुतुबमीनार, दिल्ली में जलपानगृह	३५१२
१०६६	केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी	३५१२
११००	धमन भट्टियों को बन्द करना	३५१३
११०१	जेट इंजन	३५१३
११०२	आसनसोल क्षेत्र में कोयले का स्टाक . . .	३५१३—१४
११०३	जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन . . .	३५१४
११०४	बरौनी से दिल्ली तक पाइप लाइन . .	३५१४—१५
११०५	नागा क्षेत्रों में सैनिक कर्मचारी .	३५१५
११०६	आस्ट्रिया से ऋण . . .	३५१५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३१२	महाराष्ट्र में स्कूल होस्टल . .	३५१५—१६
२३१३	दिल्ली में मिडिल स्कूल . . .	३५१६
२३१४	हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कालेज .	३५१६
२३१५	पुरातत्व विभाग की शताब्दी . . .	३५१६—१७
२३१६	बिहार में रक्त मणि का पाया जाना . . .	३५१७
२३१७	बीनपुर (पश्चिमी बंगाल) में पाई गई पुरातत्व वस्तुयें	३५१७
२३१८	दिल्ली में असमर्थ व्यक्तियों के लिये संस्था	३५१७—१८
२३१९	दिल्ली में हरिजनों को कानूनी सहायता .	३५१८
२३२०	दिल्ली में हत्यायें	३५१८
२३२१	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये पानी की सुविधायें	३५१९
२३२२	पंजाब में आयकर की बकाया .	३५१९
२३२३	राजभाषा सम्बन्धी राष्ट्रपति का आदेश	३५१९—२०
२३२४	भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती, अफजलगढ़	३५२०—२१
२३२५	निर्वाचन याचिका	३५२१
२३२६	दिल्ली में भूमि का मूल्य . . .	३५२१—२२
२३२७	तेल की खोज के लिये फ्रांसीसी सहायता . .	३५२२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३२८	भिलाई इस्पात संयन्त्र	३५२२
२३२९	दिल्ली में विस्फोट	३५२२-२३
२३३०	लोहा तथा इस्पात का स्टाक . . .	३५२३
२३३१	महिला अध्यापकों के लिये क्वार्टर	३५२३-२४
२३३२	तेल की पाइप लाइनें	३५२५
२३३३	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान . . .	३५२५
२३३४	चांदी का तस्कर व्यापार	३५२६
२३३५	समाज कल्याण योजनायें . . .	३५२६
२३३६	हिमाचल प्रदेश में खुली जेल की प्रणाली . . .	३५२६-२७
२३३७	मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन . . .	३५२७
२३३८	मनीपुर प्रशासन	३५२७-२८
२३३९	सावित्री नगर दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोग .	३५२८
२३४०	छटनी किये हुये भूतपूर्व सैनिक .	३५२८
२३४१	दलित वर्ग संघ, उड़ीसा .	३५२९
२३४२	मंहगी मुद्रा नीति . .	३५२९-३०
२३४३	दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापक .	३५३०
२३४४	सरकारी कार्यालय . .	३५३०
२३४५	हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	३५३०
२३४६	उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति . . .	३५३१
२३४७	पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण . . .	३५३१
२३४८	रायपुर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के लिये सामान	३५३१-३२
२३४९	परीक्षा प्रणाली	३५३२
२३५०	सरायकेला और खरस्वान में जन गणना सम्बन्धी अनियमितताएं	३५३२-३३
२३५१	खड़कवासला में सेनिटरी इंस्पेक्टर . .	३५३३-३४
२३५२	प्राभिलेख विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन . .	३५३४
२३५३	पाकिस्तानियों का भारत प्रवेश	३५३४
२३५४	विश्वविद्यालय फिल्म परिषद् .	३५३४-३५
२३५५	अंदमान से खोपरा और सुपारी का निर्यात	३५३५
२३५६	भिलाई और रूरकेला इस्पात कारखाने . .	३५३५-३६
२३५७	मद्रास में बाढ़ . . .	३५३६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३५८	धोखेबाजों का गिरोह	३५३६
२३५९	सहकारी आर्थिक विकास के लिये कोलम्बो योजना सलाहकार समिति	३५३६—३८
२३६०	अल्प बचत सम्बन्धी आदर्श योजना	३५३८
२३६१	भारतीय सार्वजनिक संस्थाओं को विदेशियों द्वारा दान	३५३८—३९
२३६२	१९६२ के आम चुनाव	३५३९
२३६३	उड़ीसा के लिये सेना की बटालियन	३५३९
२३६४	एस० ए० एस० लेखापालों का वेतन निर्धारण	३५३९—४०
२३६५	श्रृंगापट्टम संग्रहालय	३६४०
२३६६	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये यूनेस्को सहायता	३५४१
२३६७	रक्षित स्थानों के लिये उम्मीदवार	३५४१
२३६८	झांसी की स्वर्गीय रानी महारानी लक्ष्मीबाई के प्रपोत्र को पेन्शन	३५४१—४२
२३६९	बंगाल और बिहार राज्य क्षेत्र	३५४२
२३७०	तृतीय श्रेणी के सैक्शन आफीसर	३५४२
२३७१	सरकारी कर्मचारियों तथा मंत्रियों के विरुद्ध अपमानसूचक वक्तव्य	३५४३
२३७२	असवान बांध की खुदाई में भाग लेना	३५४३—४४
२३७३	अम्बाला में एम० ई० एस० के क्वार्टर	३५४४
२३७४	शिक्षा संस्थाओं के लिये संविहित मान्यता	३५४४—४५
२३७५	दिल्ली के मुअत्तिल अध्यापकों को निर्वाह भत्ते	३५४६
२३७६	हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूल	३५४६
२३७७	मनीपुर राज्य संविधान अधिनियम १९४७	३५४६—४७
२३७८	आदिम जातीय गृह-निर्माण योजना	३५४७
२३७९	पंजाब को कोयले का आवंटन	३५४७—४८
२३८०	कन्नड की पुस्तकों का अनुवाद	३५४८
२३८१	पाइप लाइनें बिछाना	३५४८—४९
२३८२	अन्तर्राष्ट्रीय डाक केन्द्र, नई दिल्ली	३५४९
२३८३	हिमाचल प्रदेश का खनिज सर्वेक्षण	३५४९—५२
२३८४	पंजाब में स्मारक	३५५२—५३
२३८५	पंजाब में भूमिगत जल संशोधन	३५५३—५४
२३८६	लेपचा आदिम जाति	३५५४
२३८७	मनीपुर में विधान सभा की मांग का आन्दोलन	३५५४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३८८	इम्फाल के सिनेमाओं में वयस्कों के लिये चलचित्र . .	३५५४
२३८९	इम्फाल में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . . .	३५५४–५५
२३९०	मनीपुर का विभाजन	३५५५
२३९१	मनीपुर प्रादेशिक परिषद् . . .	३५५५
२३९२	मनीपुर में बम विस्फोट	३५५५–५६
२३९३	मनीपुर में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के मामले . .	३५५६
२३९४	इम्फाल के सिनेमाघरों में मैटिनी शो . .	३५५६
२३९५	तेल की खोज	३५५७
२३९६	अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ , . . .	३५५७
२३९७	मैसूर में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	३५५७–५८
२३९८	मैसूर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	३५५८
२३९९	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त . .	३५५८
२४००	सीमान्त जिलों में काम करने वाले ईसाई मिशन .	३५५९
२४०१	मनीपुर में उद्योग निदेशक	३५५९
२४०२	युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का सर्वेक्षण . . .	३५५९
२४०३	सहकारी संस्थाओं को स्टेट बैंक की सुविधाएं . . .	३५६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख		३५६०

अध्यक्ष महोदय ने श्री विनायकराव बालशंकर वैद्य के, जो भारत की संविधान सभा और अस्थायी संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५६०–६३

(१) प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों के, जो पूरी अथवा कुछ रूपभेद के साथ स्वीकार कर ली गई हैं, एक और विवरण की एक प्रति।

(२) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र—क्रमशः

दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५७ की एक प्रति ।

(३) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति ।

(एक) पहला विवरण बारहवां सत्र, १९६०

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ ग्यारहवां सत्र, १९६०

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ९ दसवां सत्र, १९६०

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १२ नवां सत्र, १९५९

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १४ आठवां सत्र, १९५९

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या २१ सातवां सत्र, १९५९

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २० छठा सत्र, १९५८

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या २३ पांचवां सत्र, १९५८

(नौ) अनुपूरक विवरण संख्या ३३ चौथा सत्र, १९५८

(४) खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनिज (संरक्षण तथा विकास) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५८ की एक प्रति ।

(५) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(एक) दिनांक १ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४४८

(दो) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४८०

(६) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४७४ की एक प्रति ।

(७) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४७७ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(८) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४७८ की एक प्रति।

(९) पंचवर्षीय ब्याजरहित इनामी बांड, १९६५ के बारे में विवरण की एक प्रति।

(१०) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी निम्नलिखित समितियों की कार्यवाही के सारांश :—

(१) समिति "ए"
(नीति, संसाधन और आवंटन)

(२) समिति "बी"
(उद्योग, बिजली और परिवहन)

(३) समिति "सी"
(कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था)

(४) समिति "डी"
(सामाजिक सेवायें)

(५) समिति "ई"
(प्रविधिक जन-शक्ति और वैज्ञानिक अनुसन्धान)

(११) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की बारहवें सत्र में हुई (उन्तीसवों और तीसवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ३५६३

दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। ३५६४—६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक ने गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना बनाने और गुजरात से बम्बई तक पाइपलाइन लगाने की योजना और उसकी अनुमति लागत की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सम्बन्धित सदस्यों के नामों के सामने बताई गई ध्यान दिलाने वाली निम्नलिखित तीन अन्य सूचनाओं के उत्तर में सम्बन्धित मंत्रियों ने वक्तव्य सभा पटल पर रखे :—

(१) श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़ — दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के झोंपड़ों के गिराये जाने का समाचार।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—क्रमशः

(२) श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा . जम्मू और काश्मीर राज्य में जम्मू के अतिरिक्त अन्य जिलों में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान देना बन्द कर देने का भारत सरकार का आदेश।

(३) श्री इन्द्रजीत गुप्त . दण्डकारण्य में शरणार्थियों के स्वेच्छा से जाने की वर्तमान योजना को बदलने के बारे में सरकार का कथित निर्णय।

विधेयक पुरस्थापित ३५६७–६८

(१) दण्ड विधि संशोधन विधेयक, १९६०।

(२) द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६०।

(३) विशिष्ट सहायता विधेयक, १९६०।

(४) अवधि विधेयक, १९६०।

विधेयक पारित किये गये . . . . . ३५६८—८३

(१) बाल विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्ड-वार चर्चा के बाद विधेयक को पारित किया गया।

(२) परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) ने प्रस्ताव किया कि तार विधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक को पारित किया गया।

(३) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयकों को पारित किया गया।

(४) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि निरसन तथा संशोधन विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक को पारित किया गया।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति का प्रतिवेदन-स्वीकृत ३५८३

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक-पुरस्थापित . . . ३५८३–८४

छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन)। विधेयक, १९६० [श्री नारायण गणेशगोरे का]

विषय	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—पुरःस्थापन प्रस्ताव अस्वीकृत	

पंडित ब्रजनारायण 'ब्रजेश' ने प्रस्ताव किया कि गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक— वापस लिया गया . . . ३५८५–८९

श्री नरसिंहन् द्वारा ९ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। श्री नरसिंहन् ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया—गैर सरकारी सदस्य का विधेयक —संशोधन स्वीकृत ३५८९–९०

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा १९८ का संशोधन) में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्रीमती सुभद्रा जोशी ने यह भी प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकार किये जायें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधन स्वीकृत हुए।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . ३५९०—३६०५

श्री तंगामणि ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१क का रखा जाना) पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . . ३६०६—१५

श्री भक्त दर्शन ने राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ८३४ के १२ दिसम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई।

दूसरी लोक-सभा के बारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	१४ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से २ पौष, १८८२ (शक)
२. बैठकों की संख्या . .	३०
३. बैठकों के कुल घण्टों की संख्या .	१९१.५७
४. मत विभाजनों की संख्या	१३
५. सरकारी विधेयक— . .	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	१३
(२) पुरःस्थापित किये गये . .	१९

(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये	४
(४) प्रवर समिति को सौंपा गया . . .	१
(५) संयुक्त समिति को सौंपा गया . .	१
(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित . .	१
(७) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित .	१
(८) पारित किये गये	२६
(९) राज्य सभा द्वारा उन संशोधनों पर आग्रह करते हुए, जिनसे लोक सभा ने असहमति प्रकट की थी, लौटाया गया	१
(१०) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन . . .	११
(११) राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के वापस किये गये (धन विधेयक) . . .	६

६. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—

(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	१२५
(२) पुरःस्थापित किये गये .	५
(३) वापस लिये गये	२
(४) अस्वीकृत हुए .	१
(५) पारित किया गया . .	१
(६) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन .	१२६

७. सरकारी संकल्प—

प्रस्तुत किये गये .	१
स्वीकृत	१

८. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प—

(१) प्राप्त हुए	९३२
(२) कार्य सूची में सम्मिलित किये गये . .	६५९
(३) जिन पर चर्चा हुई .	४
(४) वापस लिये गये .	२
(५) अस्वीकृत .	१
(६) स्वीकृत	कोई नहीं
(७) जिन पर अंशतः चर्चा हुई . .	१

९. सरकारी प्रस्ताव—

(१) प्राप्त हुआ .	१
(२) स्वीकृत	श्री दी० चं० शर्मा द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

१०. गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव—

(१) प्राप्त हुए	७६
(२) गृहीत किये गये	५७
(३) प्रस्तुत किये गये	८
(४) स्वीकृत	६

११. अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा	२
१२. आधे घंटे की चर्चा	६
१३. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की संख्या जिनकी ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कराया गया तथा जिन पर मंत्रियों ने वक्तव्य दिया या वक्तव्य को सभा पटल पर रखा	२२

१४. स्थगन प्रस्ताव—

(१) प्राप्त हुए	४०
(२) गृहीत किया गया	कोई नहीं
(३) जिन पर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी	४०

१५. पूछे गये प्रश्न—

(१) तारांकित	१,१०६
(२) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत जिन को अतारांकित बना दिया गया)	२,३६०
(३) अल्प सूचना प्रश्न	१४

१६. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित—

(१) प्राक्कलन समिति	४
(२) लोक लेखा समिति	२
(३) रेलवे अभिसमय समिति, १९६०	१
(४) याचिका समिति	१
(५) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	१
(६) विशेषाधिकार समिति	१
(७) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	१
(८) कार्य मन्त्रणा समिति	५
(९) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति	५